ક્રી ચરાોવિજચજી જેન ગ્રંથમાળા દાદાસાદેબ, ભાવનગર. ફોન : ૦૨૭૯-૨૪૨૫૩૨૨ ૩૦૦૪૮૪૬

*

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Sura


www.umaragyanbhandar.com




प्रकाशक— बालचन्द्र श्रीश्रीमाल मंत्रो-श्री साधुमार्गी जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मण्डल, रतलाम (माल्वा)

कागज और छपाई की छागत वर्तमान महायुद्ध के कारण मेंहगाई से इस पुस्तक का मूल्य आठ आने होते हैं। लेकिन मंद्रास, हाछ मुकाम-कुचेरा निवासी श्रीमान सेठ ताराचन्दर्जी भागचन्दजी साहब गेछड़ा ने, सर्व साधारण इस पुस्तक से लाभ उठा सकें, इस दृष्टि से आधी लागत प्रदान करके, यह पुस्तक श्रर्द्ध मूल्य-चार आने में वितरण कराई है।







Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

विषय सूचि

विषय			पृष्ठ	
सम्पादक और प्रकाशक का निवेदन		••••	८ कसे	घ
जैन-दर्शन में श्वेताम्बर तेरइ-पन्थ		••••	१ से	
त्रस और स्थावर सीव समान नहीं हैं		••••	११ से	\$ 8
मारा जाता हुवा जीव, कम की निर्जरा नहीं करता,				
किन्तु अधिक कर्म बॉंधता है		••••	३५ से	85
श्रावक कुपात्र नहीं है	••••	••••	४९ से	ଡ଼ଵୣ
दान−पुण्य ····	••••	••••	∽∘ से	९२
दान करना पाप नहीं है	••••	••••	🕊 से	309
जीव बचाना पाप नहीं है	••••	••••	११० से	१२६
तेरह-पन्थियों की कुछ अमोत्पादक युक्तियाँ और उनका				
समाधान-संख्या १ से	७ तक	••••	१२७ से	१४६
परिशिष्ट नं० १				
थली में पाँच दिवस का प्रवास ('तरुण जैन' से उद्घत)			१४७ से	१६०
श्री भन्न हृदय को चिही	73 73	79	१६१ से	१६७
चिद्वी-पत्री		**	१६८ से	101
परिशिष्ट नं० २				
तेरह-पन्थ और 'जैन' पत्र (श्वे॰ मू॰ पू॰ 'जैन' में से				
अनुवादित) 'चोपड़ाजी का तेरइ ₋ पन्थ इतिहास'			१७२ से	१७६
परिशिष्ट नं० ३				
तेरा-पंथ अने तेनी मान्यताओ (गुजराती भाषा में)				
केलकश्रीमान् चिम्मनलाल चक्तुभाई शाह				
J. P., M. A. LL B. सॉ किसीटर			१७७ से	152

. . .



संसार।में दुःख पाते हुए प्राणी को सुख प्राप्त करने के लिए धर्म ही प्रधान कारण है। अतः प्रत्येक प्राणी को धर्म का सेवन करना चाहिए।

साध्य धर्म सब का एक होने पर भी साधन में बहुत कुछ विचिन्नता दिखाई पड़ती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी २ रुचि के अनुसार धर्म के साधनों को स्वीकार कर उनका आराधन करता है। फिर भी विशिष्ट पुरुषों ने उनमें हिताहित और तथ्या-तथ्य का विचार करके जनता के कल्याणार्थ द्रब्य, क्षेत्र, काल, भावानुसार मार्ग प्रदर्शन कराया, इस कारण जनता उन्हें अवतार के रूप में मानती व पूजती है।

विशिष्ट पुरुष परिस्थिति का विचार करके किसी एक तत्व को मुख्यता देकर उसका विशेष रूप से प्रतिपादन करते हैं और उसके प्रति पक्ष को गौण कर देते हैं। परन्तु परम्परा में उनके अनुयायी परिस्थिति एवं वातावरण बदल जाने पर भी उसी परिपाटी का अवलम्बन लेकर एकान्त रूप से उस तत्व का प्रतिपादन करते रहे हैं और दूसरों का विरोध करने लग जाते हैं, इसलिए वह तत्व जनता का हित करने के बदले अहित का कारण बन जाता है।

जैन दर्शन में भी यही नियम लागु होने से इसमें भी अनेक सम्प्र-दायचाद चल पड़े हैं, जो एक दूसरे से भिन्न दिखाई पढ़ते है। परन्तु तेरह-पन्थ सम्प्रदाय की मान्यता और सिद्धान्त निराले ही ढंग के हैं। वे किसी भी जैन अजैन के सिद्धान्त से मेल नहीं खाते हैं।

प्रत्येक सम्प्रदाय को अपने २ तत्वों का प्रचार करने की स्वतन्त्रता है किन्तु दूसरों पर आक्रमण न करते हुवे अपना प्रचार कर सकते हैं। तब प्रश्न यह होता है कि इस समय ऐसी पुस्तिका प्रकट करने की क्या आवश्यकता है? इसके समाधान में यह कहना होगा कि तेरह-पन्थी लोगों ने जहाँ कि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन प्रान्तों में जाकर स्थानकवासी जैन समाज के साधु आवकों की निन्दा करके दग्म द्वारा अपने मन्तब्यों का प्रचार करना प्रारम्म किया है और साधारण समझ वाली स्थानकवासी जैन जनता को चक्कर में डालने की चेष्टा कर रहे हैं।

यह देखकर राजकोट की श्री जैन ज्ञानोदय सोसायटी ने जैन समाज की रक्षा के हेतु यह निबन्ध पं॰ श्री शंकरप्रसादजी दीक्षित से तैयार करवाकर मण्डल को प्रकाशित करने के लिए अनुरोध किया, उनके आग्रह को मान देकर मण्डल ने यह पुस्तक प्रकाशित की है।

इस समय विश्वव्यापी महायुद्ध के कारण कागज आदि छपाई के साधनों की मेंहगाई होने से लागत बहुत बैठी है। इसलिये मण्डल ऑफिस इस प्रयत्न में था कि कोई साहित्य प्रेमी सजजन इसे अर्द्ध मूझ्य में करादें। यह प्रकट करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता होती है, कि श्रीमान सेठ ताराचन्दजी भागचन्दजी साहब गेलड़ा ने इस पुस्तक को अर्द्ध मूल्य) चार आने में वितरण कराकर हमारा उत्साह बढ़ाया है। इस गेलड़ा परिवार ने प्रथक २ नामों से ब्याख्यान-सार-संग्रह के कई पुष्प अर्द्ध मूल्य में वितरण कराये हैं। अतः श्रीमान् गेलड़ाजी को धन्यवाद देते हुए, आपकी उदारता को साभार स्वीकार करते हैं।

इसी तरह श्रीमान् मिश्रीखाल्जी जैंवरीलालजी अजमेर वालों ने भी कुछ रकम भेजी है, जिसके लिये हम उनके आभारी हैं, परन्तु रकम कम होने से उनकी तल्फ से अर्ड मूल्य में करने से मजबूर हैं। रतलाम, मार्गधीर्ष ग्रुष्ठा मतिपदा सं० १९९९

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

www.umaragyanbhandar.com

15 5

सम्पादक और प्रकाशक का

निवेदन

तिरह-पन्थी सम्प्रदाय के सिद्धान्त, तेरह-पन्थी सम्प्रदाय की मान्यता, जैन सिद्धान्तों से और जैन मान्यता से कैसा वैपरीस्य रखती हैं, यह हमने प्रस्तुत पुस्तक में संक्षेप में बताया है। तेरह-पन्थ सम्प्रदाय की मान्यताएँ जैन मान्यताओं के ही विरुद्ध नहीं हैं, किन्तु संसार के समस्त धर्मों की मान्यताओं के भी विरुद्ध हैं और आत्मा के भी विरुद्ध हैं। लगभग सभी घर्मों का यह कथन है कि---

आत्मनः प्रतिक्रूलानि परेषां न समाचरेत् ।

अर्थात्—जो अपने आत्मा के प्रतिकूछ हो, जो म्रपने आत्मा को बुरा ढगे, वैसा व्यवहार दूसरे के साथ कभो न करो। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि तुम दूसरे के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो, जैसा व्यवहार तुम अपने छिए चाहते हो। इसके म्रनुसार यदि हम आग में जछते हों, पानी में डूबते हों, या किसी के द्वारा मारे जाते हों, पीड़ित किये जाते हों तो डस समय इम यही चाहते हैं कि कोई हमको बचाले, हमारे प्राणों की रक्षा करे, हमको कष्ट से मुक्त करे । यदि हम भूखे हों, तो यही बाहते हैं कि कोई हमको भोजन दे। यदि हम प्यासे हों, तो यही बाहते हैं कि कोई हमें पानी पिछा दे । यदि हम बीमार हों, तो यही चाहते हैं कि कोई हमें रोग से मुक्त कर दे । इसछिए हमारा भी यह कर्तव्य हो जाता है, कि हम भी उन मरते हुए, कष्ट पाते हुए, भूखे, प्यासे या बीमार छोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें । इस कर्तव्य का पाछन करना, आत्मा के स्वाभाविक धर्म का पाछन करना है, परन्तु तेरह-पन्थ सम्प्रदाय की मान्यताएँ आत्मा के इस स्वाभाविक धर्म को भी नष्ट करती हैं और इसमें भी पाप बताती

हैं। प्रकारान्तर से मानव में से मानवता को ही नष्ट करती हैं। आपनी मान्यताओं को तेरह-पन्थी छोग भी जैन झाखानुसार बताते हैं, परन्तु यह हम आगले प्रकरणों में बतावेंगे कि तेरह-पन्थ की मान्यताएँ जैन शास्त्रानुसार नहीं हैं, किन्तु जैन झास्तों के नाम पर कलंक लगाने वाली हैं। यह बात आवकों को झात न हो जावे, आवक लोग शास्त्र की उन बातों को न जान सकें, इस सहे स्वय से तेरह-पन्थी साधुओं ने आवकों का सूत्र पढ़ना ही जिनाझा के बाहर बताया है और जिनाज्ञा से बाहर के समस्त झार्थ, वे पाप ही मानते हैं। इस प्रकार तेरह-पन्थी साधु, आवकों का सूत्र पढ़ना, पाप कहते हैं। यह बताने के छिए तेरह-पन्थ के सैद्धान्तिक ग्रन्थ 'भ्रम विध्वंसन' में 'सूत्र पठनाधिकार' नाम का एक पूरा अध्याय ही दिया गया है। तेरह-पन्थियों ने केवल त्रपनी मान्यताओं की असत्यता से आवकों को अनभिज्ञ रखने के उद्देश्य से ही ऐसा किया है। श्रावकों के छिए धर्म-शास्त्र का पठन पाप है, तेरह-पन्थियों का यह सिद्धान्त भी समस्त धर्मों, सम्प्रदायों या मजहबों के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में तेरह-पन्थियों के द्वारा दिये गये प्रमाण, युक्ति आदि बिल्कुल व्यर्थ से हैं, इसीलिए हमने उनकी त्रालोचना या उनका खण्डन करना त्रावरय क नहीं सममा है। तेरह-पन्थी साधुत्र्यों का श्रावकों के छिए सूत्र-पठन का निषेध, इतना तो स्पष्ट करता ही है कि तेरह-पन्थी साधु अपने सिद्धान्तों और श्रपनी मान्यतात्रों को अन्ध श्रद्धा के सहारे मनवाना चाहते हैं। ख़ेर !

इमको तेरह-पन्थी लोगों से किसी प्रकार का ढेव नहीं है। संसार के लाखों साधु, गृहस्थों के आश्रय में निर्वाह करते हैं, उसो प्रकार तेरह-पन्थी साधु भी करें, इसमें हमारे लिए क्या आपत्ति हो सकती है ? ऐसा होते हुए भी हमको उनके विरुद्ध जो कुछ लिखना पड़ा है, उनके सिद्धान्तों की जो आलोचना करनी पड़ी है, उनकी मान्यताओं का जो खण्डन करना पड़ा है, वह केवल इस कर्तव्यवश कि तेरह-पन्थी साधु अपने सिद्धान्त को पवित्र जैन धर्म के नाम से लोगों को मताते हैं, इसलिए जैन धर्म के नाम पर लगते हुए कलंक को मिटाने का प्रयन्न करना हमारा एक साधारण कर्तन्य हो जाता है। इस पुस्तक विषयक हमारा प्रयन्न लोगों को तेरह-पन्थ के सिद्धान्तों से परिचित करने, और तेरह-पन्थो साधुओं की कुयुक्ति-चक्र से बचाने में सहायक हो, इसीलिये है; अन्यथा उनके व्यक्तित्व से तो मैत्री ही है।



॥ श्री ॥



मंगलाचरण

जयइ जगजीवजोणि, वियाणओ जगगुरु जगाणंदो । जगणाहो, जगबन्धु, जयइ जगप्पियामहो, भयवं ॥१॥ भावार्थ---पंचास्ती कायात्मक छोकवर्ती जीवों की उत्पत्ति के स्थान को जानने वाले, जगद्गुरु, जगत को आनन्द देने वाले, (त्रि) जगत के नाथ, प्राणि-मात्र के बन्धु और जगत् के पितामह अर्थात्-प्राणियों का जो रक्षण करता है, वह धर्म उन प्राणियों का पिता है और उस धर्म को भी भगवान तीर्थङ्कर प्रकट करते हैं, इसलिए प्रसु इस जगत के पितामह हैं। वे समप्र झानादि गुणों से युक्त भगवान महावीर सदा जयवन्त हों और उनका शासन भी सदा जयवन्त हो।

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

(२)

इस अनादि अनन्त संसार-सागर में परिश्रमण करते हुए भव्य प्राणियों के कल्याणार्थ अनन्त भावदया से परिपूर्ण है आत्मा जिनका, ऐसे भगवान महावीर ने मोक्ष-मार्ग का विधान करते हुए सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र की आराधना करने का उपदेश किया है, परन्तु भगवान महावीर सर्वज्ञ होने से संसारी जीवों में क्षयोपशम की विचित्रता को जानकर ज्ञान-दर्शन को आराधना में, साधु और आवक का भेद न करते हुए तथा चारित्र आराधना में, साधु और आवकों का भेद बतळा कर पात्रानुसार, साधु व आवक के आचरण का पृथक् पृथक् विधान किया है। जैसे —

"धम्मे दुविहे पनत्ते तंजहा-आगार धम्मे चेव-अणगार धम्मे चेव" (श्री स्थानांग सूत्र-द्वितीय स्थान)

अर्थ---धर्म दो प्रकार का प्ररूपा है---ग्रागार यानि गृहस्थ के ग्राचरण करने योग्य धर्म श्रौर अणगार यानि प्रह-त्यागी साधु के श्राचरण करने योग्य धर्म । दोनों धर्मों की विशिष्ट व्याख्या करते हुए, आगार धर्म--द्वादश प्रकार का और अणगार धर्म--पांच प्रकार का बतलाया है । दोनों के कल्प, स्थिति और मर्यादा जुदी २ कायम की गई हैं, उन २ मर्यादाओं में रहकर किया श्रनुष्ठान का श्रासेवन करे तो वे दोनों ही अपने २ धर्म के आराधक होते हैं; किन्तु मर्यादा का उलंघन करके आधेवना करे, किया अनुष्ठान करे तो ने अराधना के बदले विराधना कर बैठते हैं, परन्तु आश्चर्य यह है कि उन्हीं भगवान के शासन में ऋपने को मानने वाले जैन श्वे० तेरह-पन्थी लोग-गृहस्थ और साधु का आचरण रूप धर्म एक ही बताते हैं और कहते हैं कि---

जो काम साधु नहीं करे, वह काम आवक के छिए भी करने योग्य नहीं है यदि वह करता है तो पाप करता है। कहते हैं कि---जे अनुकम्पा साधु करे, तो नवा न बांधे कर्म ।

तिण मांहिली आवक करे, तो तिणने पिण होसी धर्म ॥

साधु श्रावक दोनां तणी, एक अनुकम्पा जान । अमृत सहुने सारिखो, तिणरी मकरो ताण ॥ ('अनुकम्पा' ढाल दूसरी)

साधु श्रावक नी एक रीति छे तुम जोवो सूत्र रो न्याय रे। देखो अन्तर मांहि विचारने, कुड़ी काहे करो ताण रे ॥ ('अनुकम्पा' ढाल तीसरी)

इन और ऐसे ही अन्य कथनों द्वारा तेरह-पन्थी छोग यह कायम करना चाहते हैं कि साधु और आवक का एक ही आचार है, एक ही रीति है, एक ही अनुकम्पा है। ऐसा ठहरा कर फिर वे साधु के बहाने से जीव रक्षा आदि में भी पाप बताते हैं, परन्तु यह सिद्धान्त उनका बिछकुछ गछत है। जीव-रक्षादि कार्य शुभ परिणामों के द्वारा होते हैं। अत: शुभ परिणामों में, किसी भी (8)

पाप प्रकृति का बन्ध हो ही नहीं सकता। भगवान महावीर ने तो साधु और श्रावक का श्राचरण रूप धर्म दो प्रकार का स्वष्टतया बतलाया है, दोनों के कल्प मर्यादाएँ तथा प्रवृत्तिएँ भी पृथक् २ बतलाई है।

अनेक कार्य ऐसे हैं जिन्हें; साधु तो कर सकता है, जिनका न करना साधु के छिए पाप माना जाता है, परन्तु गृहस्थ नहीं करता है और गृहस्य का न करना, पाप नहीं माना जाता । इसी प्रकार बहुत से कार्य ऐसे हैं, जिन्हें गृहस्थ आवक तो करता है परन्तु साधु नहीं कर सकता और उन कामों को नहीं करने पर भी साधु को पाप नहीं छगता। उदाहरण के छिये--साधु यदि भोजन सामग्री रात-बासी रखता है तो उसको पाप लगता है, इतना ही नहीं व्रत भंग भी होता है और संयम की भी विराधना होती है, परन्तु गृहस्थ रखता है फिर भी उसे दोष नहीं छगता। इसी प्रकार यदि गृहस्थ श्रावक भोजन के समय यदि अतिथि संविभाग की भावना नहीं करता है तो उसे व्रतभंग रूप पाप छगता है, क्योंकि आतिथ्य सत्कार करना गृहस्थ जीवन का एक साधारण किन्तु मुख्य धर्म है, परन्तु साधु छोग श्रतिथि संविभाग नहीं कर सकते । कारण, साधु होते समय, सांसारिक भोगोपभोग की सर्व वस्तुओं का अन्होंने त्याग कर दिया है। जो अझ वसादि गृहस्य के यहाँ से वे ठाते हैं वे अपने खुद के या अपने संभोगी (4)

साधु के जीवन निर्वाहार्थ ही छाते हैं। इसछिये उन्हें दूसरे को देनेका अधिकार नहीं है। यदि उन वस्तुओं से वे दूसरे अतिथियों का सत्कार करते हैं तो उन्हें व्रतभंग रूप पाप छगता है। इस प्रकार साधु और आवक का आचरण एक हो नहीं सकता।

गृहस्य और गृहत्यागी, विरक्त और अनुरक्त दोनोंका आचरण एक होना, भिन्नता का न होना कदापि सम्भव नहीं। साधु की कल्प मर्यादा जुदी है और आवक की जुदी। साधू में भी जिन-कल्पी और स्थविर-कल्पी का आचार-मर्यादा एक नहीं किन्तु भिन्न है। जो वैयावचादि कार्य स्थविर-कल्पी कर सकते हैं वे जिन-कल्पी नहीं कर सकते और जो जिन-कल्पी कर सकते हैं वे स्यविर-कल्पी नहीं करते ; तब साधु और आवक की समानता कैसे हो सकती है ? तेरह-पन्धी लोग कहते हैं कि साधु और श्रावक की अनुकम्पा एक है और रोति भी; परन्तु, यदि दोनों की रोति और कर्तव्य एक ही हों तो साधु सुपात्र और श्रावक छुपात्र कैसे हो सकते हैं ? वे छोग श्रावक को कुपात्र क्यों कहते हैं ? वे अपने दोनों प्रन्थ-'अनुकम्पा की ढालें' तथा 'भ्रम विध्वंसन' में श्रावक को कुपात्र कहते हैं। उनसे यदि पूछा आवे कि श्रावक सुपात्र है कि कुपात्र ? तो तेरह-पन्थी छोग श्रावक को सुपात्र कभी नहीं कहेंगे । ऐसी दशा में साधु और आवक की एक रीति, एक भाचार और एक व्यवहार कैसे हो सकता है ? भिम ही रहा

(६)

और भिन्न ही रहेगा। भिन्न रहते हुए भी यदि अपने २ कर्तव्य का पालन करें तो दोनों मोक्ष-मार्ग के पथिक हैं।

श्रावक संसार व्यवहार में रहते हुए, सावधानी-पूर्वक झतों की मर्यादा को कायम रख कर संसार के सभी व्यवहारों में प्रवृत्ति कर सकता है, गृह व्यवस्था संभाष्ट सकता है और त्रात्म आराधना भी कर सकता है; विवेक पूर्वक कार्य करे तो त्राश्रव के स्थान में संवर भी निपजा लेता है परन्तु जो साधु धर्म अंगीकार करता है, वह संसार त्याग कर सम्पूर्ण निवृत्ति करता है तभी साधु धर्म को आराधना हो सकती है अन्यथा नहीं। वह संसार व्यवहार के कोई कार्य में भाग नहीं ले सकता है। इस प्रकार श्रावक धर्म और साधु धर्म की कल्प मर्यादाएँ भिन्न २ हैं अपने २ कल्प-मर्यादानुसार हर एक को अपनी प्रवृत्ति रखनी चाहिये। ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं वे अपने २ धर्म के आराधक हैं।

श्रब इम तेरह-पन्थी आम्नाय के सिद्धान्तों (मान्यताओं) का संक्षेप में यहाँ दिग्दर्शन करा कर, आगे प्रकरण-बद्ध उन मान्यताओं एवं उनकी दछीलों का न्याय पूर्वक उत्तर देंगे, यहाँ तो संक्षेप में पूर्व-पत्त का दिग्दर्शन कराया जाता है।

तेरइ-पन्धी छोगों का एक सिद्धान्त यह है कि---एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौरेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय यानी संक्षेप में त्रस और स्थावर सभी प्राणि समान हैं। अतः एक त्रस प्राणि की (🧕)

रत्ता के छिए अनेकों स्थावर प्राणियों की हिंसा क्यों की जावे ? जैसे-किसी को भोजन दिया या पानी पिछाया, तब रत्ता तो एक आश्मा की हुई, परन्तु इस कार्य में असंख्य और अनन्त स्थावर जीवों का संदार दो जाता है, वद्द पाप उस जीव-रत्ता करने वाले को दोगा। इतना ही नहीं किन्तु जो जीव बचा है, उसके जीवन भर खाने पीने अर्थवा अन्य कामों में जो हिंसा त्रस-स्थावर जीवों की दोगो, वह हिंसा भी उसी को छगेगो, जिसने उसको मरने से बचाया है।

दूसरा सिद्धान्त यह है कि — जो जीव मरता है अथवा कष्ट पा रहा है वह अपने पूर्व संचित कर्मों का फल भोग रहा है। उसको मरने से बचाना अथवा उसको सदायता करके कष्ट-मुक्त करना, अपने खुद पर का वह कर्म-ऋण चुकाने से उसको, वंचित रखना है, जिसे वह मरने या कष्ट सहने के रूप में भोगकर चुका रहा था।

इन्हीं दछीछों (मान्यताओं) के आधार पर तेरह-पन्थी छोग दया और दान को पाप बताते हैं; और इन्हीं सिद्धान्तों की हद्गता के छिए वे कहते हैं कि---- (2)

(१) भगवान महावीर ने गौशालक को बचाया, यह उनकी भूछ थी। वे छदमस्त थे, इसलिये उनसे यह भूल हुई।

(२) भगवान पार्श्वनाथ ने आग में जलते हुए नाग नागिन को बचाये, यह कार्य उनका पाप रूप था।

(३) इरिणगमेषी देव ने, देवकी महारानी के छः पुत्रों को बचा कर पाप डपार्जन किया।

(४) धारिणी राणी ने, मेघकुमार जब गर्भ में थे, तब मेघकुमार की रक्षा के डिये खान पानादि में जो संयम किया, वह पाप था।

(५) भगवान श्री अरिष्टनेमि के दर्शन के छिए जाते समय श्रीकृष्ण वासुदेव ने एक वृद्ध पुरुष पर अनुकम्पा करके उसकी ईंट उठाई, वद्द पाप का कार्यथा।

(६) भगवान श्री ऋषभदेव ने, जो संमाज-व्यवस्था स्थापित की, वह कार्य भी पाप था।

(७) भगवान तीर्थंकरों के द्वारा दिया गया वार्षिक दान भी पाप था।

(८) महाराजा मेघरथ ने, कवूतर को बचाया, यह भी पाप का कार्य था।

(९) राजा श्रेणिक का, जीव हिंसा न करने के संबंध में 'त्रमारी पड्ह' की घोषणा करना भी पाप है। (१०) राजा प्रदेशी का, दानशाखा खोखने का कार्य भी पाप-रूप था।

इस प्रकार ने जैन-शास की उन समस्त बातों को पाप ठहराते हैं कि जो बातें जैन-शासों के लिए आदर्श और भूषण रूप हैं। तेरह-पन्थो साधुओं ने अपने सुख, अपनी सुविधा श्रौर अपनी रक्षा के सब मार्ग तो खुल्ले रखे हैं। जैसे---

(क) विहार करते समय, रास्ते की सेवा के नाम से म्रहस्थों को साथ रखना और उसमें महा लाभ बताना।

(ख) गृहस्थ श्रावक अपनी आवश्यकता से अधिक मोजन बना कर भावना के नाम से आमंत्रण देवे और साधु छोग उनके साथ जाकर बगैर छान-बीन किये ही छे आवें।

(ग) गृहस्थों को, सेवा में रहने के छिये, त्याग कराना और वारीसर उनको सेवा में रखना।

इन सब में धर्म एवं महा डाभ बताया है, परन्तु अपने से सम्बन्धित कार्यों के सिवाय शेष समस्त कार्यों को वे पाप ही पाप

बताते हैं, किसी भी कार्य में धर्म अथवा पुण्य नहीं मानते । जो ऊपर दस बातें बताई हैं उन कार्यों में तेरह-पन्थी डोम धर्म व पुण्य नहीं मानते, किन्तु पाप ही बताते हैं। कोई उन्हें पूछे कि ये काम पाप के क्यों हैं ? तो छड-पूर्ण इधर-उधर की बातें करेंगे और प्रश्न को टाडने का प्रयत्न करेंगे, जिससे इन कार्यों में स्पष्ट पाप नहीं कहना पड़े। ये छोग अपने छछ-कपट के छिए प्रसिद्ध ही हैं। डनको दिन रात ऐसी बातें करने की शिक्षा मिछती रहती है कि जिससे वे दूसरों को अपने जाछ में फॅसालें, परन्तु स्वयं किसी बात की पकड़ में न आवें। कदाचित कोई उन्हें किसी बात में पकड़ लेगा, तो डस वक्त वे या तो यह बहाना लेंगे कि-

(१) इस विषय के छिये शास्त्र में बहुत देखना पड़ेगा, बिना देखे क्या कहें।

(२) म्राज तो अब समय हो गया है, इसलिए पूरा उत्तर नहीं दे सकते। क्योंकि इस बात का उत्तर बहुत लम्बा है।

साधारण आदमी से तो वे ऐसा कह कर पिण्ड छुड़ा छेते हैं, परन्तु वे देखते हैं कि यह आदमी हमारा पिण्ड छोड़ने वाला नहीं है तब वे उससे सदा के लिये अपना पीछा छुड़ा लेने को कह बैठते हैं कि आप तो हमारी त्राशातना करते हैं। इसलिये हम आपसे बात नहीं करते।

ये ही तीन मार्ग किसो जानकार से ऋपना पीछा छुड़ाने के हैं। संक्षेप में इन छोगों की स्थुछ स्थूछ मान्यताओं का दिग्दर्शन कराया गया है। अब अगछे प्रकरणों में इनकी मान्यताओं का इत्तर पक्ष करके विशद रूप से निराकरण करेंगे।





अब इम तेरहपन्थियों के उन सिद्धान्तों पर प्रकाश डाउते हैं जिनके आधार पर तेरहपन्थी छोग प्राणी रक्षा तथा अनुकम्पा करके दिये गये दान में पाप बताते हैं। यह तो बताया हो जा चुका है कि साधु और श्रावक का त्राचार एक नहीं है। उनकी दूसरी दछोछ यह है, कि एकेन्द्रिय से छगाकर पंचेन्द्रिय तक के जीव समान हैं। इसछिए एकेन्द्रियादिक जीवों की हिंसा करके पंचेन्द्रिय की रत्ता करना धर्म या पुण्य कैसे हो सकता है ? बे कहते हैं कि---

जीव मारी जीव राखणा, सूत्र में नहीं हो भगवन्त बयन । ऊँधो पन्थ कुगुरु चलावियो, शुद्ध न सूझे हो फ़ूटा अंतर नयन ॥ ('अनुकम्पा' ढाल ७ वीं)

अर्थात्--जीव मार कर जीव की रक्षा करने के छिए सूत्र में भगवान के कोई वचन नहीं हैं, किन्तु यह उल्दा मार्ग

(१२)

कुगुरुओं का चलाया हुन्ना है, जिनको अभ्यन्तर त्राँखें फूटी हुई हैं त्रोर जिन्हें शुद्ध मार्ग नहीं दिखता।

रांका ने मार धींगा ने पोसे, आतो बात दीसे घणी गैरी। इण मांही दुष्टी धर्म प्रुपे तो, रांक जीवां रा उठिया वैरी॥ ('अनुकम्पा' ढाल १३ वीं)

श्वर्थात् — गरीबों (स्थावरों) को मार कर सशक (त्रस) का पोषण करना बहुत बुरी बात है, परन्तु गरीबों (स्थावरों) के शत्रु दुष्ट छोग ऐसे खड़े हुए हैं कि इस कार्य में भी धर्म बताते हैं। जीवां ने मार जीवां ने पोषे ते तो मार्ग संसार नो जाणोजी । तिएा मांही साधु धर्म बतावे ते पूरा मूढ़ अयाणोजी । तिएा मांही साधु धर्म बतावे ते पूरा मूढ़ अयाणोजी । छः काय रा शस्त्र जीव असंयती त्यांरो जीवणों मरणो न चावेजी । त्यांरो जीवणो मरणो साधु चावे तो राग द्वेष वेहूँ आवेजी । ('अनुकम्पा' ढाल ६ वीं)

अर्थात्—ऐसा कहते हैं कि एकेन्द्रिय जीवों को मार कर पंचेन्द्रिय जीवों का पोषण करना संसार का पाप पूर्ण कार्य है। यदि इस तरह के कार्य को कोई साधु धर्म बताता है, तो वह पूरा मूर्ख और श्रज्ञानी है। अत्रती जीव (साधु के सिवाय संखार के सभी जीव) छः काय के जीवों के डिए श्रख के समान है। इसडिए अन्नती को जीवित रखने या मारने की इच्छा तक

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

(93)

न करनी चाहिये। अन्नती का जीवित रहना या मरमा जो साधु चाहता है, उसको राग और द्वेष दोनों ही छगते हैं। क्ष

इन और ऐसे ही दूसरे कथनों द्वारा तेरह-पन्थी साधु एकेन्द्रिय (प्रथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव) तथा पंचेन्द्रिय (मनुष्य, गाय, हाथी, घोड़ा आदि) को समान सिद्ध करते हैं, और कहते हैं कि पंचेन्द्रिय की रक्षा करने में एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा होती है, इसलिए रक्षा करना पाप है। जो पंचेन्द्रिय जीव बचा है, उसको बचाते समय भी एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा होती है, और वह जीवित रहकर भी एकेन्द्रिय जीवे हिंसा होती है, और वह जीवित रहकर भी एकेन्द्रिय जीव (अन्न, जल, वनस्पति, वायु आदि) की खान-पान, श्वासोछास द्वारा हिंसा करेगा। इसलिए किसी भी जीव को बचाना पाप है।

तेरइ-पन्थी छोग एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय को समान बताते हैं, परन्तु वास्तव में उनका यह कथन ऋसंगत है। स्वयं तेरइ-पन्थी छोग एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय को समान बताते हुए भी एकेन्द्रिय की अपेत्ता पंचेन्द्रिय को महत्व देते हैं तथा पंचेन्द्रिय

* यह न भूळना चाहिए कि तेरह-पन्थी लोग साधु और गृहस्थ का आचरण एक बताते हैं और इसीलिए जो कार्य साधु के लिए निषिद्ध है, वही गृहस्थ श्रावक के लिए भी निषिद्ध है, ऐसा सिद्धान्त कायम करते हैं।

3

(38)

की रक्षा और पंचेन्द्रिय के हित के छिए एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा खुद करते हैं। गृहस्थ को तो केवछ त्रसकायिक हिंसा का ही त्याग होता है, परन्तु साधु को तो जीव मात्र-छहों काय के जीवों की हिंसा का स्थाग है। ऐसा त्याग होने पर भी वे पंचेन्द्रिय के हित और पंचेन्द्रिय की रक्षा के छिए एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा करते हैं। जो बताया जाता है।

शास्त्रानुसार हाथ-पेर के हिडने मात्र से वायुकायिक असंख्य जीव नष्ट होते हैं। यह बात तेरह-पन्थियों को भी स्वीकार है। ऐसा होते हुए भी वे प्रतिलेखन (वस्त्र पात्रादि का) करते हैं, यह क्यों ? वस्त पात्रादि का प्रतिलेखन करके उसमें रहे हुए त्रसकायिक जीवों को ही बचाया जाता है या भौर कुछ ? प्रति लेखन करने का उद्देश्य ही क्या है ? यदि त्रसकायिक जीवों की रक्षा करना उद्देश्य नहीं है तो फिर प्रति लेखन ही क्यों किया जाता है और वायुकायिक जीवों की व्यर्थ हिंसा क्यों की जाती है ? प्रतिलेखन करते हुए त्रस जीवों को वस्तादि में से अलग किया जाता है, इससे स्पष्ट है कि त्रस जीवों की रक्षा के छिए ही प्रतिलेखन किया जाता है, परन्तु प्रतिलेखन करने में कितने वायुकायिक जीवों की हिंसा हुई ? तब आपने असंख्य वायु-कायिक जोवों की हिंसा द्वारा कुछ थोड़े से त्रस जीवों को ही बचाया या और कुछ किया ?

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

(94)

यदि तेरह-पन्थी छोग यह कहें, कि प्रतिलेखन करना हमारा घार्मिक कृत्य है, और इस कृत्य को निस्य दोनों समय करने के लिए भगवान की आज्ञा है, इसलिए हमको करना पड़ता है तथा इसमें वायुकाय के जीवों की जो हिंसा होती है, वह श्वम्य वथवा नगण्य है; तो हम उनसे पूछते हैं कि भगवान की आज्ञा होने पर भी, अथवा प्रतिलेखन के कार्य की वायुकायिक हिंसा नगण्य एवं श्वम्य होने पर भो वायुकायिक जीवों की हिंसा तो हुई या नहीं ? और यह हिंसा त्रसकायिक जीवों की हिंसा तो हिए ही हुई या और किसी लिए ? तथा इस प्रकार आपने अथवा भगवान ने वायुकाय के एकेन्द्रिय जीवों की अपेक्षा त्रस काय के जीवों को बड़े माने या नहीं ?

तेरह-पन्थी साधु कहें कि प्रतिलेखन करने का उद्देश्य हमारा त्रसकायिक जीवों को बचाना नहीं है, किन्तु हमको अपने वस्त्र, पात्र या शरीर द्वारा होने वाली हिंसा से बचना है ।

बहुत ठीक, त्रम्न जीवों की हिंसा से बचने के लिए ही सही, वायुकायिक जीवों की हिंसा तो हुई या नहीं ? असंख्य वायुकायिक जीवों की हिंसा करने पर ही आप थोड़े से त्रस जीवों की हिंसा से अपने को बचा सके न ? फिर एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय बराबर कैसे रहे ?

यदि आपके नेश्राय में वस्त्र—पात्र हैं, इसछिए उनके द्वारा Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat www.umaragyanbhandar.com (38)

होने वाछी हिंसा का पाप आपको छग सकता है, और आप उस पाप से बचने के छिए ही असंख्य वायुकायिक जीवों की हिंसा करते हैं, और अपना पाप टाडने के छिए आपने जिस जीव को बचाया है, उसके बचने का पाप आपको नहीं छगा, तो क्या आप गृहस्थ के छिए भी ऐसा मानते हैं ? मान छीजिये कि एक गृहस्थ ने एक छुआँ खुदवाया। उस छएँ में एक गाय गिर गई। गृहस्थ ने उस गाय को छुएँ में से निकाड कर अपना पाप टाडा और उसकी रक्षा की; तो आपके सिद्धान्तानुसार उस गृहस्थ को कोई पाप तो नहीं हुआ ? अधि पाप हुआ, तो आपने प्रतिलेखन ढारा जिन जीवों को बचाया, उन जीवों के बचने से आपको पाप क्यों नहीं हुआ ?

असरदार शहर में सोहनलालजी बरड़िया नाम के एक सजन हैं जो कट्टर तेरह-पन्थी श्रावक थे। सन् १९२८-२९ के लगभग वे अपना एक मकान बनवा रहे थे। मकान बनाने के लिए पानो भरने के वास्ते उन्होंने मकान के सामने एक हौज़ बनवाया था। उस हौज़ में पानी भरा हुआ था। एक बल्लिया (गाय की बछड़ी) उस हौज़ में गिर गई और तड़फड़ाने लगी। सोहनलालजी भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने स्वयं अपने मज़दूरों की सहायता से उस बल्लिया को निकाल दिया। कुछ दूसरे लोग जो तेरह-पन्थी नहीं थे, वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने सोइनलालजी से कहा कि आपके धर्मानुसार तो आपका बल्लिया को निकाल देने का कार्य पाप हुआ। सोइनलालजी ने कहा कि पाप क्यों हुआ ? मैंने बल्लिया को कष्ट तो दिया ही नहीं है, बल्कि कष्ट से बचाया (**ĵ**o)

और सुनिये! आप रजो-हरण क्यों रखते हैं ? पैर के नीचे कोई त्रस जीव आकर दब न जावे, इसीलिए या और किसी कार्य के लिए ? परन्तु रजोहरण हिलाने में वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है या नहीं? असंख्य वायुकायिक जीवों की हिंसा करके तब कहीं आप थोड़े से त्रस जीवों को बचा पाते हैं। ऐसी दशा में एकेन्द्रिय जीवों की अपेक्षा त्रस जीवों का महत्व अधिक रहा य: नहीं ? त्रस जीवों की रक्षा के लिए एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा की गई या नहीं ?

ही है। सोहनलालजी के बाप दादा तेरइ-पन्थी आवक थे, इसी से सोइनलालजी भी तेरह-पन्थी आवक कहलाते थे, परन्तु वास्तव में तेरह पन्थ के सिद्धान्त क्या और कैसे हैं ? यह उनको पतान था। लोगों ने सोइनलालजी से कहा कि आप हम पर नाराज़ मत होइए: किन्तु तेरह-पन्थ सम्प्रदाय के आचार्य, पूज्य श्री काऌरामजी महाराज यहीं विराजते हैं, उन्हीं से जाकर पूछ लीजिये । सोइनलालजी बरडि़या उस्रो समय श्रो काऌरामजी महाराज के पास गये। उर्न्होंने श्री कालुरामजी महाराज को समस्त घटना कह सुनाई और प्रइन किया कि केरड़ी के बचा देने से मुझे धर्म हुआ या पुण्य अथवा पाप हुआ ? श्री काल्डरामजी महाराज ने कहा कि न धर्म हुआ, न पुण्य हुआ, किन्तु पाप हुआ। सोइनलालजी ने कहा कि ऐसा क्यों ? मैंने उस केरदी को कोई दुःख तो दिया ही नहीं है, फिर मुझे पाप क्यों हुआ ? श्री कालू-रामजो ने कहा कि वह केरड़ी जिसे तुमने बचाई है, खायेगी, पीयेगी, जिसमें असंख्य जोवों की हिंसा होगी, फिर वह मैथुन का पाप करेगी, उसकी सन्तान होगी, वह भी खायेगी, पियेगी और मैथुनादि पाप

()</

तीसरी दछीड सुनिये ! तेरह-पन्थी साधु से यदि यह प्रइन किया जावे कि आप विहार करके यहाँ क्यों आये हैं ? तो वे यही कहेंगे कि धर्म प्रचार के डिए, अथवा छोगों को शुद्ध धर्म बताने के डिए, या अपने गुरु की आज्ञा पाछन करने के डिए ।

करेगी। इस प्रकार उस केरड़ी के कारण पाप की जो परम्परा चली, वह तुम्हें भी लगेगी।

उस दिन सोहनलालजी को अपने धर्म का असली स्वरूप ज्ञात हुआ। उन्होंने श्रो कालुरामजी महाराज से कहा कि आप अपने धर्म को अपने पास ही रखिये, मुझे आपका यह धर्म नहीं चाहिए। मैं तो धर्म का सार यह समझता था कि—

"आत्मनः मतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।" अर्थात्----जो अपने आत्मा को बुरा लगता है, वह व्यवहार दूसरों के साथ न करो, किन्तु दूसरे के साथ भी वह व्यवहार करो जो अपने आत्मा को अच्छा लगता है।

इसके अनुसार यदि मैं पानी में हूबने लगता तो यही चाहता कि कोई मुझे बचाले। यही बात वह केरड़ी भी चाह रही थी। फिर मैंने बचा दिया तो मुझे पाप कैसे हो गया? कदाचित् किसी दिन मैं भी पानी में दूबने लगूँ और कोई आपके सिद्धान्त का अनुसरण करके मुझे न निकाले, तो मुझे कितना दुःख होगा। इसलिए आज से मैं तेरह-पन्थ सम्प्रदाय को त्यागता हूँ। मैं किसी धर्म का अनुयायी न रहना तो अच्छा मानूँगा, परन्तु तेरह-पन्थ का अनुयायी कदापि न रहूँगा।

उस दिन से सोहनलालजी ने तेरह-पन्थ सम्प्रदाय को सदा के लिए थ्वाग दिया। (99)

परन्तु आप यहाँ इतनी दूर चढ कर आये, इसमें कितने वायु-कायिक एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा हुई ? साथ ही थोड़ी बहुत अन्य स्थावर तथा त्रस जीवों की भी हिंसा हुई होगी । यह हिंसा त्रापने किसके हित के लिए की ? आपका धर्म कौन सुनेगा ? आपके धर्म से किसको लाभ होगा ? मनुष्य ही सुनेंगे या एकेन्द्रियादि जीव भी ? आपके धर्म से यदि कुछ लाभ होगा तो मनुष्य को ही होगा या एकेन्द्रियादि जीवों को ? डनके लाभ के विषय में तो आप स्पष्ट कहते हैं—

केइक अज्ञानी इम कहे, छः काया का जे हो देवाँ धर्म जपदेश। एकण जीव ने समझावियाँ, मिट जावे हो घणा जीवां रा क्लेश। छः काय घरे शान्ति हुवे, एहवा भाषे हो अन्य तीर्थी धर्म। त्याँ भेद न पायो जिन धर्म रो ते तो भूल्या हो खदय आया अग्नुभ कर्म॥ ('अनुकम्पा' ढाल पाँचवीं)

इस कथनानुसार आपका उपदेश और किसी के कल्याण के िए तो है ही नहीं। कैवल वन्हीं के कल्याण के लिए हो सकता है, जो झान, दर्शन, चारित्र श्रौर तप स्वोकार कर सकते हैं और ऐसा मनुष्य ही कर सकते हैं। इस प्रकार आपका श्रागमन केवल मनुष्यों के हित के लिए ही रहा न ? परन्तु मनुष्यों कं (20)

हित के लिए आपने कितने एकेन्द्रिय और त्रस जीवों की हिंसा की ? चाहे आपको विहार, धर्म-प्रचार आदि के लिए गुरु या भगवान की आज्ञा भी हो, परन्तु आज्ञा होने के कारण वायुकायिक आहि जीवों की हिंसा को अहिंसा तो नहीं कही जा सकती । यदि ऐसी हिंसा अहिंसा हो, तो फिर इरियावही किया ही क्यों छगे ? दै तो वह हिंसा ही, जो मनुष्यों के हित के लिए चाहे की गई हो । इस प्रकार आपने या भगवान ने एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों में भिन्नता मानी या नहीं ? एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय आयवा स्थावर और त्रस समान तो नहीं रहे न ? यदि समान ही हों तो थोड़े से मनुष्यों के हित के लिए वायुकायादि के आसंख्य जीवों की हिंसा क्यों की जावे ?

चौथी दलीछ देखिये ! तेरह-पन्थी साधु आहार पानी के िए इधर उधर घूमते हैं, तथा आहार पानी करते हैं। इस कारण दिशा जंगठ भी जाना पड़ता है। इस आवागमन में तथा श्वासोछास छेने में असंख्य वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है, या नहीं ? यह हिंसा वे क्यों करते हैं ? यदि साधु होते ही वे संधारा कर लेते तो यह हिंसा तो बच जातो या नहीं? इतने जीवों की हिंसा करके वे अपने एक मानव शरीर की रच्चा करते हैं या और कुछ करते हैं ? यदि एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव समान हैं, तो फिर तो एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा से बचने के छिए संयम (२१)

छेते ही संयारा कर छेना चाहिये था। भगवान ने भी जीवों की दया के छिए संथारा करने—आहार पानी त्याग कर एक स्थान पर पड़े रहने की त्राज्ञा दी है। संथारे को त्र्याप भी पाप तो नहीं मानते, किन्तु धर्म ही मानते हैं। त्र्यौर आप कहते हें —

जो अनुकम्पा साधु करे तो, उपदेश दे वैराग्य चढ़ावे । चोखे चित पेलो हाथ जोड़े तो चारों ही आहार रो त्याग करावें ॥

('अनुकम्पा' ढाल पहली) अर्थात्--साधु यह अनुकम्पा करते हैं, कि डपदेश देकर वैराग्य चढ़ाते हैं और यदि वह व्यक्ति प्रसन्नता से हाथ जोड़ता है, तो उसको चारों ही आहार का त्याग कराते हैं।

इस प्रकार अनुकम्पा करके साधु दूसरे को चारों आहार का त्याग कराते हैं, तो स्वयं ही अनुकम्पा के छिए साधु होते ही संथारा क्यों नहीं कर छिया करते ? यदि कहा जावे कि समय से पहछे संथारा करने की भगवान की आज्ञा नहीं है, तो क्यों नहीं हैं ? जीवित रहने से वायुकायिकादि जीवों की हिंसा होती है, यह जानते हुए भी भगवान ने समय से पहिछे संथारा करने की आज्ञा नहीं दी, तो धन्होंने क्यों आज्ञा नहीं दी ? क्या वे चाहते थे, कि वायुकायिकादि जीवों की हिंसा को जावे ? जब उन्होंने वायुकायिकादि जीवों की हिंसा को जानते हुए भी समय

X

(२२)

से पहले संथारा करने की आज्ञा नहीं दी, तो इससे स्पष्ट है, कि उन्होंने असंख्य एकेन्द्रिय जीवों की अपेत्ता 'मनुष्य-जीवन को अधिक माना है और तेरह-पन्थी साधु भी ऐसा ही मानते हैं, तभी तो इतनी हिंसा करके भी जीवित रहते हैं।

अब पाँचवीं दलील सुनिये ! साधु जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब यदि मार्ग में नदी आती हो, तो उस नदी को पार करते हैं। यदि नदी में नाव लगती हो, तब तो नाव के द्वारा नदी पार करते हैं श्रोर यदि नाव नहीं खगती है, तथा पानी घुटने से नीचे है, तो पानी में उतर कर पार जाते हैं। चाहे नाव में बैठकर जावें या पानी में उतर कर जावें, अपकायिक जीवों की हिंसा तो होती ही है। भगवान ने जल के एक एक बिन्दु में पानी के असंख्य २ जीव कहे हैं। जल के आश्रित निगोद है, और निगोद में अनन्त जीव भी हैं। उन जीवों की हिंसा करके साधु, पार जाते हैं, परन्तु जाते हैं किस लिए ? लोगों को धर्मो-पदेश सुनाने के छिए ही न ? श्रीर उनके द्वारा सुनाये जाने वाले ंघर्मोपदेश से यदि किसी को फायदा होता है, तो ज्ञान, दुर्शन, चारित्र तथा तप स्वीकार करने वाले थोड़े से मनुष्यों को ही। यदि एकेन्द्रिय जीव श्रौर पंचेन्द्रिय जीव समान हैं, तो फिर असंख्य बल्कि अनन्त जीवों की हिंसा थोड़े से मनुष्यों के हित के लिए क्यों की जाती है ? वह एक बार दो बार नहीं, किन्तु (२३)

आचारंग सूत्र के श्रनुसार साधु एक मास में दो बार नदी उतर सकते हैं। ऐसी दशा में एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव समान कैसे रहे ? यदि समान होते तो क्या भगवान शास्त्र में इस तरह का विधान कर सकते थे ?

छठी दलील भी देखिये ! साधु जब चलते फिरते हैं, तब वायुकायिक जीवों की भी हिंसा होती है और समय पर जलकाय तथा वनस्पति काय के जीवों की भी। इस तरह से दिन भर प्रत्येक साधु द्वारा असंख्य असंख्य जीवों की हिंसा हो जातो है। दूसरी ओर मान छीजिये कि एक साधु के पैर के नीचे आकर एक पंचेन्द्रिय त्रस जीव मर गया। क्या पंचेन्द्रिय के मरने का प्रायश्चित भो उतना ही होगा, कि जितना प्रायदिचत चढने फिरने से मरने वाल्ले वाय, जल और वनस्पतिकायिक जीवों के लिप होता है ? यदि उतना ही प्रायदिचत होता है, तो क्यों ? पंचेन्द्रिय त्रस जीव तो एक ही मरा है और वायु, जड, वनस्पति के श्रसंस्य तथा अनन्त जीव मरे हैं। फिर एक तरफ असंख्य जीव का प्रायहिचत समान क्यों है ? और यदि उस त्रस जीव के लिए अधिक प्रायश्चित लेना पड़ा, तो अधिक क्यों लेना पड़ा ? जब कि श्रापकी मान्यतानुसार जीव जीव सब समान हैं, चाहे पकेन्द्रिय हो, द्वीन्द्रिय हो या पंचेन्द्रिय हो । इन दोनों ही बातों से स्पष्ट है कि स्थावर जीवों की अपेत्ता त्रस जीव का महत्व (२४)

अधिक है और एक त्रस जीव की समानता में असंख्य ही नहीं, बल्कि झनन्त स्थावर जीव भी नहीं हो सकते।

सातवीं दछीछ देखिये ! तेरह-पन्थी छोग एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय को समान तो बताते हैं, लेकिन वे अपने इस सिद्धान्त पर टिक नहीं सकते। मनुष्य जीवन-निर्वाह के छिए नित्य असंख्य और अनन्त एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा करते हैं। अन्न में भी जीव हैं, पानी में भी जीव हैं, वनस्पति में भी जीव हैं और अग्नि आदि में भी। मनुष्य के जीवन-निर्वाह के लिए इस प्रकार की हिंसा श्रनिवार्य मानी जाती है। कदाचित् कोई व्यक्ति तेरह-पन्थियों के सिद्धान्त पर विचार करे और सोचे कि बाजरे, गेहूँ या मोठ के एक एक दाने में भी एक एक जीव है और साग तरकारी में तो असंस्य या अनन्त जीव हैं, छेकिन एक बकरे में एक हो जीव है, फिर जब एक ही जीव की हिंसा से मेरा काम चढ सकता हो, तो गेहूँ, बाजरे, मोठ या साग के असंख्य जीवों की हिंसा क्यों की जावे ? इस तरह इनके सिद्धान्त को कोई इस रूप व्यवहार में छाने छगे और गेहूँ, बाजरा, मोठ श्रीर साग के श्रनन्त जीवों की हिंसा से बचकर एक ही **बकरे की हिंसा** से अपना काम चढाने ढगे, तो क्या यह ठीक होगा ? कदाचित तेरइ-पन्यी कहें कि मॉस-अक्षण निषिद्ध है, तो हम उनसे कहेंगे, कि मॉस भी जीव का कलेवर है और गेहूँ का आटा भी जीवों

(२५)

का कलेवर ही है। आपकी दृष्टि में जीव जीव में तो अन्तर है ही नहीं। फिर गेहूँ, बाजरे का कल्लेवर न खाकर बकरे का कलेवर खाने वाले ने तो आपके सिद्धान्तानुसार बहुत जीवों की हिंसा ही टाल्ली है। एक जीव की हिंसा करके असंख्य जीवों की हिंसा से बचा है, फिर आपके सिद्धान्तानुसार उसने क्या बुरा किया ?

इस युक्ति पर से तेरइ-पन्थी साधु यह इड़ा मचावेंगे कि जैन होकर इस तरह का उदाहरण देते हैं। शर्म भी नहीं आती। परन्तु तेरइ-पन्थियों को भी शर्म नहीं आती, जो कहते हैं कि—

(१) कबूतर को दाना डाळना पाप है, क्योंकि प्रत्येक दाने में जीव है।

(२) किसी को पानी पिछाना पाप है, क्योंकि पानी की एक एक बूंद में ऋसंख्य असंख्य जीव हैं।

(३) गायों को घास डालना, लंगड़े अन्धे को रोटी देना और मॉ बाप की सेवा करना पाप है।

(४) कसाई से गाय को छुड़ा देना पाप है।

तेरह-पन्थी छोग अपने आपको जैन और भगवान महावीर के अनुयायी बताकर जब इस तरह के और ऐसे ही दूसरे कामों को पाप बताने में नहीं शर्माते, तब उन्हीं के सिद्धान्त पर दी गई दछोछ के विषय में वे क्यों चिद्देते हैं ? (२६)

भाठवीं दलील सुनिये ! मान लीजिये कि तेरह-पन्थी साधु के पास तीन त्र्यादमी आये और कहने छगे कि हम त्र्यापके श्रावक होना चाहते हैं : उन तीनों में से एक आदमी ने कहा कि महाराज ! आप इन दो आद्मियों को अपना श्रावक मत बनाइये । ये छोग महान हिंसक हैं। ये छोग जब महान हिंसा त्याग कर मेरो तरह अल्प हिंसा से आजोविका करें, तब इनको श्रावक बनाइयेगा । देखिये, इनमें से यह एक आदमी तो गेहूँ श्रीर बाजरा पीस कर आटा बेचता है। गेहूँ और बाजरे के प्रत्येक दाने में एक एक जीव है, इसलिए यह नित्य प्रति असंख्य जीवों का संहार करता है। यह दूसरा आदमी दिन भर तरवूज काट काट कर बेंचता रहता है। वनस्पति में असंख्य २ जीव हैं, इसलिए यह निस्य प्रति असंख्य जीवों की हिंसा करता है। हेकिन मैं दिन भर में फेवल एक बकरा, पैसे देकर दूसरों से कटवाता हूँ और उसका गोइत बेंच छेता हूँ। इस प्रकार मैं, एक ही जीव की हिंसा से अपनी आजीविका करता हूँ और वह हिंसा भी स्वयं नहीं करता, किन्तु दूसरे से करवाता हूँ, तथा मैं गोइत भी नहीं खाता हूँ। इसलिए आप मुमे हो शावक बना स्त्रीजिये ।

े तेरह-पन्थी साधु किसे अपना श्रावक बनावेंगे और किसे न बनावेंगे ? बकरे की हिंसा त्याग देने पर श्रावक बनाना दूसरी

(२७)

बात है, लेकिन तीनों आदमी अपना अपना व्यवसाय त्यागे बिना ही यदि आवक होना चाहें, तो तेरह-पन्यी किसको तो आवक बनावेंगे और किसको न बनावेंगे ? क्योंकि उनको दृष्टि में तो सब जीव समान हैं । इसडिए बकरे द्वारा आजीविका करने वाले को ही अपना आवक बनाना चाहिये, दूसरों को नहीं । ऐसा होते हुए भी यदि वे बकरे द्वारा आजीविका करने वाले को अपना आवक नहीं बनाते हैं, तो फिर यह किस बिना पर कहते हैं, कि एवेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव को हिंसा समान है ? अथवा एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव की हिंसा समान है , अथवा एकेन्द्रिय को मारकर पंचेन्द्रिय का पोषण करना पाप हैं ।

नवमीं दल्लील सुनिये । जैन शास्त्रों में त्रस-पंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा करने वाले को नरक जाना कहा है, परन्तु क्या कहीं यह भी कहा है कि स्थावर जीव की हिंसा के पाप से कोई नरक में गया ? तेरह-पन्थियों से ही प्रदन किया जावे कि एक आदमी नित्य सवा सेर आन्द्र खाता है त्रौर प्रत्येक आन्द्र में अनन्त २ जीव हैं। इसके सिवाय वह त्रौर कोई पाप नहीं करता। लेकिन दूसरा त्रादमी जमीकन्द या लीलोत्री को छूता भी नहीं है, परन्तु उसने जीवन भर में केवल एक मनुष्य, गाय, बकरे या सॉप को मार डाला है। तो आपके सिद्धान्तानुसार नरक में कौन जावेगा? त्रौर यदि दोनों ही नरक जावेंगे तो अधिक स्थिति किसकी होगी? (२८)

तथा आप जो कुछ उत्तर दे रहे हैं, उसको किस शास्त्र के किस पाठ का समर्थन प्राप्त है ?

त्रान्तम दसवीं दलील देकर इम इस विषय को समाप्त कर देंगे। भगवान अरिष्टनेमि को संयम लेने से पूर्व तेरह-पन्थी आवक जितना ज्ञान तो रहा ही होगा। यानी इतना तो वे जानते ही होंगे कि जल की एक एक बूंद में असंख्य २ जीव हैं। ऐसा होते हुए भी उन्होंने राजमति के यहाँ जाने से पूर्व मिट्टी, ताँबा, पीतल, सोने और चाँदी इनमें से प्रत्येक के बने हुए एक सौ आठ घड़ों के जल से स्नान किया। यह कितने जीवों की हिंसा हुई ? फिर बरात सजाकर राजमती के यहाँ गये। उसमें भी कितने त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा हुई होगी ? इतनी बड़ी-बड़ी हिंसा के समय तो वे कुछ भी न बोले और राजमति के वहाँ बाड़े में बन्द पठ्ठओं को देखकर कहा---

जइमज्झ कारणा ए ए, हम्मंति सु बहुजिया । न मे एयं तु निस्सेसं, परलोगे भविस्सई ॥ ('उत्तराघ्ययन सूत्र' २२ वाँ अघ्याय)

त्र्यात्—मेरे कारण होने वाछी यह बहुत जीवों की हिंसा, मेरे डिए परडोक में श्रेयकारी नहीं हो सकती। भगवान् अरिष्टनेमि के डिए पूर्व के इक्कीस तीर्थट्कर स्पष्ट कह गये थे, कि अरिष्टनेमिजी बाड ब्रह्मबारी रहेंगे त्रौर भगवान (२९)

अरिष्टनेमि स्वयं भी जानते थे कि मुझको विवाह नहीं करना है। ऐसा होते हुए भी उन्होंने अपने विवाह की तैयारी का ही विरोध क्यों नहीं किया; किन्तु स्नान द्वारा असंख्य एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा की और वारात द्वारा होने वाछी त्रस तथा स्थावर जीवों की हिंसा भी देखते रहे। इन दोनों हिंसाओं का उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, न उनके विषय में यही कहा, कि यह हिंसा परछोक में मेरे छिए श्रेयस्कर नहीं हो सकती। बल्कि स्नान द्वारा जडकाय आश्रित अनन्त जीवों की हिंसा तो उन्होंने आपने हाथ से ही की थी।

बाड़े में बन्द पशु पक्षियों की जो हिंसा होती, वह उनके स्वयं के हाथ से न होती। इसके सिवाय बाड़े में बन्द पशु-पत्तियों की संख्या भी सीमित ही हो सकती है। सौ-दो सौ, इजार-दो हजार या अधिक से अधिक दस हजार मान छोजिये। लेकिन जर के जो स्थावर जीव मरे, उनका तो अन्त ही नहीं है, न उन जीवों की ही संख्या हो सकती है, जो वारात के सजने और जाने में त्रस तथा स्थावर जीव मारे गये। फिर बाड़े में बन्द योड़े से जीवों की हिंसा के छिए तो कहा कि मेरे छिए परछोक में यह हिंसा श्रेयस्कर नहीं हो सकती और जलादि के अनन्त जीवों के छिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा, न उनकी हिंसा के छिए सेद या पश्चाताप ही किया।

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

ų

(३०)

ऐसी दशा में एकेन्द्रिय जीव से पंचेन्द्रिय जीव प्रधान रहे था नहीं ? और एकेन्द्रिय जीवों की उपेत्ता करके भी पंचेन्द्रिय जीवों की रत्ता करना सिद्ध हुआ या नहीं ? फिर जब सारथी ने उन वाड़े और पींजरे में बन्द पशु-पक्षियों को खोछ दिया, तब भगवान अरिष्टनेमि ने सारथी को अपने आभूषण इनाम में दिये। जो पशु-पक्षी जीवित रहे, वे कितनी हिंसा करेंगे। उस हिंसा को जानते हुए भी भगवान ने सारथी को पुरस्कार क्यों दिया ?

तेरह-पन्थो छोगों के सिद्धान्तानुसार तो किसी जीव को कुछ देना पाप है, किसो जीव के प्रति करुणा करना राग है, जो अनेक भव तक जन्म-मरण कराने वाली है। फिर भगवान अरिष्टनेमि ने दोनों हो काम क्यों किये ? जीवों पर करुणा भी की, तथा उनको बचाया भी। फिर भी उन्हें भव-भ्रमण करना न पड़ा, वे तद्भव ही सिद्ध हुए। यदि भगवान अरिष्टनेमि की इच्छा जीवों को बचाने की न होती, तो बेचारे सारथी की क्या ताकत थी, जो वह उप्रसेन के बाढ़े पींजरे में बन्द पशु-पत्तियों को स्रोछ देता। और कदाचित सारथी ने उनकी इच्छा न होने पर भी पशु-पत्तियों को छोड़ दिया था, तो भगवान त्ररिष्टनेमि ने अपने त्राभूषण पारितोषिक रूप में उसको क्यों दिये ? यदि वैराग्य आजाने से दिये तो मुकुट क्यों न दे दिया ?

(३१)

तेरह-पन्थी तो कहते हैं कि---

धन धान्यादिक लोकां ने दिया यह तो निश्चय ही साबद्य दानजो | तिण में धमें नहीं जिण राज रो तें भाष्यो बे श्री भगवानजी ||

('अनुकम्पा' ढार्लं १२ वीं)

अर्थात्— छोगों को धन धान्य देना निश्चय ही सावद्य (पाप) द्वान है। उसमें जिनराज का धर्म नहीं है, ऐसा श्री भगवान ने कहा है।

इसके अनुसार भगवान अरिष्ठनेमि ने सारथी को आभूषण देकर क्यों पाप किया ? जिसमें धर्म नहीं हैं, त्रौर जो सावद्य (पाप) है, वह दान भगवान अरिष्ठनेमि ने क्यों दिया ?क्ष क्या उनको तेरह-पन्थ के एक साधारण साधु एवं आवक जितना ज्ञान भी

अतेरइ-पन्थी छोग दान में पुण्य नहीं मानते । यदि वे दानादि से पुण्य का बन्ध होना मानते हों, तब तो फिर चाहिए ही क्या । छेकिन वे तो स्पष्ट कहते हैं कि—

"पुण्य तो धर्म लारे बंधे छे, ते शुभ योग छे। ते निर्जरा विना पुण्य निपजे नहीं। ते माटे असंयति ने दियां धर्म पुण्य नहीं।"

('भ्रम-विध्वंसन' दानाधिकार बोल २०)

अर्थात् पुण्य तो निर्जरा के साथ उत्पन्न होता है, इसलिए असंयति को देने से न धर्म है न पुण्य ।

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

(३२)

न था ? तेरह-पन्थ के सिद्धान्तानुसार, असंयति होने के कारण बह सारथी कुपात्र था, अ इसलिए उन्होंने कुपात्र को आभूषण तथा वर्षी दान देकर मॉस-भक्षण व्यसन कुशीढादिक के समान पाप क्यों किया ?† तेरह-पन्थी छोग चाहे भगवान अरिष्टनेमि के इन कार्यों को भी पाप कहने का साहस कर डालें, परन्तु वास्तव में भगवान अरिष्टनेमि के चरित्र से यह स्पष्ट है कि---

(१) एकेन्द्रिय की अपेक्षा यंचेन्द्रिय जीवों की रक्षा प्रधान है, एकेन्द्रिय जीवों की रक्षा गौण है।

(२) पंचेन्द्रिय जीवों की रत्ता के छिए एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा महस्व सूचक नहीं है।

(३) साधु के सिवाय झन्य छोगों को दान देना पाप

इन समस्त दुछी छों द्वारा यह बताना इष्ट है कि एकेन्द्रिय

नहीं है ।

* ''साधू थी अनेरा कुपात्र छे। तेहने दीघां अनेरी प्रकृति नो बंध ते अनेरी प्रकृति पाप नी छे।" ('भ्रम-विध्वंसन' दानाधिकार बोल १८)

भर्थात्—साधु के सिवा सब लोग कुपात्र हैं और कुपात्र को देने से दुसरी प्रकृति पाप की है, उसका बंध होता है।

र्भ "कुपान्न दान, माँसादि सेवन, ब्यसन कुशीलादिक ये तीनों ही एक मार्ग के ही पथिक हैं।"

('भ्रम-विष्वंसन' दानाधिकार बोल २१ का फुटनोट)

(३३)

और पंचेन्द्रिय जीव समान नहीं हैं, किन्तु एकेन्द्रिय जीवों की अपेक्षा पंचेन्द्रिय जीवों का महत्व बहुत अधिक है। पंचेन्द्रिय जीव की रत्ता के लिए एवं पंचेन्दिय जीव के कल्याण के लिए एकेन्द्रिय जोवों की हिंसा नगण्य है। एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा होते हुए भी पंचेन्द्रिय जीव (मनुष्य) का हित साधु को करना, जैन शास्त्र सम्मत है। तेरह-पन्धी लोग दया दान के विरोधी होने से ही एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव को समान बताकर एकेन्द्रिय की हिंसा के नाम पर पंचेन्द्रिय की रक्षा को पाप बताते हैं। वे छोगों को धोखे में डाछते हैं, छोगों में भ्रम फैडाते हैं श्रीर जैन भर्म के नाम पर छोगों को उल्टे मार्ग पर छे जाते हैं । यदि ऐसा नहीं है, तो फिर तेरह-पन्थी साधु स्थावर जीवों की रक्षा के लिए----

- (१) प्रतिलेखन करना क्यों नहीं त्यागते ?
- (२) रजोहरण का उपयोग करन। क्यों नहीं छोड़ते ?
- (२) प्रामानुग्राम विहार करना क्यों नहीं त्यागते ?
- (४) आहार-पानी त्याग कर संथारा क्यों नहीं कर छेते ?
- (५) नदी के पार जाना क्यों नहीं छोड़ते ?

(६) पंचेन्द्रिय जीव के मर जाने पर ज्यादा प्रायश्चित क्यों लेते हैं ?

(७) मॉॅंस-भक्षी की अपेत्ता अन्न वा वनस्पति-मोजी को बड़ा पापी क्यों नहीं मानते ? (३४)

(८) बकरे के बध और व्यवसाय द्वारा आजीविका करने वाळे को आवक क्यों नहीं बनाते ?

(९) पंचेन्द्रिय जीव की अपेत्ता एकेन्द्रिय जीव के हिंसक को श्रधिकाधिक नरक होना क्यों नहीं मानते ?

मतल् यह है कि एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव समान नहीं हैं। पंचेन्द्रिय जीव की रक्षा के सामने एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा महत्व-पूर्ण नहीं है। क्योंकि धर्म का विधान करते हुए मंगवान तीर्थङ्करों ने गृहस्य के डिए स्थावर जीवों की पूर्ण द्या अशक्य जानी, तब श्रावक व्रतों में त्रस जीव की हिंसा त्यागना भावंश्यक बताकर उसे त्यागने का विधान किया है। इसलिए महा झानियों की दृष्टि में भी एकेन्द्रिय की ऋपेक्षा पंचेन्द्रिय की रत्ता विशेष महत्वपूर्ण है, और यह बात तेरह-पन्थियों के व्यवहार से भी सिद्ध है, जो ऊपर बताया गया है। इस सम्बन्ध में और भी बहुत-सी दछीलें देकर यह सिद्ध किया जा सकता है कि पंचेन्द्रिय जीवों की अपेक्षा एकेन्द्रिय जीव की हिंसा को तेरह-पन्थी छोग भी उपेक्षणीय मानते हैं, परन्तु पुस्तक का कलेवर बहुत बढ़ जावेगा, इसलिए हम इतनी ही दलीलें देकर सन्तोष करते हैं। और इस प्रकरण को समाप्त करते हैं।



Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

i.

www.umaragyanbhandar.com

मारा जाता हुत्रा जीव, कर्म की निर्जरा नहीं करता, किन्तु अधिक कर्म बाँधता है।

तेरह-पन्थी लोग कहते हैं कि जो जीव मर रहा है या कष्ट पा रहा है, वह अपने पूर्व संचित कर्म का मुगतान कर रहा है। ऐसे जीव को मरने से बचाना या उसकी सदायता करके उसको कप्ट-मुक्त करना, उस जीव को अपने ऊपर चढ़ा हुआ कर्म-ऋण चुकाने से वंचित रखना है। वे कहते हैं—

"साधु तो जीवाँ ने क्याँ ने बचावे ते तो पच रह्या निज कर्मों जी । कोई साधु री संगत आय करे तो सिखाय देवे जिन धर्मोजो ॥"

('अनुकम्पा' ढाल ६ वीं गाथा ३६)

"जो बकरा रो जीवणो वांछे नहीं लिगार । तिण ऊपर दृष्टान्त ते सांभलजो सुखकार ॥ साहुकार रे दोय सुत एक कपूत अवधार । ऋण करडी जागाँ तणू माथे करे अपार ॥

(३६)

दूजो स्रुत जग दीपतो यश संसार मझार। करडी जागाँ रो करज उतारे तिण बार॥ कहो केहने वरजे पिता दोय पुत्र में देख। वर्जे कर्ज करे तसु के ऋण मेटते पेख॥

समझ नर विरला।

कर्ज माथे सुत अधिक करंतो बार बार पिता बरंजतो रे। करडी जागाँ रा माथे काँय कीजे पत्यक्ष दुख पामीजे रे ॥ अधिक माथा रो कर्ज उतारे जनक तास नहीं वारे रे । पिता समान साधु पिछाणो रजपूत बकरो बे सुत मानो रे ॥ कर्मरूप ऋण माथे कुण करतो आगला कर्म कुण अपहरतो रे । कर्मरूप ऋण माथे कुण करतो आगला कर्म कुण अपहरतो रे । कर्मऋ्प रजपूत माथे करे थे बकरा संचित कर्म भोगवे छे रे ॥ साधु रजपूत ने वर्जे सुहाय कर्म करज करे काँय रे । कर्म बंध्धां घणा गोता खासी परभव में दुःख पासी रे ॥ सरवर पणे तिण ने समझायो

तिण रो तिरणो वंछचो मुनिरायो रे।

बकरा जिवावण नहीं दे उपदेश

रूढी ओलख बुद्धिवन्त रेसरे॥" ('भिक्षयद्य रसायन')

(३७)

भर्थात्--साधु जीवों को क्यों बचावें ? जो जीव दुःख पा रहे हैं, वे अपने कर्म से दुःख पा रहे हैं, इसलिए साधु उन्हें क्यों बचावें ? हाँ, यदि कोई आकर साधु की संगति करे, तो उसको जैन-धर्म अवश्य सिखा देवेंगे।

मारे जाते हुए बकरे का जीवित रहना क्यों नहीं इच्छा जाता (यानी मरते हुए जीव को क्यों नहीं बचाया जाता)। इस पर एक दृष्टान्त सुनिये ! साहकार के दो छड़के हैं, जिनमें से एक कपूत है, जो श्रपने सिर पर बहुत कठिन और अपार ऋण कर रहा है। लेकिन दूसरा लड्का संसार में सुप्रसिद्ध एवं यशस्वी है, जो कठिन ऋण चुका रहा है। अब बाप दोनों पुत्रों को देखकर किसको बर्जेगा, किसे हटकेगा और रोकेगा ? जो कर्ज कर रहा है उसको इटकेगा या जो कर्ज चुका रहा है उसको ? जो ढड्का अपने सिर पर ऋधिक ऋण कर रहा है, बाप उसको बार बार बर्जेगा श्रीर कहेगा कि इतना कठिन ऋण क्यों कर रहा है ? इस कर्ज करने का दुष्परिणाम प्रत्यक्ष ही भोगना होगा। जो ळड्का अपने सिर पर का कर्ज उतार रहा है, बाप उसको नहीं बर्जेंगा, उसको तो प्रशंसा ही करेंगा।

इस दृष्टान्त के अनुसार साधु, बाप के समान है और बकरा (मारा जाने वाला) तथा राजपूत (बकरे को मारने वाटा) दोनों साधु-रूपी पिता के दो पुत्र हैं। इन दोनों ६ (३८)

पुत्र में से कौन तो अपने सिर पर कर्म-रूपी ऋण चढ़ा रहा है, और कौन अपने पूर्व संचित कर्म-रूपी ऋण को चुका रहा है। यह देखो ! राजपूत (बकरे को मारने वाछा) बकरे को मारकर अपने सिर पर कर्म ऋण और चढ़ा रहा है, लेकिन बकरा, राजपूत के हाथ से मर कर अपने पूर्व संचित कर्म भोगने रूप अपने सिर पर का ऋण चुका रहा है। इसछिए साधु रूपी पिता, राजपूत (बकरा मारने वाछे) रूप पुत्र को हो वर्जेंगे कि अपने सिर पर कर्म-रूपी कर्ज क्यों करता है ? कर्म-रूपी कर्ज करने से तुमे बहुत चक्कर खाने पड़ेंगे श्रौर परभव में दुःख पाना होगा। इस तरह राजपूत-रूपी पुत्र को मुनिराज ने भद्धी प्रकार समझाया श्रीर उसका तिरना चाहा, परन्तु बकरे को जीवित रखने के छिए मुनिराज उपदेश नहीं देते । क्योंकि वह तो मरकर अपने पर का कर्म-ऋण चुका रहा है। उसको कर्म-रूपी ऋण चुकाने से मुनिराज-रूपी पिता क्यों रोके ? हे बुद्धिमानों ! इस रहस्य को अच्छी तरह सममो।

यह है तेरह-पन्थियों का सिद्धान्त । थोड़ी समझ वाले छोगों में यह सिद्धान्त भरने और उनसे अपना यह सिद्धान्त स्वीकार कराने के छिए तेरह-पन्थी छोग ७न छोगों के सामने चित्र रखते हैं, अथवा कंकर रखकर समझाते हैं, कि देखो, यह बाप है और ये दो पुत्र हैं। एक पुत्र अपने सिर पर कर्ज कर रहा है और (३९)

दूसरा पुत्र श्रपने सिर पर का कर्जे उतार रहा है। बाप किसको रोकेगा ? कर्ज करने वाले को रोकेगा, या कर्ज उतारने वाले को रोकेगा ? बेचारे भोले लोग कह देते हैं कि कर्ज करने वाले को ही बाप रोकेगा, लेकिन जो कर्ज उतार रहा है, उसके काम में बाप इस्तक्षेप क्यों करेगा ? तब तेरइ-पन्थी कहते हैं कि इसी तरह इस चित्र में साधु है, जो सब जीवों के बाप की तरह है। छः काय के जीवों के प्रति-प्राडक हैं और उनके सामने यह कसाई और यह बैछ है। ये दोनों ही साधु मुनिराज के पुत्र हैं। कसाई रूपी पुत्र बैंड रूपी पुत्र को मारकर अपने पर कर्म-रूप ऋण चढ़ा रहा है, लेकिन बैछ रूपी पुत्र मरकर अपने पर का कर्म ऋण चतार रहा है। ऐसी दुशा में साधु बैंड रूपी पुत्र को कर्म रूपी ऋण चुकाने से कैसे रोक सकते हैं ? यानी मरने से कैसे बचा सकते हैं ? यदि कर्म-ऋण चुकाते हुए पुत्र को भी साध-रूपी पिता रोकते हैं, तो पिता होकर भी उसका अहित करते हैं। इसो से हम कहते हैं, कि किसी मरते हुए जीव को बचाना, या दुःख पाते हुए जीव को दुःख मुक्त करना पाप है। क्योंकि ऐसा करने से वह अपने सिर पर का कर्म-ऋण चुकाने से वंचित रह जाता है।

साधारण बुद्धिवाळा त्रादमी तेरह-पन्थी साधुओं की इस कुयुक्ति को पहले तो ठीक मान बैठता है। वह क्या जाने कि ये (80)

छोग इमको उल्टा समझा रहे हैं। उसको माछ्म नहीं है कि जो जीव कसाई ढारा मारा जा रहा है, वह जीव भी महा कठिन कर्म बॉध रहा है किन्तु "पूर्व संचित कर्म चुका नहीं रहा है"। इस अजानकारी के कारण वे छोग तेरह-पन्थियों की बात को ठीक मानकर, मरते हुए जीव को बचाने, दीन-दुःखी की सहायता करने आदि समस्त परोपकार के कार्यों को पाप मानने छगते हैं और सोचते हैं कि जो मर रहा है या दुःख पा रहा है, वह अपने कर्म भोग रहा है। हम उसको कर्म भोगने से क्यों रोकें ?

तेरइ-पन्थियों की इस कुयुक्ति पर इम सत्य का श्रकाश डालकर बताते हैं, कि तेरइ-पन्थी साधुओं का यह कथन कितना झूठ, कितना घोखे में डालने वाला और कितना शाख-विरुद्ध है। तथा, यदि इसी सिद्धान्त का व्यवहार उन्हीं के साथ किया जावे, तो उनको बुरा तो न माऌ्म होगा ? वे काठियावाड़ या पंजाब आदि से जल्दी ही तो न लौट जावेंगे ?

सब से पहले यह देखना है कि क्या अज्ञान-पूर्वक कष्ट सहने या मरने से भो कर्म की सकाम निर्जरा होती है ? क्या चिछाते, रुदन करते तथा हाय बॉय करते श्रीर दुःख करते हुए मरने अथवा कष्ट सहने से कर्म ऋण चुकता है ? इन प्रइनों पर शाश्वीय दृष्टि से विचार करने पर माऌम होगा कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि इस प्रकार के मरण या कष्ट सहने से कर्म (83))

का ऋण चुकता हो, तो फिर संयम का पाळन श्रौर पण्डित-मरण व्यर्थ हो जावेंगे। फिर संयम छेने या पण्डित मरण से मरने की कोई आवश्यकता ही न रहेगी श्रौर धर्म ध्यान तथा शुरूध्यान भी निरर्थक सिद्ध होंगे।

श्रावक धर्म को जानने वाला है जिसके लिए सुत्र में बहुत ही विशेषण आये हैं। वह जानता है कि आर्त्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने से कमें का बन्ध होता है। इसलिए किसी भी समय म्रात्तें घ्यान, रौद्र ध्यान न त्र्याने देना चाहिए, चाहे कितने भी कष्ट क्यों न हों, ऋथवा कोई मार ही क्यों न डाले ? इस बात को जानते हुए भी ऐसे कितने श्रावक निकलेंगे, जो जान से मारे जाने या बहुत दिनों तक भूखे प्यासे रहने, अथवा चिरकाछीन रोग प्रस्त रहने को बात तो दूर रही, किसी के द्वार। एक थप्पड़ मार दिये जाने एर अथवा गाळी दी जाने पर, अथवा समय पर भोजन-पानी न मिछने से या थोड़ा सिर या पेट दुखने से त्रात्तं, रौद्र भ्यान या क्रोधादि न करते हों। जब सम्यक्त्व धारी देश-विरती श्रावकों को भी थोड़े ही से कष्ट में आर्त्त रौद्र ध्यान व कोधादि कषाय हो सकते हैं. तो जो छोग धर्म को बिल्क्रछ ही नहीं जानते, उन्हें उस समय कैसा भीषण आर्त रौद्र ध्यान होता होगा, जब कि वे किसी के द्वारा जान से मारे जाने छगते होंगे अथवा अन्न पानी न मिळने क्षुघा रुषा का कष्ट पाते होंगे (४२)

और किसी रोग द्वारा पीड़ित होते होंगे। किसी हिंसक या कसाई द्वारा किसी मारे जाते हुए जीव को देखो, कि वह कैसा दुःस्व पाता है, और किस प्रकार तड़फड़ाता एवं चिहाता हुआ मरता है।

जैन शाका स्पष्ट कहते हैं कि जो आर्त्त रौद्र भ्यान करता हुआ मरता है, वह इल्के कर्म को भारी करता है, मन्द रस वाले कर्म को तीव रस वाले करता है और अल्प स्थिति के कर्मों को महास्थिति के बनाता है। यथा श्री ज्ञाता सूत्र तथा उपासक दर्शांग सूत्र में श्रावक का वर्णन है। वहाँ बताया है कि देवता जिन श्रावकों को डिगाने आया, वहाँ ऐसा बोला है कि जो तू धर्म नहीं लोड़ेगा तो मैं तुमे अमुक २ कष्ट दूँगा। उस कष्ट जीवित रहित हो जावेगा, तब तेरा धर्म कहाँ रहेगा। इस प्रकार परवश मरने वाला आर्त्त रौद्र ध्यानवश बहुत कर्म बॉध लेता है।

कर्जा तो श्री गजसुकुमाढ जी सरीखे महापुरुष जिन्होंने सम्यक् प्रकार कष्ट को सहन किया वही चुकाते हैं, सब जीव नहीं चुकाते। वे तो अधिक कर्जा कर छेते हैं, शास्त्र ने तो ऐसा कहा है। और तेरह-पन्धी कट्टते हैं कि राजपूत द्वारा मारा जाता हुआ बकरा अपने सिर पर का कर्म रूपी ऋण चुकाता है। हम (४३)

तेरह-पन्थी साधुओं से ही पूछते हैं कि जो जीव धर्म को नहीं जानते, वे जब किसी के द्वारा मारे जाने छगेंगे, तब उनमें आर्त्त म्यान और रौद्र म्यान होगा, या धर्म म्यान और ग्रुङ म्यान होगा ? यदि धर्म न जानने पर भी बकरे को धर्म ध्यान और ग्रुङ ध्यान हो सकता है, तब तो धर्म की जरूरत ही क्या रही ? क्योंकि धर्म का उद्देश्य आत्मा में धर्म ण्यान तथा ग्रुक ध्यान छाना है। ये दोनों ध्यान यदि धर्म न जानने वाले पद्य को भी हो सकते हैं। तो फिर धर्म की जरूरत ही क्या रही ? और यदि धर्म न जानने वाले बकरे को राजपूत द्वारा मारे जाने के समय धर्म ध्यान तथा शुरू ध्यान नहीं हुआ, किन्तु आत्तें ध्यान और रौद्र ध्यान हुआ, तो आर्त्त ध्यान श्रौर रौद्र ध्यान से महान् कर्भ का बंध होता है या नहीं ? और यदि महान कर्म का बन्ध होता है, तौं आपका यह कथन कि ''बकरा अपने सिर पर का कर्म ऋण चुकाता है'' झूठ और शाख-विरुद्ध रहा था नहीं।

श्रब हम दूसरी दछोछ देते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है, तेरह-पन्थ का सिद्धान्त है कि "मारने वाडा अपने सिर पर कर्म ऋण करता है, इसडिए साधु डोग उसको उपदेश देकर कर्म ऋण करने से रोकते हैं, परन्तु जो मारा जा रहा है, वह अपने सिर पर का कर्म ऋण चुकाता है। इसडिए साधुरूपी पिता उस कर्म ऋण चुकाने वाडे को कर्म ऋण चुकाने से नहीं रोकने, बानी (88)

मरने से नहीं बचाते।" इम पर से प्रश्न किया जाता है कि साधु ने मारने वाले को कर्म ऋण न करने के छिए जो उपदेश दिया, वह उपदेश सफळ होने पर मारने वाला, जिसको मार रहा था, उसका कर्म ऋण चुकाना हक गया या नहीं? उसके कर्म ऋण चुकाने में अन्तराय पड़ गई और वह अन्तराय साधु ने डाळो. इसलिए साधुको अन्तराय डालनेका पाप हुआ या नहीं ? भविष्य में जो अन्तराय पड़ती है, उसका पाप उपदेश देने वाले को न छगना तो आप कहते हैं, छेकिन बकरे के लिए तो आपने वर्तमान में ही अन्तराय डाली है और वर्तमान में अन्तराय डाळना आप भी पाप मानते हैं । देखिये, भ्रमविष्वंसन पृष्ट ५० दानाधिकार में उपदेश के कारण दूसरे को होने वाळी अन्तराय के भविष्य में यह बताते हुए कि भूतकालीन श्रौर भविष्यकालीन अन्तराय से साधु को दोष नहीं आता है, आपके आचार्य कहते हैं कि---

"अन्तराय तो वर्त्तमान-काल में इज कही छे, पिण और वेलां कही नहीं"।

इसके अनुसार आपके सिद्धान्तानुसार मारने वाळे को भी डपदेश देना पाप हुआ या नहीं ? एवं मरने वाले को आपने अन्तराय दी या नहीं ? यह पाप क्यों करते हैं ? (84)

कदाचित यद कहो कि यद बात तो दान में अन्तराय डाडने बिषयक है। तो हम पूछते हैं कि दान लेने वाढा तो अपने पर ऋण कर रहा था और बकरा ऋण चुका रहा था। जब ऋण करने वाले को अन्तराय देना भी पाप है, तब क्या ऋण चुकाने वाढे को अन्तराय देना धर्म कैसे होगा ? अगर पाप नहीं मानते तो धर्म तो कहिये।

कदाचित यह कहो कि हमारा भाव कर्म ऋएा चुकाते हुए को अन्तराय देने का नहीं था, इसलिए हमको अन्तराय का पाप नहीं छग सकता, तो आपका यह उत्तर सुनकर तो हमको बहुत प्रसन्नता होगी। क्योंकि जब भाव न होने से आपको अन्तराय का पाप नहीं छग सकता, तब भाव न होने से कारण किसी मरते हुए प्राणी की रक्षा करने में वह पाप भी नहीं लग सकता, जो बचाये गए प्राणी द्वारा भविष्य में होंगे, बचाने वाले को जिनका छगना बताकर, जीव बचाने को आप पाप कहते हैं।

तीसरी द्छीड सुनिये ! मान छीजिये कि एक साधु को एक मास की तपस्या है । साधु को धर्म का ज्ञान है और वे सम भाव पूर्वक कष्ट सहन करके कर्म की निर्जरा करने के छिए ही साधु हुए हैं । उनको जब तक आहार नहीं मिडता है, तब तक उनके कर्म की महा निर्जरा होती है। क्योंकि आहार न मिडने पर भी साधु डोग आर्त्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो करेंगे ही नहीं। (४६)

वे तो क्षुधा के कष्ट को समता पूर्वक ही सहेंगे और समता पूर्वक कष्ट सहने से कर्म की महा निर्जरा होती है, यह बात जैन शाझ भी कहते हैं और आप भी मानते हैं। साथ ही आप यह भी कहते है कि कर्म ऋण चुकाते हुए को अन्तराय देना पाप है। जैसा कि आपने बकरे और राजपूत का उदाहरण दिया है।

श्रापके सिद्धान्त को मानने वाला यदि कोई आदमी सोचे कि आहार मिलने से मुनि के कर्म की निर्जरा होती हुई रुक जावेगी। ऐसा सोचकर वह स्वयं भी मुनि को पारणे के छिए आहार न दे, तथा औरों से भो कहे कि मुनि के कर्म की होती हुई निर्जरा मत रोको, तो उसका यह कार्य अनुचित तो न होगा ? इसके सिवा जो छोग मुनि को श्राहार देकर उनको कर्म ऋण चुकाने से रोक देते हैं, उनको पाप तो न होगा ? जिस तरह आपके उदाहरण में साधु, बकरे और राजपूत दोनों का बाप है, उसी तरह शाखा-नुसार श्रावक भी साधु के बाप हैं। जिस तरइ साधु, बकरे को कर्म ऋण चुकाने से नहीं रोकते, उसी प्रकार आवक को भी यही डचित है कि कर्म ऋण चुकाते हुए कर्म की निर्जरा करते हुए---साधु को वह न रोके। ऐसा होते हुए भी यदि कोई आवक साधु को आहार देकर उन्हें कर्म ऋण चुकाने से रोकते हैं, तो उनको भी वैसाही पाप हुआ या नहीं, जैसा पाप कर्म ऋण चुकाते हुए बकरे को बचाने से हो सकता है ? बल्कि आपके दृष्टान्त (४७)

में साधु, अपने मन से ही बकरे का बाप बना है, और अपने मन से ही यह भी कहता है कि बकरा मरकर कर्म ऋण चुका रहा है। इन दोनों वातों को शास्त्रीय समर्थन भी प्राप्त नहीं है, तथा ऊपर यह भी सिद्ध किया जा चुका है कि मरता हुआ बकरा, कर्म बॉंधता है, किन्तु चुकाता नहीं है। छेकिन श्रावक, साधु के बाप तुल्य है और आहार न मिछने पर साधु के कर्म की महा निर्जरा

होती है, इन दोनों ही बातों को शास्त्रोय समर्थन भी प्राप्त है। आप ही से पूछते हैं, कि शास्त्र में आवक को साधु का माता-पिता कहा है या नहीं ? और आहार न मिल्ले पर साधु को समाधि पूर्वक कर्म की निर्जरा करना कहा है या नहीं ? इसलिए जो आवक, साधु को आहार-पानी देता है और कर्म ऋण चुकाते हुए साधु को कर्म ऋण चुकाने से रोकता है वह तेरह-पन्थ के सिद्धान्तानुसार पापी हुन्ना या नहीं ? और तेरह-पन्थ के सिद्धान्तानुसार पापी हुन्ना या नहीं ? और तेरह-पन्थी लोग जिसकी महान महिमा गाते हैं, वह सुपात्र दान उन्हीं के सिद्धान्त से पाप ठहरता है या नहीं ? यदि साधु को आहार-पानी देना धर्म है, तो मरते हुए जीव को बचाना त्रथवा कष्ट पाते हुए जीब की सहायता करना पाप क्यों होगा ?

इस सम्बन्ध में त्रौर भी बहुतसी युक्तियाँ दी जा सकती हैं, लेकिन इतनी ही युक्तियों से तेरह-पन्थ का यह सिद्धान्त गलत और त्रसंगत ठहरता है, कि 'मरते हुए की रत्ता करने या दीन दुस्ती की सद्दायता करने से उनका चुकता हुआ कर्म ऋण चुकना रुक जाता है, इसलिए मारे जाते हुए जीव को बचाना अथवा दुस्तो की सद्दायता करना पाप है? । यदि सचमुच ही वे अपने इस सिद्धान्त को ठीक मानते हैं, तो—

(१) आर्त्त ध्यान और रौद्र ध्यान से कर्म को निर्जरा होना मानना चाहिये।

(२) जो किसी जीब को मार रहा है, उसको भी हिंसा न करने का उपदेश न देना चाहिये।

(३) जिसको वे सुपात्र दान कहते हैं, वह सुपात्र दान भी पाप मानना चाहिये।

यदि तेरह-पन्थी छोग ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका सिद्धान्त केवछ छोगों को धोखे में डाछने के छिए है, और झूठा है। जिस सिद्धान्त को वे स्वयं भी व्यवहार में नहीं छा सकते, उस सिद्धान्त का प्रचार केवछ दया और दान को उठाने, एवं दान दया को पाप बताने के छिए छोगों में करना, यह तो दया दान से द्वेष रखना ही है।



श्रावक कुपात्र नहीं है

तेरह-पन्थी छोग कहते हैं, कि साधु के सिवा संसार के सभी प्राणी कुपात्र हैं और मरते हुए कुपात्र को बचाना, कुपात्र को दान देकर डसे कष्ट मुक्त करना तथा कुपात्र की सेवा-सुश्रुषा करना, पाप है। जैसा कि वे कहते हैं----

छः कायरा शस्त्र जीव अव्रती त्यांरो जीवणो मरणो न चावेजी। त्याँरो जीवणो मरणो साधु चावे तो रागद्देष बेहूँ आवेजी॥ छः कायरा शस्त्र जीव अव्रती त्याँरो असंयम जीवितव्य जाणोजी। सर्व सावद्य रा त्याग किया त्याँरो संयम जीवितव्य एइ पिछाणोजी। ('अनुकम्पा' ढाल्टै ६ वीं)

अर्थात्- अवती जीव झः काय के जीवों के शख (धातक)

हैं, इसलिए उनका जीना या मरना, न इच्छना चाहिये। यदि

(40)

कोई साधु अ उनका जीना मरना इच्छता है, तो उसको राग और द्वेष दोनों ही छगते हैं। अन्नती जीव छःकायिक जीवों के राख है, इसलिए उनका जीवन असंयम पूर्ण है। सर्व सावद्य का त्याग जिन्होंने किया है, उन्हीं का जीवन संयम पूर्ण है। और भी कहते हैं कि—

असंयम जीवितव्य ने बाल मरण याँ री आक्षा वांछा नहीं करणी जी । पंडित मरण ने संयम जीवितव्य नी आक्षा वांछा मन धरणी जी ।

('अनुकम्पा' ढाल ८ वीं)

कर्मा करने जीवड़ा, उपजे ने मरजाय । असंयम जीतव तेहनो, साधु न करे उपाय । ('अनुकम्पा' ढाल्ट ३ री)

असंयति जीवाँ रो जीवणो ते सावद्य जीतव साक्षात् जी। तिण ने देवे तो सावद्य दान छे तिण मे धर्म नहीं अंदा मात जी।।

('अनुकम्पा' ढाल १२ वीं)

साधु और गृहस्थ का भाचरण, दोनों की रीति और दोनों की अनुकम्पा एक ही है, ऐसा तेरह-पन्थी मानते हैं जो पहले बताया जा चुका है। (ዓን) .

ङः काय रो शस्त्र जीव अव्रती, साता पूछे ने साता उपजावे । त्याँरी करे वियावच्च विविध प्रकारे तिण ने तीर्थंकर देव तो नहीं सरावे ॥

('अनुकम्पा' ढाल ११ वीं)

अर्थात्—असंयम जीवन और बाल मरण की आशा कामना न करनी चाहिये, किन्तु पण्डित मरण त्रौर संयम जीवन की ही आशा (इच्छा) मन में रखनी चाहिये। जीव कर्म के कारण मरते जीते हैं। उनका जीवन असंयम पूर्ण है, इसलिए साधु उनकी रत्ता का उपाय नहीं करते। असंयति जीवों का जीवित रहना साक्षात् पाप पूर्ण जीवन है। इसलिए उनको दिया गया दान साक्षात् पाप पूर्ण जीवन है। इसलिए उनको दिया गया दान साक्षात् पाप पूर्ण जीवन है। इसलिए उनको दिया गया दान सावद्य (पाप) दान है, उसमें अंश-मात्र भी धर्म नहीं है। अत्रती जीव छः काय का शस्त्र है। उनको शान्ति पूछना, अथवा उनको शान्ति देना अथवा अनेक प्रकार से उनकी सेवा, करना आदि कार्मो की (पाप है इसलिए) तीर्थंकर देव सराहना नहीं करते हैं।

इन सब सिद्धान्त वाक्यों का स्पष्टीकरण करते हुए तेरह-पन्यी छोग 'भ्रम-विर्ध्वंसन' प्रष्ठ ८२ में कहते हैं----

छत्र काय रा शस्त्र ते क्रुपात्र छे। तेइने पोष्याँ धर्म **पुण्य किम निपजे। डा**ह्या हुए तो विचारि जोइ जो ॥ (4२)

इस बात को और भी ऋधिक स्पष्ट करते हुए 'भ्रम-बिध्वंसन' प्रष्ठ ७९ में कहा गया है—

ते साधु थी अनेरा तो कुपात्र छे।

श्रर्थात्—साधु के सिवाय सब छोग कुपात्र हैं।

इस प्रकार असंयमी अन्नती को तेरह-पन्थी लोग कुपात्र कहते हैं। न्रतधारी श्रावक का समावेश भी छुपात्र में ही करते हैं। जैसा कि वे कहते हैं—

वेषधारी श्रावक ने सुपात्र थापे तिण ने नित्य जिमाँ या कद्दे मोक्ष रो धर्मो । उण ने सूत्र क्षस्त्र ज्यूँ परणमिया हिंसा दृढाय बांधे मूढ कर्मों ॥

('अनुकम्पा' ढाल १३ वीं)

अर्थात्—वेषधारी, (तेरइ-पन्थी साधु के सिवाय दूसरे सभी साधु) आवक को सुपात्र बताकर कहते हैं कि आवक को नित्य भोजन कराना, मोक्ष का धर्म है। ऐसा कहने वालों के लिए सूत्र भी शक्त की भाँति परगमे हैं, और वे मूढ हिंसा की स्थापना करके कर्म बाँधते हैं।

संक्षेप में वे छोग अपने सिवाय और सभी छोगों को छः काय के शक, असंयमी, अन्नती और कुपात्र कहते हैं। यह वात उनसे प्रश्न कर के भो जानी जा सकती है। यदि वे कहें कि, और छोग अथवा श्रावक कुपात्र छः काय के शक्ष असंयमी अन्नती (4३)

नहीं हैं, तो इमको उनका यह उत्तर सुनकर प्रसन्नता ही होगी। परन्तु वे स्पष्टतया ऐसा कदापि नहीं कह सकते, किसी को सुछावे में चाहे भले ही डालें।

इस प्रकार साधु के सिवाय शेष सभी जीवों को, तेरह-पन्धी साधु छ: काय के शस्त्र, असंयमी अन्नती त्रौर कुपात्र बताकर अपना सिद्धान्त वाक्य सुनाते हैं—

छः काय रो शस्त्र बचावियाँ, छः काया नो वैरी होय जी। त्याँ रो जीवितव्य पिण सावद्य कह्यो, त्याँ ने बचाया धर्म न होय जो। असंयती रा जीवणा मध्ये धर्म नहीं अंश मातजी। बल्ठे दान देवे छे तेहने ते पण सावद्य साक्षात् जी॥

('अनुकम्पा' ढाल १३ वीं)

अर्थात् — जो छः काय के शस्त्र को बच्धता है, वह छः काय का वैरो होता है। जिन छः काय के शस्त्र का जीवन पाप पूर्ण कहा गया है, उन छः काय के शस्त्र को बचाने से घर्म नहीं होता। असंयति के जीवन में अंश-मात्र भी घर्म नहीं है और उनको जो दान दिया जाता है, वह भी पाप पूर्ण है।

इसी बात को ऋौर भी ऋषिक स्पष्ट करने के छिए 'झम-बिष्वंसन' प्रष्ठ १२१ में कहा गया है----

(५४)

जिम कोई कसाई पाँच सौ पाँच सौ पंचेन्द्रिय जीव नित्य इणे छे, ते कसाई ने कोई मारतो हुवे तो तिण ने उपदेश देवे। ते तिण ने तारवाने अर्थे पिण कसाई ने जीवतो राखण ने उपदेश न देवे। यो कसाई जीवतो रहे तो आछो, इम कसाई नो जीवणो वांछणो नहीं। केई पंचेन्द्रिय हणे केई एकेन्द्रिय हणे छे। ते माटे असंयति जीव ते हिंसक छे। हिंसक नो जीवणों वांछियाँ धर्म किम हुवे ?

इस प्रकार तेरह-पन्थी अपने सिवाय सब को वैसा ही हिंसक कहते हैं, जैसा हिंसक निस्य पाँच सौ-पाँच सौ गाय या बकरे आदि पंचेन्द्रिय जीव मारने वाळा कसाई होता है। तथा सब जीवों को, चाहे वह श्रावक हो या तेरह-पन्थ सम्प्रदाय के सिवाय श्रन्य किसी सम्प्रदाय का साधु भी हो, नित्य पाँच सौ गाय मारने वाळे कसाई की तरह हिंसक ठहरा कर कहते हैं कि ऐसे हिंसक को बचाने, श्रथवा दान देने या उनकी सेवा सहायता करने से धर्म कैसे हो सकता है ? यह सब तो पाप ही है।

तेरह-पन्थी साधु एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों को समान तथा एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा को समान कहते हैं तथा एकेन्द्रिय जीव की हिंसा करने वाले कों भी उस कसाई

(44)

की तरह हिंसक कहते हैं, जो पाँच सी गाय बैर नित्य मारता है। इस विषय में पूर्व के एक प्रकरण में यह बताया जा चुका है, कि एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव समान नहीं हैं, दोनों की हिंसा भी समान नहीं है और दोनों की हिंसा का परिणाम भी समान नहीं है। इमने गत प्रकरण में जो कुछ कहा है, डसमें से इस एक बात को इम फिर दोहराते हैं, कि यदि दोनों की हिंसा समान है, तो तेरह-पन्धी साधु पंचेन्द्रिय जीव हनने वाले को श्रावक क्यों नहीं बनाते, जब कि असंख्य और अनन्त एकैन्द्रिय जीवों की हिंसा करने वाळे व्यक्ति को वे अपना श्रावक बना छेते हैं ? इसके सिवा शास्त्र में यह तो कहा है कि पंचेन्द्रिय बध नरक का कारण है, परन्तु क्या कहीं ऐसा भी कहा है कि एकेन्द्रिय का बध करने वाढा आवक भी नरक में जाता है ? शास का वह पाठ यहाँ डिस्तते हैं।

एवं खल्छ चउहिं ठाणेहिं जीवा नेरइताए कम्मं प्प करंति-णेरइत्ताए कम्मं प्पकरेत्ता णेरइएसु डववज्जंति-तंजहा महारंभाए महा परिग्गहिया ए, पंचिंदिय वहेणं कुणिमा हारेणं !

('उववाई सूत्र' तथा 'श्री भगवती सूत्र') भावार्थ----इस प्रकार चार स्थानक से जीव नरक-गति में जाने का कर्म करता है श्रौर वह नरक में उपजने के कर्म उपार्जन (4)

करके नर्क में उत्पन्न होता है यथा महारम्भ करके महा परिष्रह करके पंचेन्द्रिय का बध करके और मॉस-भत्तण करके।

राछ का यह पाठ होने पर भी यानी पंचेन्द्रिय का बध नरक का कारण होने पर भी कारण सहित पंचेन्द्रिय-बध करने वाला भी नरक नहीं जाता है। जैसे वर्णनागनतुया और राजा चेटक ने श्रनेकों मनुष्य मार डाले, फिर भी नरक नहीं गये। इस प्रकार सकारण को हुई पंचेन्द्रिय जीव की हिंसा भी कारणवश ज्ञम्य मानी जाती है, तब एकेन्द्रिय जीव की हिंसा करने वाळा उस कसाई की तरह का हिंसक कैसे हो सकता है, जो पाँच पाँच सौ पंचेन्द्रिय जीव नित्य मारता है ? क्या दोनों की हिंसा समान है, और दोनों की हिंसा का फल भी समान होगा ? यदि नहीं तो पॉॅंच सौ पंचेन्द्रिय जीव इनने वाले कसाई की तुलना में सब जीवों को ठहरा कर उनको बचाना या उनकी सहायता करने के कार्य्य को पाप बताना कैसे उचित है ? इसके सिवाय करुणा करके कसाई को बचाना भी पाप नहीं कहा जा सकता, यह बात हम अगले किसी प्रकरण में बतावेंगे। यहाँ तो केवल इस बात पर धोड़ासा प्रकाश डालते हैं कि तेरह-पन्थियों का यह कथन कहाँ तक उचित है, कि संयति (साधु) के सिवाय सब छोग कुपात्र हैं। पहिला प्रश्न तो यह है कि कुपात्र शब्द तेरह-पन्धी लोग कहाँ से ढूँड डाये। शास्त्र में तो 'कुपात्र' शब्द पाया ही नहीं

(५७)

जाता । व्यवद्दार और कोष आदि में भी 'पात्र' त्रौर 'अपात्र' ये दो ही शब्द पाये जाते हैं। यानी पात्र है और पात्र नहीं है। कदाचित किसी में दोनों ही बातें रही हुई हों तो विशेष परिस्थिति के छिए एक तीसर। शब्द 'पात्रापात्र' और भी बन सकता है, परन्तु यह शब्द पात्र त्रौर अपात्र इन दोनों शब्द के मिश्रण से ही बना है, इनसे भिन्न नहीं है। हाँ, आचार्यों ने कहीं सुपात्र के तीन भेद किये हैं। यथा-जघन्य सुपात्र सम्यक् दृष्टि, मध्यम सुपात्र श्रावक, उत्कुष्ट सुपात्र साधु और अपात्र रोगी, दुस्ती, मंगत, भिस्तारी तथा कुपात्र-हिंसक, चोर, जार, वेश्या ऐसी कहीं कहीं व्याख्या है। साधु-श्रावक को तो गुण-रत्नों का पात्र ही कहा है।

ऐसी दशा में अपने लिए सुपात्र और दूसरे के लिए कुपात्र सब्द लाये कहाँ से ? केवल अपनी बड़ाई और दूसरों की तुच्छता बताने के लिए ही कुपात्र और सुपात्र शब्द की सृष्टि की है, या अपना स्वार्थ साधने के लिए तथा इन नामों से लोगों को धोखे में डालने के लिए ही इन शब्दों की कल्पना की गई है, या और किसी उद्देश्य से ? साधु कहलाकर भी इस तरह के कल्पित शब्दों द्वारा लोगों को घोखे में डालना क्या उचित है ? परन्तु तेरह-पन्धी साधुओं ने यदि औचित्य को अपने में रहने दिया होता, तो जैन शास्त्र और भगवान महाबीर के नाम से वे दया तथा दान को पाप ही क्यों कहते ?

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

(46)

'सु' श्रौर 'कु' (पात्रों के) विशेषण हैं । विशेषणों का डपयोग विशेष समय पर ही किया जा सकता है, सदा के लिए नहीं, लेकिन तेरह-पन्थियों ने मूल शब्द 'पात्र' और 'श्रपात्र' का तो कहीं डपयोग ही नहीं किया है ।

पात्र का अर्थ है बर्तन-भाजन। वस्तु रस्नने के डिए जो उपयुक्त होता है, वह उस वस्तु के लिए पात्र है, और जो उपयुक्त नहीं है, वह ऋपात्र है। परन्तु जो एक कार्य के लिए पात्र है, वही दूसरे कार्य के लिए अपात्र भी हो जाता है, और जो एक कार्य के लिए भपात्र है, वह दूसरे कार्य के लिए पात्र भी हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई लड़का उद्दण्ड, अविनीत चोर और विद्याध्ययन में चित्त न लगाने वाला है, तो वह लड़का विद्या पढ़ाने के लिप तो अपात्र है, परन्तु ढड़ाई-झगड़े श्रोर बदमाशी त्रादि के ढिए पात्र हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति पढ़ा लिखा तो है, साहसी भी है, परन्तु कद में ५ फीट ६ इच्च से कम है और छाती ३० इञ्च है, तो वह व्यक्ति फौज में भर्ती होने के ढिए तो भपात्र है, लेकिन इर्की के लिए भपात्र नहीं है, किन्तु पात्र है। इन उदाहरणों को और आगे बढ़ा छीजिये।

'सु' और 'कु' विशेषण पात्र के छिए ही छग सकते हैं। जो जिस कार्य का पात्र ही नहीं है, उसके छिए 'कु' और 'सु' विशेषण भी नहीं छगते। जो जिस वस्तु का पात्र है, उसमें रखी गई वस्तु (49)

यदि आशा से अधिक समय तक सुरक्षित रहती है, यदि आशा से अधिक गुण देने वाळो हो जाती है, तब उस पात्र को प्रशंसा में 'सु' विशेषण लगाकर उसे सुपात्र कहा जाता है। इसी प्रकार जिसमें रखी हुई वस्तु आशा से बहुत कम समय में ही खराब हो जाती है, अथवा आशा तो यह थी कि इस पात्र में वस्तु के गुणॉ में वृद्धि होगी लेकिन इस श्राशा के विरुद्ध वस्तु विपरीत गुणकारा अथवा गुणहीन बन जाती है, तब उस पात्र की निन्दा करने के लिए 'कु' विशेषण लगाकर उसे कुपात्र कहा जाता है। इस प्रकार 'सू' और 'कु' विशेषण पात्र के लिए ही लगते हैं। जो अपात्र है, उसमें रखी हुई वस्तु यदि खराब भी हो जावे, तो उसको कुपात्र न कहा जावेगा, किन्तु अपात्र ही कहा जावेगा। उदाहरण के लिए खटाई के बर्तन में रखा गया दुध यदि खराब हो जावे, तो क्या उस बर्तन को कुपात्र कहा जावेगा ? यही कहा जावेगा कि यह बर्तन ही दूध रखने के योग्य न था, दूध के छिए भपात्र था। किसी हींजड़े को फौज में भर्ती करके युद्ध में भेजा जावे, श्रीर वहाँ से वह ताछी बजाकर भागे, तो उसको कुपात्र न कहा जावेगा, किन्तु यही कहा जावेगा कि यह फौज के छिए अपात्र हो था। परन्तु जो बर्तन दूध के लिए अपात्र रहा है, वह स्रटाई के लिए पात्र है। जो हींजड़ा फौज के लिए अपात्र रहा है, वह ताली बजाकर, नाचने गाने के लिए पात्र है । इस प्रकार (६०)

पात्र या अपात्र श्रपेत्ताकृत है, और 'सु' तथा 'क़ु' विशेषण-पात्र के लिए ही लगते हैं। सभी बातों के लिए न तो कोई पात्र है, न श्रपात्र है।

मतलब यह है कि जिसके लिए जो मर्यादा है, वह उसका पात्र है, और जिसके डिए जो मर्यादा नहीं है, वह उसका पात्र नहीं है, किन्तु डसके डिए अपात्र है। जो पात्र है, डसके द्वारा जब तक मर्यादा की सीमा का श्रनुकूछ या प्रतिकूछ उल्छंघन नहीं होता है, वह मर्यादा भीतर ही है, तब तक तो वह पात्र ही है। उसको न सुपात्र कहा जावेगा, न कुपात्र ही कहा जावेगा। लेकिन जब वह अनुकूछ दिशा में मर्यादा का उल्लंघन करता है, यानी आगे बढ़ता है, तब उसे सुपात्र कहा जाता है और प्रतिकूछ दिशा में मर्यादा का उल्लंघन करके आगे बढ़ता है, तो कुपात्र कहा जावेगा। जैसे पुत्र और अपुत्र, पुत्र तो आपका उड़का है, लेकिन अपुत्र आपका लड्का नहीं है। जो आपका लड्का ही नहीं है, वह यदि आपको खाने को नहीं देता है, तो श्राप उसको सुपुत्र न कहेंगे। इसके विरुद्ध जो आपका लड्का है, वह जब तक ऋपने कर्त्तव्य का साधारण रीति से पाळन करता रहेगा, आप उसको पुत्र कहेंगे। जब वह अपने कर्त्तन्य का विशेषरूप से पाळन करेया, तब आप उसको सुपुत्र कहेंगे और जब वह अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा करेगा, अपने कर्त्तव्य का

(**§)**

पाडन न करेगा, विपरीत व्यवहार करेगा, तब आप उसको कुपुत्र कहेंगे।

मतल्ब यह है कि पात्र और अपात्र शब्द अपेक्षाकृत हैं और 'कु' तथा 'सु' विशेषण पतन और उत्थान का बोध कराने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति सब बातों के लिए न तो पात्र है, न अपात्र और न सुपात्र है, न कुपात्र । ऐसा होते हुए भी तेरह-पन्थियों ने संसार के समस्त जोवों को सुपात्र और कुपात्र इन दो मागों में ही विभक्त कर डाला है तथा यह फतवा दे दिया है कि साधु संयमी संजती (इन्हीं के माने हुए, चाहे उनमें संयम के गुण हों बा नहीं, खाली वेष ही हो) के सिवाथ सभी लोग कुपात्र हैं । जान पड़ता है कि सब निर्णय उन्हीं के अधीन है, और उनका जो वाक्य निकले, वह उनके अनुयायी-मारवाड़ी सेठों की तरह, सब के लिए 'तहत' हो जावे ।

एक और भी दछोड सुनिये! यदि तेरह-पन्थ की मान्यता-तुसार साधु के सिवाय सभी ऊुपात्र हैं तो वे धर्म का उपदेश किनको देते हैं? कारण कि पात्र ही वस्तु को धारण कर सकता है। अपात्र वस्तु को धारण नहीं कर सकता। जैसे कि सिंहनी का दूध धारण करने को स्वर्ण का कटोरा ही पात्र माना जाता है, दूसरा नहीं। जब अपात्र भी उत्तम पदार्थ को धारण नहीं कर सकता, तब धर्म जैसे सर्वोत्कुष्ट पदार्थ के छिए कुपात्र--कैसे योग्य (६२)

बन सकते हैं। श्री वीतराग सर्वक्ष देव प्रणीत स्याद्वादमय नय निश्चेप त्रादि सापेक्त मार्ग को समझने के छिए तो पात्र ही षाहिये। कुपात्रों के हाथ पड़ने से हो स्याद्वादमयी सापेक्ष वाणी का इस प्रकार उल्टा परिणमन हुत्रा है, क्योंकि तेरह-पन्य के सिद्धान्तानुसार इनके श्रावक और साधु होने से पहिले इनके बढ़े बड़े आचार्य भी कुपात्रों की श्रेणी में ही थे। तब कुपात्र उस वाणी को सम्यकू प्रकार कैसे प्रहण कर सकते हैं ?.

तेरह-पन्थी साधु अपने आपको एकान्त रूप से सभी बातों के छिए सुपात्र कहते हैं, परन्तु उनका यह कथन भी सर्वथा झूठ है। क्या वे श्रनुकम्पादान, संप्रहदान, अभयदान, कारुण्यदान, छज्जादान, गौरवदान, ऋधर्मदान, करिष्यतिदान और कृतदान के छिए सुपात्र होना तो दूर रहा, पात्र भी हैं ? यदि नहीं, तो वे अपने आपको सर्वथा सुपात्र कैसे कहते हैं ? इन दोनों के छिए तेरइ-पन्धी साधु, इमारी दृष्टि में अपात्र और तेरइ-पन्ध के सिद्धान्तानुसार कुपात्र हैं या नहीं ? धर्मदान के लिए भी साधु पात्र म्रवरय हैं, किन्तु सभी साधु, वेषधारी धर्मदान के लिए भी सुपात्र नहीं हैं। 'सु' विशेषण यदि लगाया जा सकता है, तो बन थोड़े से साधुत्रों को ही, जो बड़ी तपस्याएं करते हैं, तथा **मात्मद्**मन करते हैं। सभी साधु वेषधारियों के डिए 'सु' विशेषण नहीं छगाया जा सकता है, न तपस्वियों के डिप ही सवेंदा (६३)

'सु' विशेषण लगाया जा सकता है, तथा यह पात्रता या सुपात्रता धर्मदान की त्रापेक्षा से ही है, और किसी अपेक्षा से नहीं। अन्य दानादि कार्य के लिए तो साधु 'अपात्र' है, और तेरह-पन्थियों के यहाँ तो सिर्फ सुपात्र तथा कुपात्र, ये दो मेद ही हैं, इसलिए उनके सिद्धान्तानुसार वे कुपात्र हैं।

अब इम दूसरी तरह से यह बताते हैं कि यदि श्रावक छुपात्र है, तो श्रावक को छुपात्र कहने वाले भी छुपात्र ही हैं। यह बात दूसरी है कि श्रावक में छुपात्रता ज्यादा निकले, और साधु में कम निकले, परन्तु श्रावक को छुपात्र कहने वाले भी सुपात्र कभी नहीं हो सकते।

मिध्याख, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये पाँच आश्रव हैं। इन पाँचों ऋाश्रवों को हम संख्या में १२३४५ मान लेते हैं। तेरह-पन्थी लोग ऋाश्रव की अपेत्ता से ही शावक को छुपात्र कहते हैं, यह बात उनके कथन द्वारा ऊपर सिद्ध की जा चुकी है। मिध्याख को तो साधु ने भी छोड़ दिया है और शावक ने भी छोड़ दिया है। बाकी २३४५ संख्या रही। इसमें से अव्रत नाम के ऋाश्रव को साधु ने सर्वथा बन्द कर दिया है और शावक ने आंशिक बन्द किया है। इस प्रकार २३४५ संख्या में से साधुक्यों ने २ का अंक सर्वथा उड़ा दिया है, और शावक ने उस दाधुक्यों ने २ का अंक सर्वथा उड़ा दिया है, और शावक ने उस (६४)

श्रावक बराबर हैं। यदि दोनों द्वारा तोड़े गये त्राश्रव की संख्या घटा कर आधी करदी जावे, तो श्रावक के जिम्मे त्राश्रव का अंक १२४५ रहता है श्रीर साधुओं के जिम्मे २४५ रहता है। अब विचार करने की बात है कि जिसको २३४५) रुपया देना है, वह यदि कर्जदार कहा जावेगा, तो क्या जिसे २४५) रुपया देना है, वह कर्जदार न कहा जावेगा ? क्या उसको कर्ज-रहित कहा जावेगा ? कर्जदार तो दोनों ही हैं, कोई कम कर्जदार है, कोई ज्यादा।

इसलिए इस प्रकार त्र्याश्रव की अपेक्षा से ही श्रावक को कुपात्र कहा जाता है, तो साधुभी कुपात्र ही है। यदि कहा जावे कि श्रावक की अपेक्षा साधु पर श्राश्रव का ऋण बहुत कम है, इसलिए साधु सुपात्र तथा श्रावक कुपात्र है, तो श्रावक इसका जवाब यह देंगे कि मिथ्यात्वी की अपेक्षा श्रावक पर आश्रव का ऋण बहुत कम है, इसलिए मिथ्याली, कुपात्र और श्रावक सुपात्र है। श्रावक की अपेक्षा साधु पर आश्रव का ऋण कम है, इसलिए साधु सुपात्र श्रोर श्रावक कुपात्र है। साधु की अपेक्षा कैवली में आश्रव का ऋण बहुत कम है, इसलिए केवली सुपात्र त्रोर साधु कुपात्र है। बल्कि साधु से आवक तो केवल ६ इं गुना अधिक कुपात्र है, परन्तु केवळी से साधु ६९ गुना ऋधिक कुपात्र है, और १४ वें गुण स्थान पर पहुँचे हुए तो योग को रूँध चुके (६५)

हैं, आश्रव से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, उनकी अपेक्षा सयोगी केवली कुपात्र हैं। इस प्रकार कुपात्रता की परम्परा का अन्त तो सिद्ध या श्रयोगी होने पर हो हो सकता है।

जिस श्रावक ने १२३४५ में से दस इजार का ऋण चुका दिया है, फिर भी यदि वह कुपात्र कहा जाता है, तो जिन्होंने २३४५ में से दो ही हजार का ऋण चुकाया है, वे सुपात्र क्यों कहे जावेंगे ? जिन श्रावकों ने साधुओं की अपेच्चा अपने ऋण के पाँच भाग चुका दिये हैं, उनको वे साधु, कुपात्र किस सुँह से कह सकते हैं, कि जिनको केवल्यों को अपेच्चा ६८ गुना ऋण चुकाना वाकी है। अपनी फूटी आँख को न देखकर दूसरे की आँख की झींट को देखने और उसे काना कहने वाले शर्मदार होते हैं या बे-शर्म ! यदि शर्मदार होते, तब तो ऐसा नहीं कह सकते ।

श्रावक ने जो व्रत छिये हैं, उसके कारण वह व्रताव्रती ही कहा जावेगा, श्रव्रती नहीं, चाहे वह व्रत सामान्य हो या अधिक हो। परन्तु जब से उसने व्रत छिया, तब से अव्रत की किया उसको नहीं छग सकती। यह बात तो तेरह-पन्थियों को भी मान्य होनी चाहिए। मान्य क्यों न होगी, जब कि वे स्वयं 'ज्रमविध्वंसन' मिध्यात्वी कियाधिकार के पाँचवें बोछ प्रष्ठ १२-१३ में कहते हें—

(६६)

वली मिथ्यात्वी ने भली करणी रे लेखे सुव्रती कब्बो छे । ते पाठ लिखिये छे ।

ऐसा क**इ**कर उत्तराध्ययन सूत्र के ७वें अध्ययन की २० वीं गाथा उद्धृत करते हुए डिखते हैं----

अथ इहाँ इम कह्यो। जे पुरुष गृहस्थ पणे प्रकृति भद्र परिणाम, क्षमादि गुण सहित एहवा गुणा ने सुव्रती कह्या। परं १२ व्रतघारी नथी। ते जाव मनुष्य मरी मनुष्य में उपजे । ए तो मिथ्यात्वी अनेक भल्ला ग्रणां सहित ने सुव्रती कह्यो । ते करणी भली आज्ञा मां ही छे । अने जे क्षमादि गुण आज्ञा में नहीं हुवे तो सुव्रती क्यूँ कह्यो। ते क्षमादिक गुणां री करणी अञ्चुद्ध होवे तो कुव्रती कहता । ए तो साम्प्रत भल्री करणी आश्रयी मिथ्यात्वो ने सुव्रती कह्यो छे। अने जो सम्यक् दृष्टि हुए तो मरी ने मनुष्य हुए नहीं। अने इहाँ कह्यो ते मनुष्य मरी मनुष्य में उपजे ते न्याये प्रथम गुण ठाणे छे। तेह ने सुव्रती कह्यो। ते निर्जरा री ग्रुद्ध करणी आश्रयी कह्यो छे।

इस कथन द्वारा वे कहते हैं कि क्षमादि गुणों के कारण से मिथ्यास्वी सुव्रती है, और अपने इस कथन की पुष्टि में उत्तरा-

(۲۵)

भ्ययन सूत्र का पाठ भी देते हैं। मिथ्यास्वी के पॉचॉ त्राश्रव खुले हुए हैं। इसने कोई वत या प्रत्याख्यान नहीं लिया है, और जो शुभ करणी करता है, वह भी मिथ्यात्व के साथ करता है, सम्यक्त पूर्वक नहीं करता है। ऐसा होते हुए भी जब वह सुव्रती है, तो जिसने मिथ्यात्व त्रौर आंशिक अव्रत इन दो श्राश्रवों को बन्द कर दिया है, वह शावक क्या सुव्रती न होगा ? इस प्रकार शावक भी त्रांधिक सुव्रती है, त्रौर साधु भी सुव्रती है। ऐसी दशा में शावक कुपात्र और साधु सुपात्र कैसे हो सकता है ?

इसके सिवाय वं कहते हैं कि "अव्रती जीव छः काय का शब है। उसकी शान्ति पूछना अथवा उसको शान्ति देना, अथवा त्रानेक प्रकार से उसकी सेवा करना सावद्य पाप है।" परन्तु बारह व्रतधारी श्रावक तो अव्रती नहीं है। उसके छिए भगवान ने जितने भी व्रत बताये हैं, वे सब व्रत उसने स्वीकार किये हैं, फिर श्रावक का कौनसा व्रत ऐसा शेष रह गया है, जिसके न छेने से वह स्वव्रती कहछा सकता है ? यदि कहा जावे कि साधु की अपेत्ता उसमें चारित्र कम है, इसछिए उसको अव्रती कहा जाता है, तो यथाख्यात चारित्र की अपेक्षा वर्तमान साधु में में भी चारित्र बछ बहुत ही कम है। फिर साधु अन्रती क्यों नहीं ? बल्कि श्रावक के छिए चारित्र की जो अन्तिम और (६८)

अध्रिम सीमा बताई गई है, भावक उस सीमा का पाउन पूर्णतवा कर रहा है, परन्तु साधु के डिए जो अन्तिम और अष्ठतम सीमा बताई गई है, साधु उससे बहुत ही दूर है, पिछड़ा हुआ है। ऐसा होते हुए भी साधु सुत्रती तथा सुपात्र और आवक अत्रती तथा छपात्र कैसे रह सकता है ? आवक भी सुत्रती तथा सुपात्र है। फिर भी तेरह-पन्थी साधु आवक के विषय में और आवकस्व की चरम सीमा पर पहुँचे हुए ग्यारह प्रतिमाधारी आवक के डिए भी कहते हैं कि आवक को खिछाना पाप है, आवक की सेवा करना पाप है, ग्यारह प्रतिमाधारी आवक को सिद्धा देना पाप है और आवक की कुशड-क्षेम पुछना भी पाप है।

इम पूछते हैं कि जब सुव्रती होने पर भी श्रावक को खिलान वा ग्यारह प्रतिमाधारी श्रावक को भित्ता देना पाप है, तो साधु को देना धर्म कैसे हो जावेगा ? यदि तेरह-पन्धी कहें कि श्रावक में अभी शवत रोष हैं, तो उनका यह कहना झूठ है। श्रावक के छिए जितने व्रत बताये गये हैं, वे सब व्रत स्वीकार कर लेने पर शवत कहाँ रहा ? यदि कहा जावे कि व्रत लेने के बाद जो बाकी रह गया है, वह व्यव्रत है, तो जो बाकी रहा है वसे भी त्यागना साधु का व्रत है, श्रावक का व्रत नहीं है। श्रावक के तो जित्तने भी व्रत कहे गये हैं, श्रावक डन सब को स्वीकार कर चुका है। शावक के व्रतों की मर्यादा जितनी कहा गई है,

(६९)

आवक उन सब का पूर्णतया पाछन करता है। वह आवक पद का अराधक है, ऐसा सूत्र में कहा है। वह मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता। छेकिन साधु तो मर्यादा के विरुद्ध आचरण करते हैं, क्योंकि परिमह में शरीर की भी गणना है। साधुओं को शरीर से ममत्व है या नहीं ? यदि नहीं, तो नित्य घर घर मोजन के लिए क्यों भटकते हैं ? शीत, ताप और वर्षा से बचने का प्रयन्न क्यों करते हैं ? पैर में एक छोटासा कॉंटा भी ढग जाता है, तो निकालने क्यों वैठते हैं ? रोग होने पर वैद्य, डाक्टर को शरण क्यों लेते हैं ? अर्श होने पर ऑप्रेशन क्यों करने देते हैं ? क्ष यदि कोई ऑप्रेशन करने लगे, तो उसको रोक

*तेरह-पन्थी, 'भ्रम-विर्ध्वसन' ष्टष्ठ २६८ में कहते हैं— 'जे अर्श छेदे ते वैद्य ने किया लागे, अने जे साधु नी अर्श छेदाणी, तेहने किया न लागे' इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं— 'तिवारे कोई कहे, ए वैद्य ने किया कही ते पुण्य नी किया छे, पिण पाप नी किया नहीं। एहवो ऊँघो अर्थ करे, तेहने उत्तर—इहाँ कह्यो, अर्श छेदे ते वैद्य ने किया लागे, पिण धर्मान्तराय साधु रे पड़ी। धर्मान्तराय ते धर्म में विघ्न पड्यो, तो जे साधु रे धर्मान्तराय पाडे, तेहने ग्रुभ किया किम हुवे ? ए धर्मान्तराय पाड्याँ तो पुण्य बँघे नहीं। धर्मान्तराय पाड्याँ तो पाप नी किया लागे छे।'

٩o

(00)

क्यों नहीं देते ? यदि आप भोजन न करें; शीत, ताप, वर्षा से बचने का प्रयत्न न करें; पैर का कॉटा न निकालें; रोग होने पर, वैद्य डाक्टर की शरण न लें तो क्या आपको पाप होगा ? सनस्कुमार (चक्रवर्ती) मुनि ने शरीर के रोग नहीं मिटाये तो क्या उनको पाप हुआ ? गजसुकुमार मुनि ने शरीर की रक्षा का प्रयत्न नहीं किया तो क्या उन्हें पाप छगा ? जिन कल्पी साधु शीत, वर्षा, ताप सहते हैं, तो क्या पाप करते हैं ? अनेक साधुओं ने साधु होते ही आहार पानी स्याग दिया, तो क्या उनको पाप हुआ ? यदि नहीं, तो फिर आप शरीर-रक्षा का

यह युक्ति उनकी मूर्खंतापूर्ण है। कारण कि अर्श (मस्सा) छेदने से साधु के धर्मान्तराय नहीं पड़ती, परन्तु मस्सा के कारण से साधु को जो पीड़ा होती थी, जिससे उनके ग्रुभ ध्यान में विघ्न पड़ता था, किसी समय पर रोग और पीड़ा के कारण आर्त्तंध्यान भी होता था, वह मिटाया और भविष्य में समाधि रहेगा, उस समाधि करने के निमितभूत वैद्य, डाक्टर ही हैं, वास्ते उसको महा पुण्य और अग्रुभ कर्म की निर्जरा होती है। जैसे जीवानन्द वैद्य ने मुनि के शरीर में क्रमियादि रोग की शान्ति करके तीर्थंद्वर नाम के योग्य पुण्य एकत्रित किए थे।

तेरइ-पन्थी कहते हैं कि जिस वैद्य ने साधु का अर्श (मस्सा) छेदा है, उसने साधु के धर्म में विघ्न डाला है, साधु को धर्मान्तराय दी है, इसलिए उसको पाप की किया लगती है, लेकिन साधु को किया नहीं लगती। क्या ही अच्छा न्याय है। अर्श छेदे उसको पाप, और जिनका रोब गया उनको धर्म । (()

प्रबन्न क्यों करते हैं, और जो शरीर से ममत्त्व रखते हैं, तो आपका परिप्रह व्रत नष्ट हुआ या रहा ?

इस प्रकार साधु तो पहिछे वत अहिंसा (जैसा कि पूर्व के प्रकरण में नाव विद्वार आदि के उदाहरण देकर सिद्ध किया जा चुका है) को भी तोड़ते हैं, पॉचवॅ परिष्रह वत को भी तोड़ते हैं, और दूसरे सत्यव्रत को भी तोड़ते हैं, लेकिन आवक ने जितने भी वत छिये हैं, उन सबका पूर्णतया पाछन करता है, फिर भी साधु को आद्दार पानी देना धर्म और आवक को खिछाना पिछाना पाप कैसे है ? व्रतों का भंग साधु करते हैं, ऐसी दशा में सुव्रती साधु रद्दे या आवक रद्दा ? अव्रत साधु में आया, या आवक में आया ?

यदि तेरह-पन्थी साधु, यह कहें कि इम में यानी साधुकों में जो कमी है, साधु उसी कमी को मिटाने की ही मावना रखते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि क्या आवक इस प्रयत्न में नहीं रहता है ? वह भी नित्य ही चौरह नियम का चिंतवन करता है व मनोरथादि मावना माता है, जिसमें से एक यह मी है कि कब वह दिन धन्य होगा, जब मैं आरम्भ परिमह का सर्वथा त्यागी होऊँगा। इस तरह इस अंश में तो साधु और आवक बराबर ही रहे, और महण किये हुए वर्तो का पाछन करने के अंझ में साधु की अपेक्षा आवक श्रेष्ठ ही (৩২)

रहा। ऐसी दशा में साधु सुपात्र और श्रावक कुपात्र कैसे हो सकता है ?

तेरह-पन्थी साधु दूसरे सत्य व्रत को भी शास्त पाठ का विप-रीत अर्थ करके तोड़ते हैं। यद्यपि इस विषयक सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं, लेकिन विषय बढ़ जावेगा श्रौर अभी इसमें आगे भी कुछ आवेगा ही, इसछिए यहाँ केवछ एक ही उदाहरण देकर सन्तोष करते हैं।

उपासक दशांग सूत्र में पन्द्रह कर्मादान बताकर आवकों के डिए कहा है कि ये कर्मादान (ब्यापार) आवकों को जानने चाहिएँ, परन्तु इनका आचरण न करना चाहिये। उन पन्द्रह कर्मादान में पन्द्रहवाँ कर्मादान 'असईजण पोसणया' है। इसका अर्थ है-असई यानी असती, जण यानी छोग, पोसणया यानी पोषण करना। अर्थात आसती (दुराचारिणी) कियों का पोषण करने का व्यापार करना। जैसा कि आजकछ वम्बई आदि में होता है, कि कुल्टाओं को रखकर, उनके द्वारा आजीविका चढाते हैं। आवकों के छिए यह कर्म निषिद्ध है।

असई का अर्थ असंयति कदापि नहीं होता : 'अ' 'सई' का निषेधक है। मूळ शब्द 'सई' है। 'सई' शब्द साधु के अर्थ में न तो है, न कहीं त्राया ही है। सई शब्द का अर्थ सती होता है सो 'अ' से सतीख का निषेध रूप। असती यानी कुल्टा (७३)

व्यमिचारिणी होता है। ऐसा होते हुए भी तेरह-पन्थी छोग 'भ्रम-विष्वंसन' प्रष्ठ ८५ में 'सई' झब्द का अर्थ संयति, और 'असई' राब्द डा त्रार्थ असंयति करते हैं। ऐसा अर्थ वे यह बताने के डिए करते हैं कि देखो, असंयति का पोषण करना, पन्द्रह कर्मा-दान में से एक है, त्रौर पन्द्रह कर्मादान, श्रावक के डिए सर्वया स्याज्य हैं, इसडिए त्रसंयति (साधु के सिवाय अन्य डोगों) का पोषण करना पाप है। वे 'भ्रम-विष्वंसन' प्रष्ठ ८५ में डिखते हैं —

"तिहां 'असती जण पोसणगा' तथा 'असई पोषणया' कत्नो छे । एह नो अर्थ केतलाक विरुद्ध करे छें । अने इहाँ १४ व्यापार कह्या छे । ति वारे कोई इम कहे इहाँ असंयती पोष व्यापार कह्यो छे । तो तुम्हें अनुकम्पा रे अर्थे असंयमी ने पोष्याँ व्यापार किम कह्यो छो । तेहनो उत्तर—ते असंयती पोषी पोषी ने व्यापार करे । ते असंयती ने पोषे ते व्यापार नथी कहिये । परं पाप किम न कहिये । जिम कोयला करी बेचे ते 'अंगाल कर्म' व्यापार अने दाम विना आग लाय ने कोयला करी आपे ते व्यापार नथी परं पाप किम न कहिये । तिम असंयती

अ उनके कहने का अभिप्राय यह है कि कई लोग 'असती' (वेषया आदि) पोषण अर्थ करते हैं।

(७४)

पोषी पोषी आजीविका करे। दानशाला ऊपर रहे रोज-गार रे वास्ते तथा ग्वालियादिक दाम लेइ, गाय भैंस्यां आदि चरावे। इम कुक्कुट माजीर आदिक पोषी पोषी आजीविका करे। आदिक शब्द में तो सर्व असंयति ने रोजगार रे अर्थे राखे ते असंयती व्यापार कहिये। अने दाम लियां बिना असंयती ने पोषे ते व्यापार नहीं। परं पाप किम न कहिये। ए तो पनरे १५ ई व्यापार छे ते दाम लेई करे तो व्यापार अने पनरे १५ ई दाम विना खेवे तो व्यापार नहीं। परं पाप किम न कहिये।"

इस कथन का सार यह है कि पैसे लेकर असंयति (साधु के सिवाय और समस्त जीव) का पोषण करना तो 'असंयति पोषण' नाम का कर्मादानॐ (व्यापार) है, और बिना पैसे लिये श्वसंयति का पोषण करना व्यापार तो नहीं है, लेकिन पाप तो है ही।

अपन्द्र कर्मादान (ज्यापार) महान् पाप पूर्ण कार्य है, इसलिए आवक के लिए पन्द्रह कर्मादान का सेवन (यानो उन पन्द्रह ज्यापार का करना) निषिद्ध है । तेरह-पन्थी कहते हैं कि पैसे लेकर असंयति का पोषण करना कर्मादान (पापपूर्ण) है और बिना पैसे लिए पोषण करना भी पाप है । इसके अनुसार यदि असंयति के साथ व्यापार किया जाता है, तो व्यापार करना भी पाप है और उनको मुफ्त चीज़ दी जाती है, तो वह भी पाप है । इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया

(७५)

इस कथन में तेरह-पन्थियों के झुठ, कपट, छठ और घूर्त्तता का दिग्दर्शन कराते हैं। पहिले तो उन्होंने डिखा कि असती जण पोसणया का अर्थ कितने ही छोग विरुद्ध करते हैं। उन्होंने यह **डिसा** तो सही, परन्तु फिर यह नहीं बताया कि विरुद्ध अर्थ क्या करते हैं, और वास्तविक अर्थ क्या और क्यों है ? ऐसा कुछ न कह कर इस बात को ही उड़ा देते हैं और जैसे बच्चे को समझाने के छिए बात पल्टा दी जाती है, उसी तरह बात पल्टा कर आप ही प्रदन खड़ा करते हैं कि 'यहाँ तो असंयतो पोष ज्यापार कहा है, अनुकम्पा के डिए असंयती के पोषण को व्यापार कैसे कहते हो ? यह प्रझ्न खड़ा किया कैसे और किस अर्थ पर से असंयति पोष व्यापार कहाँ कहा है, यह वे ही जानें। हम पहिले कह चुके हैं कि 'असती जण पोषणया' का अर्थ श्रसती कियों के पोषण द्वारां आजीविका चळाना है। यह अर्थ प्रसिद्ध मी है, शास्त्रानुसार भी है, तथा शब्दानुसार भी है। इतना ही नहीं, किन्तु स्वयं तेर ह-पन्धी भी 'भ्रम-विध्वंसन' पृष्ठ ८४ में कर्मादानों

है, जैसे दानशाला पर नौकरी करता है, वह कर्मादान तो नहीं है परन्तु पाप तो है, और पैसे लेकर गाय मैंस चराता है, वह कर्मादान है। इस प्रकार असंयति से व्यापार सम्बन्ध, नौकरी सम्बन्ध रखना भी पाप है और पाप भी साधारण नहीं, कर्मादान का सेवन। कर्मादान का सेवन करना ऐसा पाप माना जाता है, कि उस पाप को करने वाला, आवक भी नहीं रह सकवा।

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

(৩६)

का अर्थ बताते हुए असई पोसणिया का अर्थ 'वेदया त्रादि ने पोषणआदिक कर्म' ढिखते हैं। फिर भी इस अर्थ को एक ओर फेंक कर दया तथा दान का विनाश करने के ढिए असई पोसणिया का अर्थ असंयति पोषण कर ढाडा, तथा उस पर प्रश्न उत्पन्न करके उसका समाधान भी कर ढाढा। धन्य है,

सुपात्र साधुओं को ! क्या कोई आवक भी ऐसा कर सकेगा ? तेरह-पन्थियों के झूठ, कपट और धोखेबाजी का एक और डदाहरण ळीजिये। तेरह-पन्धी लोग 'भ्रम-विष्वंसन' प्रष्ठ ८० में लिखते हैं----

तथा ठाणांग ठाणे ४ उद्देश्या ४ में कुपात्र ने क्रुक्षेत्र कह्या । ते पाठ लिखिये छे ।

"चत्तारि मेहा प० तं० खेत्तवासी णाम मेंगे णो अक्खेतवासी, एवामेव चत्तारि पुरिस जाया प० तं० खेत्तबासी णाम मेंगे णो अक्खेतवासी।

इहाँ पिण कुपात्र दान कुक्षेत्र कह्या कुपात्र रूप कुक्षेत्र में (पुण्य रूप) बीज किम उगे । डाहा हुवे तो विचारी जोइजो ।

यह है तेरह-पन्थियों का कथन। इस कथन द्वार। तेरह-पन्भी ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे के चौथे उद्देश्ये की दी गई बौभंगी (७७)

से यह सिद्ध करते हैं कि इस चौभंगी में छुपात्रदान को छुक्षेत्र कहा। छुपात्र रूप कुक्षेत्र में पुण्य रूप बीज कैसे उग सकता है ? परन्तु न तो पूरी चौभंगी दी, न पूरी उपमा उतारी, क्योंकि पूरी चौभंगी देते तो वहीं पोळ खुढ जाती।

श्रव जरा इस चौभंगी के ऋर्थ पर विचार कीजिये। यह चौभंगी चार प्रकार के मेघ की उपमा देकर, चार प्रकार के सम्पत्तिवान पुरुषों के भेद बताती है। इसमें कहा है---

चार प्रकार के मेघ कहे गये हैं। एक मेघ क्षेत्र में तो बरसता है. परन्तु अक्षेत्र में नहीं बरसता । यानी जहाँ बरसना चाहिये, वहाँ तो बरसता है, और जहाँ न बरसना चाहिये, वहाँ नहीं बरसता। दूसरा मेघ अक्षेत्र में बरसता है और क्षेत्र में नहीं बरसता । तीसरा मेघ क्षेत्र और अक्षेत्र दोनों ही में बरसता है और चौथा मेघ न क्षेत्र में बरसता है, न श्रक्षेत्र में ही बरसता है। इसी तरह चार प्रकार के पुरुष हैं। एक उस मेघ की तरह हैं, जो क्षेत्र में बरसता है, परन्तु अक्षेत्र में नहीं बरसता। दूसरे डस मेघ की तरह हैं, जो अक्षेत्र में तो बरसता है, परन्तु क्षेत्र में नहीं बरसता। तीसरे उस मेघ की तरह हैं, जो क्षेत्र में भी बरसता है और अक्षेत्र में भी बरसता है। तथा चौथे उस मेघ की तरह हैं, जो छेत्र या अक्षेत्र कहीं भी नहीं परसता। 99

(७८)

यह इस चौभंगो का अर्थ है। इसमें न तो कुपात्रदान का जिक है, न कुपात्र, न कुक्षेत्र तथा पुण्य का जिक है। फिर भी तेरह-पन्थी छोग इस पाठ के अर्थ में इन सबको जबर्दस्ती यह सिद्ध करने के डिए घुसेड़ते हैं कि तेरह-पन्थी साधुओं के सिवाय और सब कुपात्र हैं, इसडिए डनको दान देना पाप है।


इसी तरह सैकड़ों जगह छोगों को घोखे में डाछने और अपने मत का प्रचार करने के लिए तेरह-पन्थी साधुओं ने कई जगह शाख के ऋर्थ का अनर्थ ऋथवा इच्छानुसार अर्थ किया है। जो छोग चाहें, वे 'ञ्रम-विध्वंसन' प्रन्थ देख सकते हैं, जिसका प्राप्तिस्थान मैरोंदान ईश्वरचन्द चोपड़ा, गंगाशहर (बीकानेर) डिखा है। हमारा ऋनुमान है कि 'ञ्रम-विध्वंसन' के झूठ कपट की बातें अब खुल गई हैं, इसलिए पत्र खिखने पर भी 'ञ्रम-विध्वंसन' पुस्तक शायद ही प्राप्त हो। प्रयत्न कर देखिये, और यदि प्राप्त न हो, तो फिर हमारे पास आकर देखिये।

कइना यह है कि इस तरह झूठ कपट का श्राश्रय लेनेवालों का सत्य-न्नत क्या सुरक्षित रह सकता है ? झूठ कपट ही नहीं, किन्तु जिसे झूठ में झूठ, कपट में कपट श्रौर माया में माया कहा जाता है, तेरह-पन्थी साधु वैसा ही करते हैं। शास के विपरीत श्रर्थ को बात शावकों को ज्ञात न हो जावे, इसके छिए तेरह-पन्धी साधुओं ने श्रावकों के छिए सूत्र पठन का ही निषेध कर दिया है। (۷۹)

आवकों का सूत्र पठन, जिनाझा के बाहर बताया है और जिनाझा के बाहर के समस्त कार्यों को तेरह-पन्थी साधु पाप कहते ही हैं। इस प्रकार आवकों का सूत्र पढ़ना बाप ठहराया है। आवकों को सूत्र पढ़ना पाप है, यह बताने और सिद्ध करने के डिए 'भ्रम-विष्वंसन' में पूछ ३६१ से ३७३ तक 'सूत्र पठनाऽधिकार' नाम का एक पूरा अध्याय ही है।

इन सब बातों के होते हुए तेरह-पन्थी साधुत्र्यों का दूसरा सत्य-व्रत रोष कहाँ रहा ? जैसा कि हम बता चुके हैं, तेरह-पन्थी साधु स्वीकृत-व्रत में से पहले, दूसरे त्रौर पाँचवें व्रत का स्पष्टतया उल्लंघन करने वाले हैं, इसलिए वे ही कुपात्र हैं; लेकिन श्रावक ने जितने व्रत स्वीकार किये हैं, उनका पूरी तरह पालन करता है, इसलिए वह कुपात्र नहीं है।

इस प्रकरण में इम बहुत छिस चुके हैं। अन्त में यह कह कर, हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं कि तेरह-पन्थी साधुओं का अपने सिवाय और सब छोगों को छुपात्र बताना तथा और किसो की रच्चा-सहाबता को पाप बताना बिल्कुछ झूठ, असंगत और मनधड़न्त सिद्धान्त है। अपने मत का प्रचार करने के छिए ही उन्होंने सुपात्र तथा छुपात्र शब्दों की कल्पना की है, और इन शब्दों का उपयोग इया दान को पाप ठहराने में किया है।



*५।न-*५ू

तेरह-पन्थी छोग पुण्य का अछग बंधना नहीं मानते। वे कहते हैं कि---

'पुण्य तो धर्म लारे बंधे छे, ते शुभ योग छे, ते निर्जरा विना **पु**ण्य निपजे नहीं ।'

('ग्रम-विध्वंसन' पृष्ठ =१)

इसके अनुसार तेरह-पन्थी छोगों का कथन है कि पुण्य की उत्पत्ति निर्जरा के साथ ही होती है। बिना निर्जरा के पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु जिस तरह खेत में अनाज के आय वास अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार निर्जरा के साथ पुण्य भी उत्पन्न होता है। पुण्य स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न नहीं होता। (()

इसी दुळीळ के आधार पर तेरह-पन्थी लोग साधु के सिवाय भौर किसी को दिये गये दान में पुण्य नहीं बताते हैं। वे कहते हैं कि जहाँ निर्जरा नहीं वहाँ पुण्य नहीं, और साधु के सिवाय जो दान दिया जाता है, उससे निर्जरा नहीं होती, इसलिए पुण्य भी नहीं होता। परन्तु उन लोगों का यह सिद्धान्त बिल्कुल झुठा -है। 'श्री दशवैकाछिक सूत्र' के पॉंचवें श्राष्ययन में जो जो आहार-पानी साधु के लिए प्रासुक होने पर भी अकल्पनीक बताया है, वहाँ ऐसा कहा है कि 'पुणट्रापगडं इमं' अर्थात पुण्य के लिए बनाया हुआ यह पदार्थ मुफे नहीं कल्पता है, ऐसा साधु कहे। तब विचारने की बात है कि वह पुण्य के लिए बना हुआ साधु तो छेते नहीं, भगवान ने ऐसा आहार-पानी छेने की मनाई की है, तब वह पुण्यार्थं किसके छिए हुआ ? इससे स्पष्ट सिद्ध है कि पुण्य के लिए बनाया हुआ डसी को कहते हैं जो रंक, भिखारी, दुस्ती, पशु-पत्ती भादि के लिए बनाया गया हो। इसमें निर्जंरा का कोई स्थान नहीं है। ऐसे दीन हीन अपंग अनाश्रितों को देने में पुण्य ही होता है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा है कि 'पुणट्रा' इस पर से पुण्य, साधु के सिवाय देने से भी होता है और वह जीव को ऊँचा उठाने में कारणभूत होता है।

'श्री स्थानांग सूत्र' के नवचें स्थान में नव प्रकार का पुण्य कहा है। वहाँ मूळ-पाठ में ''निर्वद्य, सावद्य या निर्जरा के साथ (८२)

होता है, ऐसा कोई विवरण नहीं है । टीकाकार ने यह बताया है कि—"पात्रायाझदानाद्य तीर्थङ्करं नामादि पुण्य-प्रकृतिबंध स्तदन्न पुण्यं एवं सर्वत्र"— इसका भाव यह है कि पात्र को अन्नादि देने से तीर्थकर नामादि पुण्य-प्रकृति का बन्ध होता है और उनके सिवाय दूसरों को देने से दूसरी पुण्य-प्रकृति का बन्ध होता है, क्योंकि पुण्य-प्रकृतिएँ ४२ प्रकार की हैं सो उस्कृष्ट पात्र को देने से तीर्थकर नाम जैसी उत्कृष्ट पुण्य-प्रकृति का बन्ध है त्रौर रोष, जैसे पात्र वैसी सामान्य विशेष पुण्य-प्रकृति जानना। परन्तु तेरह-पन्थी छोग साधु के सिवाय पुण्य-प्रकृति का निषेध करने के छिए कहते हैं कि—

"अनेरा ने दीधां अनेरी मकुति नो बन्ध कह्यो छे ते अनेरी मकुति तो पाप नी छे"

('भ्रम-विध्वंसन' पृष्ठ ७१)

जौर भी कहते हैं कि-

कर्म का बन्ध होगा, जिनको भोगना महा दुःखदायी होगा, ऐसा

(८३)

समझ कर अव्रती (साधु के सिवा अन्य छोगों) को दान देने से बचने का उपाय करें। जो साधु के सिवाय अन्य छोगों को दान देने का शुद्ध मन से स्याग करता है, उसका पाप टढ जाता है और भगवान महावीर उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं।

इस तरह साधु के सिवाय और सभी जीव को दान देना, पाप ठहरा कर तेरह-पन्थी छोग, साधुक्ष के सिवाय और को दान देने का त्याग कराते हैं। तेरह-पन्थियों की इस मान्यता से----

(१) भूखे को भोजन; प्यासे को पानी; नंगे को वस्त; वर्षा, शीत व ताप से कष्ट पाते हुए को स्थान देना पाप है।

(२) कबूतरों को दाना डालना तथा गायों को घास डाडना झादि भी पाप है।

(३) श्रौर तो ठीक, परन्तु श्रपने माता-पिता को भोजन देना श्रौर उनको सेवा करना भी पाप है।

इसी तरह देना मात्र पाप हो जाता है, फिर वह चाहे झाझण ' को दिया गया हो, भिखारो को दिया गया हो, अपंग अपाहिज को दिया गया हो, कोड़ी कबूतर को दिया गया हो, गौझाळा

अ यह बताया जा चुका है कि तेरह पन्थी साधु, केवल अपने को ही साधु मानते हैं, और किसी को भी साधु नहीं मानते हैं। वे, वती का अर्थ साधु ही करते हैं; वतधारी आवक की गणना भी अवती और कुपात्र में करते हैं।

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

(82)

श्रनाथाश्रम आदि संस्थात्रों को दिया गया हो, अथवा ऋपने माता पिता को दिया गया हो।

तेरह-पन्थी पुण्य तरव का स्वतन्त्र उत्पादन मानते ही नहीं हैं, किन्तु यही मानते हैं कि पुण्य निर्जरा के साथ ही उत्पन्न होता है। छेकिन इस सम्बन्ध में यातो तेरह-पन्थी लोग मूखते हैं, अथवा वे दान को पाप बताने के छिए हो ऐसा जान वूम कर मानते हैं। यदि पुण्य का उत्पादन स्वतन्त्र रीति से न हो सकता होता, तो पुण्य को अलग तत्त्व ही क्यों बताया जाता ? खेत में अनाज के साथ उत्पन्न होने वाले घास का अळग वर्णन कोई नहीं करता | दूसरे, यदि निर्जरा के साथ पुण्य उत्पन्न होता है, तो पाप किसके साथ उत्पन्न होगा ? जैसे पुण्य और पाप भिन्न गुण वाळे साथी हैं, दोनों आश्रव-तत्त्व की पर्याय हैं, धसी तरह संवर और निर्जरा भी मिन्न गुण वाले साथी हैं और ने 'मोक्ष तत्त्व का पर्याय रूप हैं। इसलिए जब पुण्य की डत्पत्ति निर्जरा के साथ ही मानी जाती है, तो पाप की उत्पत्ति किसके साथ मानी जावेगी ? फिर बेचारा पाप अकेडा श्रौर स्वतन्त्र क्यों उत्पन्न होगा १

तीसरी दछोछ श्रौर छीजिये ! निर्जरा दो तरह की होती है, अकाम और सकाम । श्रकाम निर्जरा तो बन्ध का ही कारण मानी जाती है, वह निर्जरा ऐसी नहीं है जो नये कर्म का बन्ध न

(८५)

कराती हो । दूखरी सकाम निर्जरा है । सकाम निर्जरा सम्यग्-दृष्टि ही कर सकता है, मिध्या दृष्टि कर नहीं सकता । सकाम निर्जरा आत्मा को मोत्त प्राप्त कराने वाळी मानी गई है, और यदि मिध्या दृष्टि भी सकाम निर्जरा कर सकता हो, और सकाम निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता हो, तो फिर सम्यक्त्व व्यर्थ हो जावेगा । फिर सम्यक्त्व की कोई आवश्यकता ही न रहेगी ।

जब मिथ्यादृष्टि भी सकाम निर्जुरा कर मोक्ष प्राप्त कर सकेगा. तब सम्यक्तव की क्या कीमत रही ? इसलिए सम्यग्रहष्टि ही सकाम निर्जेरा कर सकता है। जीव सम्यगुद्दष्टि तभी माना जाता है जब कि निश्चय में तो दर्शन सप्तक यानी अनन्तानुबन्धी चौकड़ी एवं मिथ्यात्त्व मोहिनी, मिश्र मोहनीय तथा सम्यक्त्व मोहिनी इन सात प्रकृतियों का क्षयोपशम करे और व्यवहार में जीवा-जीवादि नव-तत्त्वों को सममे तथा देव गुरु धर्म का स्वरूप समझकर शुद्ध देव गुरु धर्म की श्रद्धान करे, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। जहाँ तक सम्यक्त्व नहीं होता, सकाम निर्जेरा नहीं कर सकता। पुण्य-यन्ध तो पहिले से छगा कर तेरहवें गुणस्थान तक सभी जगह होता है। जब आत्मा एकेन्द्रिय अवस्था में होता है, वहाँ पर सम्यक्त्व तो होता हो नहीं और सम्यक्त्व बिना सकाम निर्जरा नहीं, तब बिना निर्जरा के पुण्य-92

(८६)

प्रकृति कैसे बढ़ती है ? यदि पुण्य-प्रकृति का विकाश नहीं माना जावे तो एकेन्द्रिय जीव, द्वीन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक कैसे पहुँचे ? सम्यक्त्व तो पंचेन्द्रिय को ही प्राप्त होती है, वहाँ तक पुण्य-प्रकृति कैसे बंधे ? और सुनिये ! प्रथम गुणस्थान में वर्तते हुए जीव को ११७ प्रकृति का बन्ध बताया है, जहाँ ३९ पुण्य-प्रकृति हैं। वहाँ सकाम निर्जरातो है नहीं, फिर बिना सकाम निर्जरा के पुण्य-प्रकृति बंधी या नहीं ? इसलिए यही मानना होगा कि पुण्य का उत्त्पादन निर्जरा के बिना भी हो सकता है श्रीर पुण्य रहित निर्जरा भी हो सकती है। यानी एकान्त रूप से पुण्य भी उत्पन्न होता है, और एकान्त रूप से निर्जरा भी होती है। यदि पुण्य रहित निर्जरा का होना न मान। जावेगा, तो उस दशा में जीव को कभी मोच हो ही नहीं सकता। क्योंकि निर्जरा के साथ पुण्य को उत्पत्ति आवइयक मानने पर जीव जैसे जैसे कर्म की निर्जरा करेगा, वैसे ही वैसे पुण्य उत्पन्न होता रहेता और जब तक पुण्य तथा पाप दोनों ही नहीं छट जाते, तब तक मोच नहीं हो सकता।

मतल्ज यह कि तेरह-पन्थियों का यह कहना बिलकुल गलत है कि पुण्य तो निर्जरा के साथ ही होता है, निर्जरा के बिना पुण्य नहीं होता। इसके लिए तेरह-पन्थी लोग खेत के अनाज जीर घास का जो च्दाहरण देते हैं, चसी च्दाहरण का छपयोग (८७)

हम भी करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह घास, खेत में अनाज के साथ आप ही इत्पन्न हो जाती है और कभी अनाज के न होने पर भी उत्पन्न होती है, तथा कभी कैवळ घास ही उत्पन्न की (बोई) जाती है, उसी तरह पुण्य कभी निर्जरा के साथ भी त्पन्न होता है, कभी निर्जरा के बिना भी रुत्पन्न होता है, और कभी केवड पुण्य ही उत्पन्न किया जाता है। जिस प्रकार आवत्र्यकतानुसार घास भी उपादेय माना जाता है, उसी प्रकार आवश्यकतानुसार पुण्य भो उपादेय है। जिस प्रकार आवश्यकता पूरी हो जाने पर घास फेंक दी जाती है, उसी प्रकार भावइयकता पूरी हो जाने पर पुण्य भी त्याग दिया जाता है। परन्तु जिस प्रकार आवश्यकता होने पर घास भी उगाई जाती है, घास की भी रत्ता की जाती है, उसी प्रकार आवश्यकता के छिए पुण्य भी उत्पन्न किया जाता है, श्रौर पुण्य की भी रक्षा की जाती है।

जिन छोगों के पास पशु अधिक होते हैं, वे अनाज के उत्पादन की अपेक्षा घास के उत्पादन का अधिक प्रयत्न करते हैं। बंस्कि कभी कभी तो बोये हुए अनाज का उपयोग भी घास के बदछे करते हैं। उसी प्रकार जो छोग संसार व्यवहार में है, वे भी निर्जरा करने की अपेक्षा पुण्य का अधिक उत्पादन कर सकते हैं, जीर करते भी हैं। वही पुण्य आगे कभी निर्जरा करने में (22)

सहायक हो जाता है। इस्रीखिए शाख में नव प्रकार के पुण्य कहे गये हैं, जो दान द्वारा तथा मन, वचन, काय की शुभ प्रवृत्ति द्वारा उत्त्वन्न किये जाते हैं, तथा पुण्योत्पादन का आदर्श रखने के छिए ही तीर्थंकर छोग दीक्षा छेने से पहछे एक वर्ष तक सोनैयों का दान देते हैं।

तीर्थंकर लोग सोनैयों का जो दान देते हैं, वह दान साधु तो लेते ही नहीं हैं, त्रासाधु ही लेते हैं। यदि तीर्थकरों के उस दान से पुण्य का उत्पन्न होना न माना जावेगा, तो फिर तेरह-पन्थियों की मान्यता के अनुसार उस दान को पाप मानना होगा। क्यांकि तेरह-पन्थियों की ये मान्यताएँ हम ऊपर बता चुके हैं कि—

(१) श्रवती को दान देना पाप है।

(२) पुण्य से अनेरी (दूसरी) प्रकृति पाप की है।

इन मान्यताओं के ऋनुसार तीथेंकरों द्वारा दिया गया दान पाप ठहरता है। छेकिन तेरह-पन्थियों का यह साइस भी नहीं होता कि तीथेंकरों द्वारा दिये गये दान को ने पाप कह डालें। इसलिए ने यह कहते हैं कि 'यह तो तीथेंकरों की रीति है'। दूसरी बात यह कहते हैं कि तीथेंकर जो सोनैया दान देते हैं, वे सोनैया देवताओं के लाये हुए होते हैं। बहुत ठीक, परन्तु देवों के दिये हुए सोनैया या अन्य चीजों का दान करने से पाप तो नहीं होता न ? तब तो पुण्य ही होगा ? क्योंकि जहाँ पुण्य (29)

नहीं, वहाँ पाप मानते हो; तो जहाँ पाप नहीं, वहाँ पुण्य का होना क्यों न मानोगे ? यदि किसी आदमी को, देवों का, राजा का या बाप-दादा का या जमीन में गड़ा या पड़ा हुआ, बहुतसा धन मिला और उसने लंगड़ों, लूलों, भिखारियों को बॉंट दिया, म्रायवा अनायाश्रम, अपंगाश्रम या पांजरापोल को दे दिया, तो भापकी दृष्टि में उस आदमी का यह दान पाप में रहा या पुण्य में ?

यदि तेरहपन्थो छोग ऐसे दान को पुण्य में मानें, तब तो फिर उन्हें साधु के सिवाय अन्य छोगों को दिये गये दान में पुण्य मानना हो पड़ेगा; परन्तु तेरहपन्थी छोग, इस तरह के दान को पुण्य नहीं मानते, अपितु पाप मानते हैं। तब तीर्थंकरों द्वारा दिया गया दान, पाप क्यों नहीं रहा ? उसको पाप कहने में संकोच क्यों होता है।

तेरह-पन्थी लोग कहते हैं कि तीर्थंकरों की दान देने को रीति है, इससे वे दान देते हैं। अतः रसमें पुण्य भी नहीं है और पाप भी नहीं है। इसी प्रकार राजा श्रेणिक ने अपने राज्य में किसी जोव को न मारने को घोषणा कराई थी, उसके लिए भीकहते हैं—

श्रेणिक राजा पटहो फिरावियो यह तो जाणो हो मोटा राजाँ री रीत । भगवन्त न सराह्यो तेइने तो किम आवे हो तिणरी परतीत ।

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

('अनुकम्पा' ढाल ७ वीं)

(९०)

म्मर्थात्—श्रेणिक राजा ने जो अमारी घोषणा (जीव न मारने विषयक) कराई थी, वह तो बड़े राजाओं की रीति है। भगवान ने रस कार्य की सराहना नहीं की, तब उस कार्य को धर्म कैसे जाना जावे ?

इस तरह तीथैंकरों द्वारा दिये गये दान को और श्रेणिक राजा की जीव न मारने विषयक घोषणा को 'रोति' कह कर एक ओर निकाल देते हैं। ये काम 'रीति' से होते हैं, इसलिए इनमें न धर्म मानते हैं, न 5ण्य मानते हैं और पाप भी अहने की हिम्मत नहीं करते । परन्तु यदि 'रीति' होने से ही तीर्थंकरों द्वारा दिया गया दान, तथा श्रेणिक राजा द्वारा कराई गई घोषणा, धर्म, पुण्य या पाप तीनों में से किसी में नहीं है, तो फिर आवक का जिमाना, या विवाहोपढक्ष्य में भात, बरोठो (भात छड़की वाले की ओर से दीगई रसोई का नाम है और बरोठी छड़के वाले की ओर से दोगई रसोई का नाम है) श्रादि में एकान्त पाप कैसे हो सकता है ? क्योंकि ये काम भी तो 'रीति' के अनुसार ही किये जाते हैं। रीति के अनुसार दिया गया तीर्थंकर द्वारा दान और राजा श्रेणिक को घोषणा यदि पाप के अन्दर नहीं है, तो रोति के अनुसार कराये गये झाति भोजन, सम्बन्धी भोजन या सहधर्भी भोजन, पाप क्यों हैं ? श्रीर यदि 'रीति' के कारण किये जाने पर भी इन कामों में पाप होता है, तो तीर्थंकरों द्वारा दिया गया (९१)

दान और राजा श्रेणिक द्वारा कराई गई घोषणा पाप क्यों नहीं हैं ? भात, बरोठी, सगे-सम्बन्धी तथा श्रावक को जिमाने के सम्बन्ध में तो तेरह-पन्थी कहते हैं—

छः काया जीवाँ ने जीव स्रू मारी ने सगा सयण न्यात जिमावेजो । यह प्रत्यक्ष छे सावद्य संसार नो कार्मो तिण में धर्म बतावेजी ।

('अनुकम्पा' ढाल ८ वीं)

अर्थात् —छः काय के जीवों को जान से मारकर सम्बन्धी, मित्र और न्यात को जिमाना प्रत्यत्त ही पापपूर्ण और संसारवृद्धि का काम है, लेकिन कुगुरु लोग इस काम में भी धर्म बताते हैं।

श्रावक ने मां हो माँ ही छः काय खवावे, छः काय मारी ने जिमावे / यह जीव हिंसा रो राह खोटो, तिण मां ही धर्म अनार्य बतावे ॥ १ ॥

('अनुकम्पा' ढाल १३ वीं)

खर्च आधरणी ने भात बरोठी, अनेक आरम्भ कर न्यात जिमावे। ये सब संसार तणा कर्तव्य छे, तिण मां ही मूरख धर्म बतावे॥ १०॥

('अनुकम्पा' ढाल १३ वीं) त्र्यात्—श्रावक परस्पर छः काय के जीव खिळाते हैं, और (९२)

छः काय के जीवों को मारकर जिमाते हैं। यह जीव-हिंसा का मार्ग ही बुरा है, लेकिन अनार्थ लोग इसमें भी धर्म बताते हैं।। १ ।।

रुपया खर्च कर अनेक आरम्भ करके अघरणी (गर्भवती का आठवें या सातवें मास का उत्सव) भात, बरोठो आदि न्याति वाले को जिमाते हैं। ये सब संसार बढ़ाने के काम हैं (यानी पाप हैं,) लेकिन मूर्ख लोग इनमें धर्म बताते हैं।

इस तरह सम्बन्धो, स्नेहो, स्वधर्मी (श्रावक) और न्याति को जिमाना तो 'रीति' के अनुसार होने पर भी तेरह-पन्थी छोग पाप कहते हैं, फिर तीर्थङ्करों द्वारा दिये गये दान को और श्रेणिक की जीव हत्त्या न करने की घोषणा को पाप क्यों नहीं कहते ? जब ये सभी काम रीति के अनुसार हैं, तब एक पाप हो, और दूसरा पाप नहीं, इसका क्या अर्थ ? यह तो स्पष्ट ही जनता को घोखे में डाछना है।

साधुद्यों के सिवा अन्य छोगों को दिया गया दान, तथा मित्र, स्नेंही, सम्बन्धी, झाति आदि को भोजन कराना एकान्त पाप नहीं है, यह हम अगले प्रकरण में बतावेंगे। यहाँ तो केवछ इतना ही बताना इष्ट है कि तेरह-पन्थी छोग, अनुकम्पा दान के दुइमन बनकर किस तरह छोगों को चक्कर में डाछते हैं, और किस तरह कहीं कुछ तथा कहीं कुछ मानते हैं।



Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

दान करना पाप नहीं है

यद्यपि दया और दान जैन धर्म के प्राण हैं। किसी भी मरते हुए जीव को बचाना और किसी नंगे भूखे या कष्ट पाते हुए का कष्ट मिटाना न तो पाप है, और न इन तेरह-पन्थियों के सिवा कोई पाप मानता ही है, इस खिए इनको सिद्ध करने हेतु कोई भी प्रयत्न करना सूर्य को दीपक बताने के प्रयत्न के समान व्यर्थ है। फिर भी तेरह-पन्थो साधु अपनी कुयुक्तियों से भोले छोगों के हृदय में यह ठसाने का प्रयत्न करते हैं कि किसी मरते हुए जीव को बचाना, अथवा साधुओं के सिवा अन्य किसी को कुछ देना, पाप है। छेकिन उनका यह कथन शास्त के भी विरुद्ध है, और व्यवहार के भी विरुद्ध है।

साधु के सिवा अन्य छोगों को दान देना अथवा मित्र, सम्बन्धी, स्वधर्मी आदि को खिछाना-पिछाना पाप है, यह सिद्ध करने के डिए तेरह-पन्थी छोग आनन्द आवक का उदाहरण सामने दूखाते हैं, कि देखो आनन्द आवक ने भगवान महावीर के सामने बह मतिहा की थी, कि मैं अमण व निमन्थ के सिवाय और 93 (88)

किसी को आहार पानी न दूँगा, न उनका स्वागत सत्कार ही करूँगा आदि। ऐसा उदाहरण देकर तेरह-पन्थी छोग इस पर से यह दछीछ करते हैं, कि यदि साधु के सिवाय अन्य छोगों को दान देना तथा खिछाना-पिछाना या स्वागत सत्कार करना पाप न होता, तो आनन्द श्रावक ऐसा अभिग्रह क्यों छेता ? और भगवान महावीर ऐसा अभिग्रह क्यों कराते ? आदि ।

इस तरह आनन्द आवक के अभिन्नह के नाम से साधु के सिवाय अन्य छोगों को दान देना पाप बताते हैं। यद्यपि आनन्द आवक ने जो अभिन्नह लिया था, वह ऋन्य युथिक साधुओं को गुरु बुद्धि से दान देने के विषय में ही लिया था, ऐसा ते (ह-पन्थियों के सिवाय वे सभी जैन मानते हैं-जो उपासक दशांग सूत्र को मानने वाले हैं, परन्तु यह बात तेरह-पन्थियों को स्वीकार नहीं है। वे इस सम्बन्ध में बहुतसी दछीलें करते हैं, और कहते हैं कि आनन्द आवक का अभिन्नह साघु के सिवाय सब के लिए था।

इम इन दछीछों में अभी न पढ़ कर, आनन्द श्रावक के चरित्र से ही यह सिद्ध करते हैं कि साधु के सिवाय श्रन्य छोगों को दान देना या मित्र, ज्ञाति, कुटुम्बी, स्वजन, सम्बन्धी आदि को खिछाना--पिछाना या देना लेना पाप नहीं है। इम जो इख कहेंगे, उससे यह भी स्पष्ट हो जावेगा कि वास्तव में श्रानन्द (९५)

भावक ने जो श्रभिन्नह किया था, वह सब छोगों के छिए नहीं था, किन्तु केवल अन्य युथिक साधुओं को दान देने आदि के विषय में ही था श्रौर वह भी केवल गुरु बुद्धि से।

त्राप आनन्द आवक के चरित्र को देखिये। " किसी समय आधी रात के पश्चात् धर्म जागरणा करते हुए आनन्द आवक ने इस प्रकार का अध्यवसाय (विचार) और मनोगत संकल्प किया कि मैं इस वाणिब्य प्राम नगर के बहुत से राज्याधिकारी एवं समस्त कुटुम्ब के लिए त्राधार भूत हूँ, इस कारण उनके कामों में पड़ने छे मैं, भगवान महावीर के पास से जो धर्म स्वीकार किया है, उस घर्म को पूरी तरह पालने में समर्थ नहीं हूँ। इस लिए मैं कल सूर्योदय होने पर बहुतसा त्रसन पान खाद्य और स्वाद्य (भोजन, पेय, उपभोजन और स्वाद्य) निपजाकर मेरे मित्र झाति त्रादि को जिमा कर तथा मित्र ज्ञाति और बड़े पुत्र को सम्मति लेकर, कोछाक सन्निवेश की पौषधक्षाला में भगवान महा-बीर से स्वीकृत धर्म का पाळन करता हुआ। विचरूँगा। इस तरह निश्चय करके आनन्द आवक ने सूर्योदय होने पर बहुतसा खाने-पीने आदि की सामग्री बनवाई, और मित्र ज्ञाति तथा नगर के छोगों को बुलाकर उनको खिळाया-पिछाया, तथा पुष्प-वस्त आदि से उन सब का सत्कार सम्मान किया। फिर उन सब के सामने अपने बड़े पुत्र को बुलाकर उससे कहा, कि हे पुत्र ! जिस प्रकार

(९६)

मैं वाणिज्य प्राम में बहुतों के छिए, राजादि के छिए तथा छुटुम्ब के छिए आधार होकर रहता था, उसी तरह तुम भी सब के छिए आधार होकर रहना। ''

आनन्द आवक के छिए जो पाठ ऊपर दिया गया है, डसको सूत्र में-पूर्ण सेठ का डदाहरण देकर संक्षिप्त कर दिया है। इस पाठ से स्पष्ट है कि आनन्द आवक ने धर्म जागरण करते हुए खान-पानादि की सामगी बनवा कर ज्ञाति के छोग और मित्रादि को भोजन कराने का संकल्प किया था। डस संकल्प के अनुसार आनन्द आवक ने संबेरे बहुतसो खान-पान आदि की सामगी बनवाई, तथा मित्र ज्ञाति और नगर के छोगों को भोजन कराकर उनको पुष्प-बस्नादि अप्र्पण कर डनका सत्कार सम्मान भी किया।

त्रभिष्रह के पाठ से इस पाठ का मिछान करने से स्पष्ट है कि आनन्द श्रावका का त्राभिष्रह साधु के सिवाय सबके छिए नहीं था, किन्तु केवछ अन्य तीर्थी साधुओं के छिए ही था, और वह भी गुरु बुद्धि पूर्वक दान देने तथा सरकार सम्मान करने के छिए। बदि आनन्द का अभिष्रह सभी के छिए होता, तो ज्ञानन्द मित्र, बाति और नगर के छोगों के छिए मोजनादि बनबा कर उनको जिमाता क्यों, उनका सरकार सम्मान क्यों करता, तथा उन्हें वजन् पुष्पादि क्यों देता ? आनन्द आवक का यह कार्य उसके द्वारा रखे गये किसी आगार के अर्न्तगत भी नहीं त्राता है। क्योंकि उसने सब को मोजन कराने त्रादि विषयक जो निश्चय किया था, वह अपने मन से ही किया था, ऐसा शास्त्र का स्पष्ट पाठ है। उससे राजा गण, बळवान, गुरुजन त्रादि किसी ने भी यह नहीं कहा था कि तुम सब को भोजन कराओ या वस्तादि दो।

आनन्द आवक ने अपने इस कार्य के लिए कोई प्रायश्चित भी नहीं लिया था। और तो क्या, उसने सबको खिलाने का जो निश्चय किया था, वह भी धर्म जागरणा करते हुए। यदि पुरजन आदि किसी को खिलाना अथवा किसी को कुछ देना पाप होता, तो आनन्द आवक ऐसा पाप क्यों करता ? उसने यह कार्य मूल से किया हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि शास्त्र का यह पाठ स्पष्ट है कि आनन्द आवक ने जो व्रत लिये थे, या जो प्रतिज्ञा की थी उनका अर्थ भी भगवान से समझ लिया था।

यदि तेरइ-पन्थियों के कथनानुसार मित्र, झाति सम्बन्धी आदि को खिळाना-पिळाना या देना पाप होता तो आनन्द आवक के छिए ऐसा कोई कारण न था, जो वह ऐसा पाप करता क्योंकि जानन्द आवक ने यह कार्य विशेष निष्टत्ति बढ़ाते समय आवकपने में किया था। इस प्रकार इस पाठ से सिद्ध है कि--- (९८)

(र्र) जानन्द आवक ने जो अभिमह किया था, वह अन्य तीर्थी साधुओं को गुरु बुद्धि से देने के विषय में ही था। साधुओं के सिवाय और किसी को भोजन कराना या कुछ देना पाप है, इस दृष्टि से आनन्द का अभिमह नहीं था।

(२) मित्र, स्नेही, झाति तथा अन्य छोगों को खिछाना-पिछाना या वस्तादि देना पाप नहीं है। यदि पाप होता, तो आनन्द आवक यह पाप क्यों करता, जब कि वह विरोष निष्टति करने जा रहा था। और अभिमह भंग करके करता तो विराधक माना जाता आछोचना भी करता, सो कुछ भी अधिकार उपासक-दर्शांग में नहीं है।

आनन्द आवक के छिए यह बात भो ध्यान में रखने योग्य है कि आनन्द आवक सब के छिए आधार भूत था। आनन्द आवक के वर्णन में यह बात कई बार आई है कि आनन्द आवक सब के छिए आधार था और आनन्द आवक ने अपने छड़के से भी यही कहा था, कि तुम भी सबके छिए आधार होकर विचरना। कोई भी आदमी किसी के छिए तभी आधार हो सकता है, जब कि बह आधार बना हुआ व्यक्ति आधेय व्यक्ति के प्रति उदारता पूर्ण व्यवहार रखे, और आधेय व्यक्ति को समय २ पर कुछ देता भी रहे, उनका कष्ट भी मिटाता रहे। बिना ऐसा किये कोई भी व्यक्ति (99)

किसी के लिए आधार कैंसे माना जा सकता है ? आनन्द में बे सभी बातें थीं, तभी तो वह सब के लिए आधार भूत था। तेरह-पन्थी लोग इन सभी बातों को पाप मानते हैं। परन्तु बदि ये बातें पाप होती, तो आनन्द आवक इन सब बातों का भी

त्याग कर देता। लेकिन आनन्द आवक जब तक संसार व्यवहार में रहा, तब तक सब के लिए आधार बना रहा, और संसार व्यवहार में रहा, तब तक सब के लिए आधार बना रहा, और संसार व्यवहार से निष्टत्त होते समय उसने अपने लड़के को भी यही शित्ता दी कि सब के लिए आधार बनकर रहना। इससे स्पष्ट है, कि आधार बनने के लिए, आनन्द में दूसरे को सहायता करना, दूसरे का दुःख मिटाना और दूसरे के प्रति उदारता पूर्ण व्यवहार रखना आदि जो बार्ते थीं, वे बार्ते पाप रूप नहीं थीं, किन्तु पुण्य रूप हो थीं।

तेरइ-पन्थियों की मान्यतानुसार तो दाम लेकर आसंयति का पोषण करना, पन्द्रह कर्मादानों में का एक कर्मादान है, यानी अनाचरणीय पाप है, और बिना दाम लिये भी आसंयति का पोषण करना पाप है (जैसा कि हम पिछले कुपात्र सुपात्र के प्रकरण में तेरह-पन्थियों द्वारा शास्त्र के गल्त अर्थ करने के ज्दाहरणों में बता चुके हैं)। लेकिन यदि तेरह-पन्थियों का यह कथन सही होता, तो आनन्द आवक ऐसे पाप क्यों करता ?

आनन्द श्रावक के विषय में एक वात यह भी म्यान में रखने की है, कि आनन्द श्रावक ने मित्र झाति स्रादि को भोजन कराने (900)

का जो निश्चय किया था, वह धर्म जागरणा करते हुए । यदि इस तरह का विचार पाप होता, तो शास्त्रकार यह लिखते कि घर्म जागरणा करते हुए उसको इस तरह का पाप पूर्ण विचार हुआ। उसके विचार को धर्म जागरणा के ही अन्तर्गत न मानते। **ा आनन्द श्रावक के चरित्र** से तेरह-पन्थियों का यह कथन तो झुठ ही ठहरता है कि आवक, सम्बन्धी और न्याति गोति आदि को खिछाना पाप है। यदि तेरह-पन्थियों का कथन सही माना जावे, तो उसके साथ यह मानना होगा, कि त्रानन्द श्रावक ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी। क्योंकि हम यह बता चुके हैं कि आनन्द श्रावक ने सब को खिळाने पिळाने आदि का जो निश्चय किया था, तथा सबको जो खिछाया पिछाया था, वह किसी भी आगार के अन्तर्गत नहीं आवा है। और आनन्द आउक ने अपना कोई वत अभिग्रह तोड़ा हो, ऐसा शास्त्र में कोई पाठ भी नहीं है। इसबिए इस सम्बन्ध में तेरह पन्थियों की कोई भी दलील सत्य नहीं ठहरती है।

साधु के सिवाय अन्य छोगों को दान देना पाप नहीं है, यह सिद्ध करने के छिए हम एक दूसरा झाझीय प्रमाण भी देते हैं। 'राय प्रसेणी' सूत्र में राजा प्रदेशों का वर्णन आवा है। राजा प्रदेशी पहिछे नास्तिक था। नास्तिक होने के कारण, वह किसी को दान हे, यह सम्भव नहीं है; बल्कि यही सम्भव है, कि वह दूसेरे के (]0])

पास जो कुछ हो, वही छीन छे। परन्तु केशी अमण का उपदेश सुन कर उसने केशी स्वामी के सामने यह प्रतिझा की कि---

अहं णं सेयंविया पामोक्खाईं सत्तग्गाम सहस्साईं चत्तारि भागे करिस्सामि। एगे भागे वल वाहणस्स दल इस्सामि, एगे भागे कोद्वागारे दलइस्सामि, एगे भागे अन्ते-उरस्स दलइस्सामि, एगेण भागेणं महइ महालिय कुडागार साल्टं करिस्सामि। तत्थणं बहु हिं पुरिसेहिं दिण्णभत्ति भत्तवेयणेहिं विउलं असणं पाणं खाइमं साइमं उवक्ख-ढावेत्ता बहुणं समण माहण भिक्खुयाणं पंथि पहियाणय परिभोये माणे वहुहिं सीलवय, पच्चक्खाणं पोसहोववासेहिं जाव विहरिस्सामि।

अर्थात—मै इवेताम्बिका नगरी प्रभृति सात इजार प्रामों को (यानी मेरे राज्य को) चार भागों में बॉटकर एक भाग बल वाइन (फौज वरौरा) के लिए दूँगा, एक भाग खजाने के लिए दूँगा, एक भाग अन्तःपुर के लिए दूँगा और एक भाग से एक बहुत बड़ी दानशाला बनवा कर, उसमें बहुतसे नौकर रखकर, बहुतसा ब्रह्मन पान साद्य स्वाद्य (स्नाने पीने के पदार्थ) बनवा कर अमण (साधु), माइन (ब्राह्मण या आवक), भिक्षुक और मार्ग चल्लते १४ (**J**oz)

हुए छोगों को खिटाता पिछाता हुआ, शीछ वत प्रत्यास्यान पौषधोपवास करता हुआ विचरूँगा।

इस शास्त्र पाठ से भी सिद्ध है कि साधु के सिवाय अन्य छोगों को दान देना एकान्त पाप नहीं है। इसी प्रकार साधुओं के छिए भी दीन-दुःखो भिक्षुक आदि को दान देने के छिए उपदेश देना, पाप नहीं है। यदि साधु के सिवाय अन्य होगों को दान देना, या देने का उपदेश देना एकान्त पाप होता, तो केशी अमण राजा प्रदेशी को दान देने के लिए उपदेश ही कैसे देते और राजा प्रदेशी, श्रावक बनने के पश्चात् सब को दान देने के छिए दानझाछा बनवाने की केशी स्वामी के सामने प्रतिज्ञा ही क्यों करता ? यह बात तो थोड़ी बुद्धि वाला भी समझ सकता है कि जो प्रदेशी राजा नास्तिक था, दान-पुण्य, आत्मा-परमात्मा या साधु भिक्षुक आदि किसी को मानता ही न था, उसकी यदि केशी अमण ने दान देने का निषेध कर दिया होता, तो वह दानशाखा विषयक योजना कैसे बनाता, तथा वह योजना केशी अमण को क्यों सुनाता 🎙 इससे स्पष्ट है, कि---

(१) दीन-दुःस्ती भिस्तारी आदि को दान देना एकान्त पाप नहीं है।

(२) साधु का इस विषयक उपदेश देना भी एकान्त पाप नहीं है, किन्तु इस विषय परक्ते निषेध करना ही पाप है। (903)

यहाँ पर तेरह-पन्धी छोग एक दछीछ देते हैं। उस दलील का बत्तर देना भी आवश्यक है। तेरह-पन्धी खोग कहते हैं कि राजा प्रदेशी की दानशाला खोलने विषयक प्रतिझा सुनकर भी केशी अमण मौन ही रहे। केशी अमण कुछ बोले नहीं, मौन रहे, इस बिए राजा प्रदेशी का दानशाला खोलना पाप है। क्या ही मजेदार रबील है? इस दलील के अनुसार जिस बात को सुनकर साधु चुप रहे. वह बात पाप में ही मानी जावेगी। परन्तु राजा प्रदेशी ने दानशाला की बात कहते हुए यह भी कहा था कि 'मैं शील प्रत्या-स्यान त्रौर पौषध उपवास करता हुत्रा विचरूँगा'। राजा प्रदेशी के इस कथन को सुनकर भी केशी मुनि कुछ नहीं बोले थे। इस बिए क्या शील प्रत्याख्यान श्रौर पौषध डपवास भी पाप है ? केशी मुनि के न बोछने पर भी यदि शोछ प्रत्याख्यान और पौषध उपवास पाप नहीं हैं, तो दानशाला खुलवाना तथा दान देना ही पाप क्यों हो जावेगा? श्रीर यदि साधु के सिवाय अन्य डोगों को दना पाप था, तो केशी श्रमण ने राजा प्रदेशी के दानशाला खोलने विषयक विचार की निन्दा क्यों नहीं की थी ? यदि यह कहा जावे कि दानझाढा खोढने विषयक विचार की निन्दा करने से बहुत से छोगों को अन्तराय छगती, तो तेरह-पन्थियों का यह क्यन, उन्हीं के कथन के विरुद्ध होगा। तेरह-पन्थी लोग 'अम-विभ्वंसन' प्रष्ट ५१-५२ में स्पष्ट कहते हैं, कि---

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

(308)

'वर्तमान काले देतो लेतो देखी पाप कह्याँ अन्तराय लागे। अने उपदेश में हुवे जिसा फल बतायां अन्तराय लागे नहीं। अनेक ठामे असंयती ने दान देवे तेहना कडुआ फल उपदेश में श्री तीर्थङ्कर देवे कह्या छे। ते भणी उपदेश में पाप कह्याँ अन्तराय लागे नहीं। उपदेश में छे जिसा फल बतायां अन्तराय लागे तो मिथ्या दृष्टि रो सम्यग्दृष्टि किम हुवे। धर्म अधर्म री ओलखना किम आवे, ओलखणा तो साधु री बताईज आवे छे।'

अर्थात्—वर्तमान फाल में देता लेता देख कर पाप कहने से अन्तराय लगती है, परन्तु उपदेश में जैसा फल हो वैसा फल बताने से ज्वन्तराय नहीं लगती। उपदेश में तो तीर्थद्वरों ने अनेक जगह असंयति को दान देने का कटु फल कहा है। इसलिए 'असंयति को दान देना पाप है', ऐसा उपदेश में कहने से अन्तराय नहीं लगती। यदि उपदेश में असंयति को दान देने का कटु फल बताने से अन्तराय लगती हो, तो मिथ्या-दृष्टि व्यक्ति सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकता है ? धर्म अधर्म की पहचान कैसे हो सकती है ? धर्म अधर्म की पहचान तो साधु के बताने से ही जानी जाती है।

तेरह-पन्थियों के इस कथनानुसार राजा प्रदेश्ती के दानशाला खोढने विषयक विचार को पाप बताने में कैछी श्रंमण को किसी Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara. Surat www.umaragyanbhandar.com (904)

भी तरइ की बाधा नहीं आती थी। क्योंकि केशी अमण के सामने राजा प्रदेशो, किसी को कुछ दे नहीं रहा था, इसछिए केशी अमण उपदेश में राजा प्रदेशी को यह कह सकते थे, कि — 'तेरा दानशाला खोलकर सबको दान देने का विचार पापपूर्ण है।'

यदि साधुओं के सिवाय अन्य छोगों को दान देना पाप है, और फिर भी केशी अमण ने इस पाप-कार्य की पहचान राजा प्रदेशो को नहीं कराई, इस पाप का फल राजा प्रदेशो को नहीं बताया, तो उस दशा में केशी अमण अपने कर्तव्य से पतित माने जावेंगे। क्योंकि तेरइ-पन्थी स्वयं कहते हैं कि-'यदि उपदेश में असंयति को दान देने का कटु फल बताने से अन्तराय लगती हो. तो मिथ्या दृष्टि व्यक्ति सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकता है ? और धर्म अधर्म की पहिचान कैसे हो सकती है ? धर्म अधर्म की पहचान तो साधु के बवाने से हो जानी जाती है।' इसके अनुसार केशी श्रमण का कर्त्तंच्य या कि राजा प्रदेशी दानशाला स्रोडकर सबको दान देने का मिध्यात्व श्रौर पाप पूर्ण जो कार्य करना चाधता था और अन्ततः शास्त्र के पाठानुसार जिस कार्य को राजा प्रदेशी ने शीघ कर ही ढाला--- दानशाला खुलवाई ही--स्य कार्य से राजा प्रदेशी को रोकते, उस कार्य का कटु फल बताते, तथा राजा प्रदेशी को धर्म श्राधर्म की पहचान कराते।

(१०६)

केशी अमण ने यह सब नहीं किया, इसछिए तेरह-पन्थियों की हृष्टि में केशी अमण, कर्तन्य से भ्रष्ट हुए। लेकिन केशी अमण कर्तब्य भ्रष्ट थे, ऐसा तेरह-पन्थी भी कहते या मानते नहीं हैं। ऐसी दशा में तेरह-पन्थियों की यह दछीछ कोई कीमत नहीं रखती, कि राजा प्रदेशी का दानशाछा विषयक कथन सुनकर केशी अमण कुछ नहीं बोछे थे, और इसछिए राजा प्रदेशी का दानशाछा कोछना पाप था।

केशी अमण के न बोळने से, और केशी अमण ने दानशाळा विषयक राजा प्रदेशो के विचार की सराइना नहीं की थी, इससे यदि राजा प्रदेशी का दानशाळा खोळना पाप है, तो त्रानन्द आवक का व्रत अभिमह आदि स्वीकार करना भी पाप हो जावेगा। क्योंकि त्रानन्द आवक ने त्रान्य यूथिक साधुओं को दान सम्मान बादि न देने तथा अभण निम्रन्थ को भोजन पानी त्रादि देने विषयक जो त्राभिम्रह भगवान महावीर के सामने किया था, उस

अभिन्नह के करने पर भो भगवान महावीर कुछ नहीं बोछे थे। भगवान महावीर ने आनन्द आवक के अभिन्नह की सराहना नहीं की थी। इसछिए तेरह-पन्थी छोग जिस तरह आनन्द आवक के श्रभिन्नह का अर्थ साधु के सिवाय अन्य सभी को न देना करते हैं, उसी तरह साधुओं को देना भी पाप ठहरेगा क्योंकि भगवान ने दोनों ही की सराहना नहीं की थी। इसछिए तेरह- (900)

पन्थी छोग ऐसा मानते नहीं हैं। ऋतः केशी श्रमण ने राजा प्रदेशी के दानशाला विषयक विचार का समर्थन नहीं किया था, इसलिए राजा प्रदेशी का वह कार्य पाप ही था, ऐसी तेरह-पन्थियों की दलोल छोगों को केवल छम में डालने के लिए ही है। अपना उद्देश्य पुरा करने के वास्ते, व्यर्थ की दलील है। इसमें तथ्य बिल्कुल नहीं है।

सारांश यह कि साधु के सिवाय अन्य छोगों को दान देना पाप नहीं है। यह बात तीर्थङ्करों का दान देना भी सिद्ध करता है, और उत्पर शास्त्र के जो दो प्रमाण दिये गये हैं, उनसे भी सिद्ध है।

तेरह-पन्थियों को एक दछीछ और है। वे अपनी 'त्रनुकम्पा' की बारहवीं ढाल में कहते हैं कि यदि सोनैया, धन-धान्य आदि श्रसंयति लोगों को देने में, तथा मरते हुए श्रसंयति जीवों को बचाने में धर्म होता, तो भगवान महावीर की प्रथम वाणी निष्फल क्यों जाती ? देवता लोग लोगों को सोनैया, धन-धान्य, रझ आदि देकर, तथा समुद्र में मरती हुई मछल्यों को बचाकर भगवान महावीर की वाणी सफल करते । इस सारी ढाल में बन्होंने देवताओं का ही उदाहरण लिया है । उनका योड़ासा कथन उद्दाहरण के तौर पर यहाँ दिया जाता है—

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

() 0 ()

जो जीव बचाया धर्म हुए, ओ तो देवता रे आसानजी। अनन्त जीव बचाय ने वाणी सफल करता देव आनजी। असंयति जीव बचावियाँ वले असंयति ने दिया दानजी। इम करता वीर वाणी सफली हुए ओ तो देवता रे आसानजी।

ष्प्रधौत्—यदि जीव बचाने में धर्म होता, तो यह कार्य तो देवताओं के डिए सरड था। देवता अनन्त जीवों को बचाकर भगवान महावीर की वाणी सफड कर देते। असंयति जीव को बचाने और असंयति जीव को दान देने से यदि मगवान महावीर की वाणी सफड हो सकती, तो ये कार्य देवताओं के डिए आसान थे। देवता, इन कामों को करके धर्म के आचरण द्वारा भगवान महावीर की वाणी सफड कर सकते थे।

परन्तु उन छोगों को यह माछ्म नहीं है कि भगवान महावीर की प्रथम वाणी खाछी क्यों गई ? भगवान महावीर को जिस समय केवछ ज्ञान उत्पन्न हुआ, वह सन्ध्या का समय था, और जंगळ था। भगवान ने केवछ ज्ञान होते ही वाणी फरमाई----उस समय मनुष्य मनुष्यणी और तिर्यंच तिर्यचणी नहीं थे। इसछिए जैसा कि भगवान ने धर्म के दो भेद करके आगार और अणगार धर्म का प्रतिपादन किया, उस त्याग प्रत्याख्यान रूप चारित्र धर्म को किसी ने अंगीकार नहीं किया था, इस अपेक्षा से (908)

वाणी साली गई मानी है, न कि दान पुण्य या जीव-रक्षा की अपेक्षा से। इस पर से प्राणी-रक्षा या दान देना निषिद्ध नहीं हो सकता। यह उदाहरण दया दान उठाने की कुयुक्ति रूप है। यदि जो काम देवता नहीं करते, मनुष्यों के छिए भी वह काम करना निषिद्ध है, पाप है, तो देवता छोग साधुओं को आहार पानी, वस्त पात्र आदि भी नहीं देते हैं। इसलिए मनुष्य के छिए भी साधु को आहार-पानी त्र्यादि देना निषिद्ध और पाप होगा। और यदि साधु को देवता छोग आहार-पानी नहीं देते, तब भी मनुष्य के लिए साधु को आहार-पानी श्रादि देना पाप नहीं है, अपित छाभप्रद ही है; तो किसी मरते हुए जीव को बचाना तथा दीन दुःस्ती त्रादि को दान देना भी पाप कैसे हो . सकता है ? जैन सिद्धान्त दीन दुःखी जीवों को दान देकर उनकी सहायता करने के वर्णन से भरे पड़े हैं। अनेकों उदाहरण विद्यमान है ।



जीव बचाना पाप नहीं है

तेरह पन्थी लोग इस शास्त्र पाठ के विषय में यह कहते हैं कि दया और रत्ता का अर्थ यही है कि किसी जीव को न मारना, लेकिन किसी मरते हुए जीव को बचा देना दया या अनुकम्पा नहीं है। यद्यपि तेरह-पन्थियों का यह अर्थ गल्त है, थोड़ीसी मी (**)))**)

समझ वाला आदमी जानता है, कि बचाने का नाम रक्षा है, व्यवहार में भी रक्षा शब्द इसी ऋर्थ में प्रयुक्त होता है, और टीका में भी रक्षा का अर्थ बचाना ही कहा गया है, फिर भी तेरह-पन्थी लोग यह कह कर लोगों को भ्रम में डाल देते हैं, कि किसी को न मारना, यही दया या रक्षा है। किसी मरते हुए को बचाना दया या रत्ता नहीं है। उनका यह कथन केवल लोगों को मुलावे में डालकर अपने मत का प्रचार करने के लिए ही है।

जैन शास्त और जैन शासन प्रधानतः मरते हुए जीवों की रक्षा के छिए ही है। इस बात को अंग्रेज विद्वान भी मानते हैं। इतिहासकों का भी कथन है, कि जैन धर्म संसार में दुःख पाते हुए तथा मारे जाते हुए जीवों को त्राण देन के छिए ही है। बुद्धि से भी विचारा जा सकता है, यदि जैन धर्म किसी मरते हुए प्राणी को बचाने में पाप मानता होता, तो यह अपने समकाछीन प्रतिस्पर्द्धी बौद्ध धर्म के सामने टिकता हो कैसे।

इन सब बातों के सिवाय, शास्त्रों में मरते हुए जोव को बचाने के डिए आदर्श रूप में ऋनेक उदाहरण भी पाये जाते हैं। जैसे---भगवान अरिष्ट नेमि ने मारे जाने के छिए बन्द किये हुए वाड़े (पींजरे)में से पशुओं को छुड़ाया था, यह बात हम पहले कह आये हैं। भगवान पार्श्वनाथ ने भी आग में जलते हुए नाग को बचाया था और भगवान महावोर ने भी यज्ञ में होने वाली पशु-हिंसा का (११२)

जबरदस्त विरोध करके उन जीवों का रत्तण कराया था। इसके सिवाय भगवान महावीर ने तेजो लेक्या से जखते हुए गोशालक को बचाया था, इसका शास्त में स्पष्ट उल्लेस है। इस प्रकार तीन उदाहरण तो तीर्थक्करों के ही हैं, जिनसे यह सिद्ध है कि मरते हुए जीव को बचाना पाप नहीं है, अपितु जैन धर्म का मुख्य सिद्धान्त है। यदि मरते हुए जीव को बचाना पाप होता तो तीर्थक्कर भग-वान स्वयं यह पाप क्यों करते ?

तेरह-पन्थी छोग शास्त्र के इन तीनों प्रमाणों के लिए भी कुछ न कुछ दछीछ देकर छोगों को मुखावे में डाखते ही हैं। भगवान श्ररिष्ट नेमि के लिए कहते हैं, कि उन जीवों की हिंसा भगवान अरिष्ट नेमि के निमित्त से हो रही थी, इसीसे भगवान अरिष्ठ नेमि ने उन जीवों की हिंसा का पाप अपने छिए माना और उस पाप को टाळा। भगवान महावीर के लिए कहते हैं कि गोशालक को बचा कर भगवान महावीर ने भूछ को। तेरह-पन्थियों ने भगवान अरिष्ट नेमि और भगवान महावीर के जीव-रक्षा विषयक आदशों को मिटाने के छिए अपने मन्थ 'भ्रम विष्वंसन' में कई पृष्ठ के पृष्ट छिस्ते हैं, और अनुकम्पा की ढाओं में दो तीन पूरी ढालें इसी विषय को छेकर की हैं कि भगवान महावीर ने गोझाछक को बचाकर मयंकर भूळ की थी। इसी प्रकार भगवान पार्श्वनाथ के छिए भी कहते हैं कि---

()))

नाग नागिनी हुंता बलता लकड़ा में, त्यांने पार्श्वनाथजी काढ्या कहे बारे । अग्नि में बलतां ने राख्या जीवता, पाणी अग्नि आदिक जीवां ने मारे । ओ उपकार संसार रो । ('अनुकम्पा' ढाल ११ वीं)

अर्थात्—पार्श्वनाथजी ने आग में जलते हुए नाग नागिन को बाहर निकाल कर उनको जीवित रखा, इस कार्य में भगवान पार्श्वनाथजी ने आग और पानो के जीवों की हिंसा की, इसलिए यह उपकार संसार का है, यानी पाप है ।%

इस तरह तीनों ही तीर्थद्भर द्वारा स्थापित जीव-रत्ता विषयक आदर्श को तेरह-पन्धी पाप में मानते हैं। इस सम्बन्ध में तेरह-पन्थियों की दलीलें व्यर्थसी हैं। इस सम्बन्धी उनकी दलीलों का खण्डन करने में पड़ना, अपना समय नष्ट करना है। उनकी दलीलें, बुद्धि हीन और अपढ़ लोगों को चाहे भ्रम में डाल सकें, परन्तु बुद्धिमान लोग भ्रम में नहीं पड़ सकते। बुद्धिमानों के लिए

अ यह बताया जा चुका है, कि तेरह पन्धी लोग 'संसार का उपकार' संसार में जन्म मरण कराने बाला 'पॉप' मानते हैं। (338)

चनकी दलीलों का खण्डन करने के लिए एक ही दलील काफी है, जो हम नीचे लिखते हैं।

तीर्थद्वरों को मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ये तीन ज्ञान जन्म से ही होते हैं। इसछिए इस काछ के तेरह-पन्थी साधुओं की अपेत्तो उनका धार्मिक ज्ञान कम तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि पूर्ण श्रुत ज्ञान चौदह पूर्व-धारियों को ही होता है, उन्हें ही सर्वाक्षर सन्निपाती कहते हैं। शेष सब श्रुत ज्ञान से अपूर्ण हैं। तेरह-पन्थी साधुओं में दो ज्ञान भी पूरे नहीं हैं। ऐसी दशा में भगवान तीर्थद्वरों द्वारा किये गये जीव रक्षा के कार्मो को पाप या भूछ कहने की योग्यता तेरह-पन्थियों में कहाँ से आगई ?

तेरह-पन्थियों की इस अप्रनिधकार चेष्टा से तो जाना जाता है, कि तेरह-पन्थियों में तीर्थङ्करों से भी ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। परन्तु है श्रुतज्ञान को यथा तथ्य समझने की मति का दिवाळा ! क्योंकि भगवान अरिष्ट नेमि की भूछ उनके पीछे वाले कोई तीर्थङ्कर न जान सके, भगवान पार्श्वनाथ का पाप भगवान पार्श्वनाथ स्वयं अथवा भगवान महावीर न जान सके, और भगवान महावीर की गलती भगवान महावीर को अन्त तक दिखाई न दी, लेकिन तेरह-पन्थी साधु तीनों तीर्थङ्करों की भूछ और उनके पाप को समझ ())५)

गये। इसडिए तेरह-पन्थी तीर्थद्वरों से भी ज्याद। ज्ञानी ठहरे ! तीर्थद्वरों के भी गुरु ठहरे !

एक बाब और है। भगवान अरिष्ठ नेमि, भगवान पार्श्वनाथ या भगवान महावीर ने जो भूछ की थी, उन्हें अपनी उस भूछ को स्वीकार करके जनता को सावधान कर देना चाहिए था, कि मैंने यह भूछ की है, लेकिन तुम कोई इस तरह की भूल मत करना। कम से कम उन आवकों को तो इस वात से परिचित कर ही देना चाहिए था, जिन आवकों ने भगवान तीर्थद्वर के पास ज्ञत स्वीकार किये थे।

तेरह-पन्थो छोगों के इस कथनानुसार कि-"धर्म अधर्म की पहचान साघु ही कराते हैं, † " भगवान महावीर का यह कर्तव्य था, कि आवकों को अधर्म की पहचान कराने के लिए, आवकों को ऋतिचार बताने के साथ ही साथ यह भी कह देते कि-"किसी मरते हुए जीव को बचाना पाप है, ऋतः इस पाप से भी बचना" इसलिए तेरह-पन्थियों की मान्यतानुसार क्या भगवान महावीर को कर्तव्य से पतित मानना उचित होगा ? यह बात तो किसी भी जैन को स्वीकार नहीं हो सकती। इसलिए इसी निश्चय पर पहुँचा

† देखो 'अम विध्वंसन' पृष्ट ५०-५१ जिसका उद्धरण हम पिछले प्रकरण में दे चुके हैं। (328)

जाता है, कि तेरह-पन्थियों की इस विषयक दखीलें झूठी हैं, छोगों को भ्रम में डालने के लिए हैं, और इस तरह छोगों के हृदय में से करुणा निकालने के लिए हैं।

जीव को बचाना पाप नहीं है, किन्तु अनुकम्पा है; रत्ता है, यह ब त 'झाता सूत्र में' मेघकुमार के अधिकार से भी सिद्ध है। 'झाता सूत्र में' कहा गया है कि भगवान महावीर ने मेघकुमार से स्पष्ट ही कहा था, कि-हे मेघकुमार ! तूने हाथी के भव में प्राणभूत जीव सत्त्व की अनुकम्पा को थी, उस शशले की रक्षा के छिए तो बीस पहर तक पैर ऊँचा रखकर अपने शरीर का ही बछिदान कर दिया था, इसीसे समकित रत्न प्राप्त हुआ, संसार परिमित हुवा, मनुष्य जन्म, राजसी वैभव आदि प्राप्त हुवे और आन्त में तू संयम छे सका। यदि जीव-रक्षा में पाप होता, वो भगवान महावीर जीव-रक्षा का यह परिणाम क्यों बताते ?

मेधकुमार के उदाहरण के छिए भी तेरह-पन्थी छोग एक ज्यर्थ की दखाख करते हैं। वे कहते हैं कि-मेचकुमार ने हायो के भव में शखले को नहीं मारा था, इसीसे उसको मनुष्य जन्म आदि मिछा, परन्तु हाथी के मण्डल में जो बहुत से जावों ने आकर आश्रय खिया था, उससे तो हाथी को पाप ही ढगा। समझ में नहीं ज्याता कि तेरह-पन्थी छोग यह दछीछ किस आधार पर सड़ी करते हैं। एक कवि ने कहा है- (۱۱۰)

अति रमणीये काव्ये पिशुनो दूषणमन्वेषयति ।

अति रमणीये वधुषि ब्रणमिव मक्षिका निकरः ॥ अर्थात-अच्छे रमणीय काव्य में भी धूर्त ढोग उसी प्रकार दोष को खोजा करते हैं, जिस प्रकार बहुत रमणीय शरीर में भी मक्खी केवळ घाव ही खोजा करती है।

इसके अनुसार सर्वज्ञों के प्रतिपादित करुणा से भरे हुए शास्त्रों में भी तेरह-पन्थी लोग केवल 'पाप ही पाप' स्त्रोजा करते हैं। ऐसा करने का कारण या तो उनका स्वभाव ही ऐसा है, अथवा उनकी अपने मत के प्रचार की स्वार्थ बुद्धि है। यदि ऐसा न होता, तो तेरह-पन्थी लोग दया और दान में पाप सिद्ध करने के लिए महा-पुरुषों द्वारा लोड़े गये आदर्शों को विकृत बनाने का प्रयत्न ही क्यों करते ?

यद्यपि तेरह-पन्धियों की मेघकुमार के चरित्र के विषय में दो जाने वाळी दलोड बिलकुछ ही व्यर्थ है, फिर भी बेसमझ लोगों को भ्रम से बचाने के लिए हम उनकी दलील का संचिप्त उत्तर देते हैं।

शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं आया है, कि हाथी ने एक शसले को नहीं मारा था, इसीसे उसको मनुष्य-जन्म आदि प्राप्त हुआ था। इसके लिये भगवान महावीर ने स्पष्ट ही कहा है कि---१६ (392)

प्राणाणुकम्पयाए भूयाणुकम्पयाए जोवाणुकम्पयाए स्रत्वाणुकम्पयाए ।

भर्थात्— प्राणी भूत जीव और सत्त्व की ऋनुकम्पा से तुमे सम्यक्त्व श्रौर मनुष्य जन्म श्रादि मिछा।

भगवान महावीर ने यह नहीं कहा, कि तेरे मण्डल में दूसरे जो जीव आकर रहे थे, उनके बचने से तुफे पाप हुआ। इसके सिवाय शाक के पाठानुसार हाथी ने एक योजन का मण्डल बनाया था। उस एक योजन (चार कोस) के मण्डल में दावानल से बचने के लिए इतने जीव आकर घुस गये थे कि कहीं थोड़ी भी जगह रोष नहीं रहो थी। इसीसे शशक इधर उधर मारा मारा फिरता था, उसको बैठने को जगह न मिली थी, और इतने ही में हाथी ने अपना पैर खाज खनने को उठाया, उस खाली जगह में शहाक बैठ गया।

बुद्धि से बिचारने को बात है कि हाथी के उस मण्डल में कितने जोव बचे होंगे ? हाथो ने अपने मण्डल में उन असंख्य जीवों को आश्रय दिया, इस कारण तेरह-पन्थियों की मान्यता-नुसार तो हाथी को कितना पाप लगना चाहिये। थोड़ी देर के लिये तेरह-पन्थियों का यह कथन मान भी लें कि एक शसले को न मारने से ही, हाथी को मेघकुमार का भव प्राप्त हुआ था, तो इसके साथ ही यह भी मानना होगा, कि हायी के मण्डल में (999)

जो अपसंख्य जीव बचे थे, उनके बच जाने से हाथी को जो पा4 हुआ था उसका दुष्परिणाम स्वरूप क्या फल्ड मिला ? हाथी को पुण्य या धर्म तो हुआ एक शसले के न मारने का और पाप हुआ असंख्य जीवों के बचने का। इस प्रकार धर्म या पुण्य की अपेत्ता पाप ही अधिक हुन्या। ऐसी दशा में हाथी को मेघकुमार का जन्म मिल्लने का क्या कारण था ?

इसके खिवाय यदि और जीवों का बचना पाप होता, तो भगवान महावीर मेचकुमार से स्पष्ट कह देते कि तूने शसले को नहीं मारा यह तो तुमे धर्म या पुण्य हुआ, परन्तु अन्य जोवों को तूने अपने मण्डल में आश्रय दिया, इसका तुमे पाप हुत्रा, जिसका परिणाम तुमे इस प्रकार भोगना होगा। भगवान ने ऐसा न कह कर यह कहा, कि प्राणी भूत जीव सत्त्व की अनुकम्पा से तूने सम्यक्त्व प्राप्त किया, संसार परिमित किया यानी संसार का जन्म मरण घटाया। ऐसी दशा में तेरह-पन्थियों द्वारा इस विषयक की जाने वाली दलील बिल्कुल व्यर्थ ही ठहरती है।

किसी मरते हुए जीव को बचाने में पाप सिद्ध करने के लिए तेरइ-पन्थी लोग एक और इलील देते हैं। वे कहते हैं कि किसी मरते हुवे को बचाने, या किसी प्यासे को पानी पिलाने या किसी को कष्ट मुक्त करने में अग्नि पानी श्रादि के असंख्य स्थावर जीवों (9२०)

की हिंसा होती है, इसछिए किसी मरते हुए को बचाना, पानी में इबते हुए या आग में जलते हुए को निकालना या किसी प्यासे को पानी पिलाना पाप है। जैसाकि वे भगवान पार्श्वनाथ के विषय में कहते हैं, कि भगवान पार्श्वनाथ ने आग में जलते हुए नाग नागिनी को बचाने में आग पानी के जीवों की हिंसा की थी, इस लिए उनका यह कार्य पाप था।

इस प्रकार तेरह-पन्थी लोग, किसी की रक्षा में होने वाली स्थावर जोवों की हिंसा को आगे लेकर जीव-रक्षा को पाप बताते हैं। लेकिन यदि जीव बचाने में होने वाली इस तरह की हिंसा के कारण ही जीव को बचाना पाप हो जावेगा, तो फिर और भी बहुत से काम पाप में ठहरेगे। इस मान्यता के अनुसार---जैसाकि हम पहिले बता चुके हैं, साधु का पलेबन करना भी पाप होगा, साधु का रजोहरण रखना भी पाप होगा, साधु का दर्शन करना भी पाप होगा और यहाँ तक की तीर्थङ्कर का दर्शन करना भी पाप ठहरेगा। क्योंकि इन सभी कामों में प्रारम्भ में एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा होती ही है, बल्कि कभी कभी जस जीवों की भी हिंसा हो जाती है।

चलने फिरने में एकेन्द्रिय तथा त्रस जीव की हिंसा होती है, इस बात को मानने से कोई इन्कार नहीं कर सकता / बदि इस तरह की हिंसा के कारण ही मरते हुए जीव को बचाना, (१२१)

या दुःखी जीव को दुःख मुक्त करना पाप है, तो फिर साधु और तीर्थेङ्कर का दर्शन करना भी पाप ठहरेगा। और यदि प्रारम्भिक हिंसा के होने पर भी साधु के लिए प्रतिलेखन करना, साधु के लिए रजोहरण का उपयोग करना, और साधु तथा तीर्थछर का दर्शन करना पाप नहीं है, तो फिर प्रारम्भिक हिंसा के कारण किसी मरते हुए जीव को बचाना अथवा किसी कष्ट पाते हुए जीव को कष्ट मुक्त करना पाप क्यों हो जावेगा ?

इन सब बातों पर विचार करने से स्पष्ट है कि किसी मरत हुए जीव को बचाना या किसी कष्ट पाते हुए जीव को कष्ट मुक्त करना पाप नहीं है। इन कामों को पाप बताने के छिए तेरह-पन्ची छोगों को समस्त दखीलें केवल उन लोगों को अम में डालकर अपने मत में लाने के लिए हैं, जो लोग शाझ को पूरी तरह जानते नहीं हैं, अथवा तेरह-पन्थियों की दलीलों का उत्तर देने की जिनमें चमता नहीं है।

तेरह-पन्थी साधु कहते हैं, कि हम मारने वाले को पाप से बचाने के लिए उपदेश देते हैं, मरते हुए जीव को बचाने के लिए उपदेश नहीं देते। साधु का यही कर्तव्य है, कि वह मारने वाले को पाप से बचाने के लिए अपदेश दे, परन्तु मरने वाले की रक्षा के लिए उपदेश न दे। क्योंकि, मरने वाले की रक्षा करना पाप है। (१२२)

यह तेरह-पन्थ का उक्त कथन बिस्कुउ झूठ और शास्त्र विरुद्ध है, यह सिद्ध करने के लिए हम एक हो ऐसा प्रमाण देते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जावेगा, कि साधु का कर्तव्य मारने वाले तथा मरने वाले दोनों ही के कल्याण के लिए उपदेश देना है। इसी प्रकार श्रावक का भो कर्तव्य है कि वह मरते और कष्ट पाते हुए जीव को बचाने और कष्ट मुक्त करने का प्रयन्न करे।

'राय प्रसेणो' सूत्र में राजा प्रदेशी का वर्णन आया है। सूत्रा-नुसार, राजा प्रदेशी नास्तिक था। वह 'आस्मा नही है' ऐसा मानता था। इस कारण वह अनेक द्विपद (मनुष्य पत्नी त्रादि), चौपद (पशु आदि), मृग पशु पत्ती और सरीसृप (सॉप त्रादि बिना पॉव के जीव) को मार डालता था। ब्राह्मण भिक्षुक आदि की मीक्स भी छीन लेता था, तथा अपने समस्त राज्य को उसने बहुत दु:स्वी कर रखा था।

प्रदेशो राजा के चित्त नाम के प्रधान, ने जो बारह ज्रतधारी आवक था। राजा प्रदेशी द्वारा होने वाळे अत्त्याचारों से जनता को बचाने के छिए केशी स्वामी से कहा, कि हे देवानु प्रिय ! ज्याप यदि राजा प्रदेशो को धर्म सुनावें, तो प्रदेशी राजा को, तथा (डसके हाथ से मारे जाने वाले) बहुत से द्विपद, चौपद, म्रग, पद्यु, पक्षो और सरीसृप को बहुत गुणयुक्त फल्ड (लाभ) होगा। हे देवानुप्रिय ! आप यदि राजा प्रदेशी को धर्म (१२३)

सुनावें, तो प्रदेशी राजा के साथ ही बहुत से श्रमण, माहण और भिक्षुकों को गुणयुक्त फल (लाभ) होगा; श्रौर इसी प्रकार हे देवानु प्रिय ! राजा प्रदेशी के साथ ही समस्त जनपद् (सम्पूर्ण राज्य) को बहुत लाभ होगा।

केशी अमण से यह प्रार्थना उस चित्त प्रधान ने की थी, जो बारद्द व्रतधारी आवक था, और धर्म अधर्म को अच्छी तरद्द जानता था। चित्त प्रधान आवक था, यह बात 'राय प्रसेणी' सूत्र में स्पष्ट कही है, और 'राय प्रसेणी' सूत्र से यह भी स्पष्ट है, कि चित्त प्रधान की इस प्रार्थना को स्वीकार करके ही केशी स्वामी ने इवेतम्बीका पधार कर राजा प्रदेशों को धर्म का उपदेश दिया था, तथा उसको आवक बनाया था। यदि मरते हुए जीव को बचाना श्रयवा कष्ट पाते हुए को कष्ट मुक्त करना कराना पाप होता, नो चित्त प्रधान, जो आवक था, इस तरद्द का पाप-कार्य करने कराने के छिए केशी स्वामी से प्रार्थना ही क्यों करता, श्रीर केशी स्वामी चित्त प्रधान की यह प्रार्थना ही क्यों करता, श्रीर केशी स्वामी

शास्त्र के इस वर्णन से भी यह स्पष्ट है, कि मरते हुए जीव को बचाने तथा कष्ट पाते हुए जीव को कष्ट मुक्त करने के छिए उपदेश देना साघु का कर्तव्य है और इसी प्रकार आवक का भी यह कर्तव्य है, कि वह मरते हुए जीव को बचाने तथा कष्ट पाते हुए जीव को कष्ट मुक्त करने का प्रयन्न करें। यदि ऐसा न (978)

होता, तो चित्त प्रधान केशी स्वामी से पशु-पत्ती, ब्राह्मण भिस्तारी और देश त्रादि का लाभ होने की बात न तो केशी अमण से ही, कहता और न केशी अमण ही उसके कथन को स्वीकार करते।

शास्त्र में अभय-दान को सब से श्रेष्ठ दान कहा है। लेकिन तेरह-पन्थी लोग कहते हैं, कि किसी जीव को न मारना, यही अभय-दान है, किसी मरते हुए जीव को बचाना अभय-दान नहीं है। उनका यह कथन शास्त्र के भी विरुद्ध है श्रीर युक्ति के भी विरुद्ध है। देने का नाम दान है। न देने का नाम तो दान है ही नहीं। यदि बिना दिये ही दान हो सकता हो, तब तो साधु को आहार-पानी दिये बिना हो, केवल साधु को कष्ट न देने मात्र से ही सुपात्र दान भी हो जावेगा । परनंतु तेरह-पन्थी छोग सुपात्र-दान के डिए तो ऐसा मानते नहीं है, कि साधु को कष्ट न देने मात्र से ही सुवात्र दान हो जाता है, और अभय-दान के छिए कहते हैं, कि किसी को भय न देने से ही अभय-दान हो जाता है ।

यदि तेरइ-पन्थियों का यह कथन ठीक हो, तब तो स्थाबर जीव सब से अधिक अभय दान देने वाले सिद्ध होंगे। क्योंकि प्रथ्वी-कायिक, जल्ज-कायिक और वनस्पति-कायिक जीव किसे भय देते हैं ? इसलिए किसी जीव को भय न देने का नाम ही घ्रभय-दान (9२५)

नहीं है, किन्तु भय पाते हुए का भय मिटाने का नाम ही अभय दान है।

'सूयगडांग' सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के छठे अध्ययन में 'दाणाण सेट्रं त्रभयप्पयाणं' पाठ आया है। इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार ने स्पष्ट लिखा है, कि 'जो मांग रहा है, उसको अपने और मॉंगने वाळे के अनुप्रह के ढिए उसके द्वारा मॉंगी गई चीज देने का नाम दान है। ऐसा दान अनेक प्रकार का है, जिनमें अभय-दान सब से श्रेष्ठ है। क्योंकि अभय-दान, उन मरते हुवे प्राणियों के प्राण का दान करता है, कि जो प्राणी मरना नहीं चाहते हैं, किन्तु जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। मरते हुए प्राणी को एक श्रोर करोड़ों का घन दिया जाने लगे श्रौर दूसरी ओर जीवन दिया जाने ढगे, तो वह धन न लेकर जीवन ही लेता है। प्रत्येक जोव को जोवन सब से अधिक प्रिय है। इसी से अभय-दान सब में श्रेष्ठ है।'

च्यवहार में भी अभयदान का अर्थ भयभीत को भय रहित बनाना ही किया जाता है। कोष आदि में भी अभयदान का ऋर्थ यही है। ऐसी दशा में तेरह-पन्थियों का यह कथन सर्वथा असंगत है, कि भयभीत को भयमुक्त करना अभयदान नहीं है, किन्तु किसी को भय न देने का नाम अभय-दान है। थोड़ी बुद्धि वाठा

٩७

(१२६)

व्यक्ति भी समझ सकता है कि न देने का नाम दान कैसे हो सकता है ? देने का नाम ही दान है। 'अभय' देने को ही अभय-दान कहा जाता है, और अभय-दान का पात्र वही है, जो भय पा रहा है। सियाछ यदि सिंह को नहीं मार सकता है, तो क्या इसका नाम अभयदान हो जावेगा ? यह तो एक व्यर्थ की बात है।



तेरह-पन्थियों की कुछ अमोत्पादक युक्तियाँ त्रीर उनका समाधान

अब इम तेरइ-पन्थियों की कुछ उन युक्तियों को बताते हैं, जिनको तेरह-पन्थी साधु लोगों के इदय में से दया दान के प्रति श्रदा निकालने के लिए काम में लाया करते हैं। साथ ही उन इयुक्तियों का इड्छ जवाब भी देते हैं, जिसमें जनता उनकी इयुक्तियों के फन्दे से बच सके।

(१)

धन देकर जीव बचाना, व्यभिचार कराकर जीव बचाने के समान ही पाप है। यह बताने के छिए तेरह-पन्थी एक कैसी मीषण क्रुयुक्ति देते हैं, वह सुनिये। तेरह-पन्थी कहते हैं—

दोय वेक्या कसाई वाड़े गई, करता देखी हो जीवांरा संद्वार । दोनों जणियां मतो करी, मरता राख्या हो जीव दोय इजार ॥ एक गइनों देई आपनो, तिन छुड़ाया (9२८)

हो जीव एक हजार। दूजी छुड़ाया इण विधे, एक दोय सूं हो चोथो आसव सेवाड़ ।। एकण सेवायो आसव पाँचमो, तो उण दूजी हो चौथो आसव सेवाय । फेर पड़चो ईतो

इण पाप मे, धर्म होसी हो ते तो सरीखो थाय । ('अनुकम्पा' ढाल ७ वीं)

श्रर्थात्—दो वेक्श्याएँ कसाईखाने में गईं। वहाँ बहुत जीवों का संहार होता देखकर दोनों ने सलाह की और दो हजार जीवों को मरने से बचाया। एक वेक्श्या ने तो अपने त्राभूषण देकर एक हजार जीव बचाये, और दूसरी वेक्श्या ने कसाई वाड़े के एक दो आदमी से चौथा आस्रव (त्रज्ञद्वाचर्य या व्यभिचार) सेवन कराकर एक हजार जीव बचाये। इनमें एक वेक्सा ने गहने देकर पाँचवें आस्रव (परिमह) का सेवन कराया और दूसरी ने चौथे आस्रव (व्यभिचार) का सेवन कराया। जन दोनों के पाप में क्या अन्तर हुन्ना ? यदि घर्म होगा, तो दोनों ही को बराबर होगा !

तेरह-पन्थियों के कहने का अभिप्राय यह है, कि धन देना, बह पॉंचर्वे आश्रव का सेवन कराना है, और व्यभिचार करना, चौथे आश्रव का सेवन कराना है। इसळिए यदि घन देकर जोव बचाना घर्म है, तो व्यभिचार कराकर जीव बचाना भी घर्म (129)

है ! क्योंकि धन देना भी आश्रव का सेवन कराना है, और व्यभिचार करना भी आश्रव का सेवन कराना है । दोनों ही श्राश्रव हैं, इसलिए चाहे धत देकर जीव छुड़ावे या व्यभिचार करके जीव छुड़ावे, दोनों एक ही समान हैं।

कैसी असभ्यता पूर्ण और मजेवार युक्ति है। इस कुयुक्ति के आगे तो छज्जा को भी लज्जित हो जाना पड़ता है। यह युक्ति किसी दूसरे की भी नहीं है, किन्तु तेरह-पन्थ सम्प्रदाय के मूछ संस्थापक श्रीमान् भीषणजी स्वामी की स्वयं की कही हुई है। इस निर्रुज्जता पूर्ण युक्ति का खण्डन करने के लिए हम भी निर्रुज्जता पूर्ण युक्ति का आश्रय लेने के लिए विवश हैं। क्योंकि ऐसा ही उदाहरण उपरोक्त युक्ति का बरावर प्रत्युक्तर समान है।

मान छीजिये कि तेरइ-पन्थ सम्प्रदाय के पूज्य जो का चातु-मीस किसी शहर में है। उनके दर्शनार्थ जाकर सेवा भक्ति करने का डाभ छेने की दो आविकाओं की इच्छा हुई। आखिर उन्होंने सेवा में जाने का निश्चय किया। परेन्तु खर्च दोनों के पास नहीं या। इसछिए उनमें से एक आविका ने तो अपना जेवर बेचकर उन रुपयों से टिकिट डिया। छेकिन दूसरी ने सोचा कि रुपया देना पाँचवाँ आश्रव सेवन कराना है और व्यभिचार सेवन करना चौथा आश्रव सेवन कराना है। पाप तो दोनों ही है और थरावर हैं, बल्कि व्यभिचार से भी धन का नम्थर आगे है यानि (9३०)

म्यभिचार का चौथा और धन का पॉचवॉं। ऐसी हाउत में ज्यर्थ का जेवर क्यों खोना ? ऐसा विचार करके उसने इस प्रकार के व्यवहार से स्टेशन वाठों को प्रसन्न कर गाड़ी में बैठ गई, और जहॉं २ मौका आया इसी व्यवहार से पार होती गई। इस तरह दोनों पूज्यजो के सेवा में पहुँचों। पहुँचने पर उस भाविका ने पूज्यजो से अर्ज की कि यह मेरी साथ वाठी बाई मूर्फ्त है। इसने पॉंचवॉं आश्रव भी सेवन कराया और जेवर भी गुमाया। परन्तु मैंने चतुर्थ आश्रव का ही सेवन किया और षन बचा लाई सो यहॉं पर खाऊँगीं, खर्चूगी और प्रसंग पाकर दान डाभ भी डठाऊँगी।

क्या तेरह-पन्धी साधु, रुपया खर्चकर आने वाळी आविका की आपेक्षा रुपया बचाकर आने वाळी आविका को श्रेष्ठ मानेंगे ? श्रेष्ठ न सही, बराबर तो मानेंगे ? उनकी दृष्टि में चौथा आश्रव और पॉचवॉ आश्रव समान ही हैं, फिर दोनों आविकाओं को समान मानने में क्या हानि है ? कर्दाचित् कहें कि जो व्यभिचारिणी है, वह आविका ही नहीं है, तो जिसने रुपया दिया वह भी शाविका नहीं है । क्योंकि आप वेश्याओं के उदाहरण में स्पष्ट ही कहते हैं, कि "एक वेश्या ने जेवर देकर पॉचवें आश्रव का सेवन कराया, और दूसरी ने व्यभिचार कगके चौथे आश्रव का सेवन कराया, इस्राइए दोनों ही का पाप या धर्म बराबर होगा" । तब (131)

उदाहरण में कही हुई आविकाओं के छिए इस सिद्धान्त का उप-योग क्यों न होगा ? श्रौर यदि दोनों आविकाएँ बराबर नहीं हैं, तो धन देकर जीव छुड़ाना और व्यभिचार करके जीव छुड़ाना, समान कैसे हो जावेगा ? जीव बचाने के छिए न सही, अन्य कामों के छिए धन तो देना ही पड़ता है। क्या धन देना श्रौर व्यभिचार करना समान हैं ?

(२)

जीव रक्षा में पाप बताने के लिए तेरह-पन्थी एक श्रीर युक्ति देते हैं। इस युक्ति को समझाने के लिए वे चित्र आदि से भी काम लेते हैं। हम पहिले उनकी सारी युक्ति बता देते हैं, उसका जवाब फिर देंगे।

तेरइ पन्थी कहते हैं कि-'एक मकान के बाहर साधु ठहरे हुए थे। रात के समय मकान में एक चोर चोरी करने के लिए आया, श्रीर घर में से धन चुराकर बाहर निकला। साधु ने चोर को धन चुरा ले जाते देखकर सोचा कि मकान में चोरी हो जाने से इमारी बदनामी होगी। ऐसा सोच कर साधु ने चोर को चोरो त्यागने का ज्पदेश दिया। परिणामतः चोर ने वह घन वहीं ढाल दिया, श्रीर चोरी करने का स्थाग लेकर वहीं बैठ गया। सबेरे मकान और धन का मालिक आया। उसने अपने घर का ताला दूटा हुआ देखकर महात्मा से पूछा। महात्मा ने कहा कि बह (13२)

चोर है, और यह धन है। यह चोर धन चुरा कर जा रहा था, छेकिन हमने इसको चोरी के त्याग का उपदेश दिया, इसडिए इसने धन खाग कर चोरी करने का सदा के डिए त्याग कर डिया है। यह सुनकर उस मकान और धन के माडिक ने महात्मा से कहा कि आपने मेरा धन बचाकर बड़ी ऋपा की। यदि यह धन चढा जाता, तो मैं ढड़के का विवाह कैसे करता, मकान कैसे बन्द्याता और अन्य काम कैसे करता।'

'त्रब सोचने की बात यह है, कि साधु ने चोर को चोरी के पाप से बचाने के लिए उपदेश दिया, या धन बचाने के लिए । यदि धन बचाने के लिए साधु ने उपदेश दिया हो तो उस धन द्वारा होने वाले समस्त कामों में साधु का अनुमोदन होगा। उस धन के द्वारा होने वाले कामों का पाप साधु को भी लगेगा। इसलिए यहो मानना होगा कि साधु ने धन रक्षा के लिए उपदेश नहीं दिया, किन्तु चोर को चोरी के पाप से बचाने के लिये उपदेश दिया।'

'यही बात मारने वाले और मारे जाने वाले के लिए भी समझो। एक आदमी एक बकरे को मार रहा है। उस मारने वाले को पाप से बचाने के लिए साधु उपदेश देते हैं, परन्तु बकरे को बचाने के लिए नहीं देते। यदि बकरे को बचाने के लिए साधु डपदेश देते हैं, तो फिर ऐसा भी मानना होगा कि धन ()333)

बचाने के लिए भी साधु उपदेश देते हैं। और यदि बकरे के बचने से धर्म माना जावेगा, तो धन बचने से भी धर्म मानना होगा।' इसके सिवाय वे एक और उदाहरण देते हैं।

'एक व्यभिचारी पुरुष एक झी के पास दुराचार करने के छिए जा रहा था। साधु ने उसको दुराचार का दुष्परिणाम बताया, जिससे वह पुरुष समझ गया, और उसने परदार-गमन का स्थाग कर छिया। त्याग लेने के पश्चात् वह उस व्यभिचारिणी झी के पास गया, श्रौर उससे बोढा, कि मैंने तो महात्मा के पास से पर-झी-सेवन का त्याग कर छिया है, इसछिए मैं तुम्हारे साथ श्रब सम्भोग नहीं कर सकता। यह सुनकर उस व्यभिचारिणी झी ने कहा, कि तुमने मुमे वचन दिया था, इसछिए या तो मेरे साथ सम्भोग करो, नहीं तो मैं कुएँ में गिर कर मर जाऊँगी। व्यभिचारिणी झी के बहुत कहने पर भी जब वह पुरुष नहीं माना, तब वह झी कुएँ में गिर कर मर गई।'

'अब यदि मारने वाले को उपदेश देने से बकरा बच गया और बकरे के बचने का धर्म साधु को हुआा, तो व्यभिचारी पुरुष को उपदेश देने से व्यभिचारिणी क्षी कुएँ में गिर कर मर गई, उसका पाप भी उपदेश देने वाळे को ढगेगा। परन्तु व्यभिचार दा त्याग कराने से जो व्यभिचारिणी स्ती मर गई, उसका पाप साधु को नहीं छगता, उसी प्रकार बकरा मारने वाळे को हिंसा 9८ (138)

का स्याग कराने से जो बकरा बच गया उसका धर्म या पाप भी त्याग कराने वाले को नहीं लगता। जिस तरह धन का बचाना पाप है, उसी प्रकार बकरे का बचाना भी पाप है, परन्तु जिस तरह व्यभिचार का स्याग कराने से जो स्त्री मर गई, उस स्त्री के मरने का पाप उपदेश देने वाले को नहीं लगता, उसी प्रकार धन और बकरे के बचने का पाप भी उपदेश देने वाले को नहीं लगता।'

यह है मरते हुए जीव को बचाने में पाप सिद्ध करने के छिए तेरह-पन्थी साधुओं की कुयुक्ति ! इस युक्ति से छोगों को भ्रम में डालने के लिए कैसी झूठी बातों का आश्रय लिया गया है, पहले हम यह बता देना उचित सममते हैं। धन की रत्ता के छिए साधु उपदेश देते हैं, या धन की रत्ता के छिए शाख कहता है, बह बात कोई भी नहीं मानता। प्रश्न प्राण रक्षा का है, न कि धन रक्षा का। शास्त्र में 'पाणानुकम्पए, भूयानुकम्पए, जीवानुकम्पए, सत्तानुकम्पए' पाठ तो श्राया है, परन्तु 'धनानुकम्पए' कहीं नहीं त्राया है। ऐसी दशा में जीव रक्षा के सम्बन्ध में धन रत्ता का उदाहरण देना, किसी भी तरह उपयुक्त नहीं है। घन जड़ है, न्नौर जीव चैतन्य है। जीव को सुस दुःख का अनुभव होता है, लेकिन घन को सुख दुःख का अनुभव नहीं होता। धन चाहे जमीन के ऊपर रहे, जमीन के भीतर रहे, चोर के यहाँ रहे,

(9.34)

साहूकार के यहाँ रहे, उसको न हर्ष होता है, न शोक होता है क्योंकि बह जड़ है। परन्तु जीव के छिए यह बात नहीं है। जीव, अनुकूछ परिस्थिति से प्रसन्न होता है, और प्रतिकूछ परिस्थिति से दुःस्ती होता है। बकरे को यदि काटा या जडाया जाने डगे, तो वह चिछाता है, परन्तु धन को चाहे काटा जावे या जडाया जावे, वह चूँ तक नहीं करता। ऐसी दशा में मारे जाते हुए बकरे की तुडना, चोरी जाते हुए घन से करना, यह तो डोगों को भ्रम में डाडना ही है।

दूसरी बात यह कि कोई व्यभिचारिणी छो अपने जार पति के छिए मरी हो, इस बात का एक भी उदाहरण नहीं मिछ सकता। जार पति से रुष्ट होकर, उसका व्यभिचारिणी छी ने सर्वनाश करा दिया या कर देती है। इसके तो सैंकड़ो उदाहरण हैं, परन्तु जार पति के छूट जाने से कोई व्यभिचारिणी छी मरी हो, इसका उदाहरण संसार भर में ढूँढने पर भी नहीं मिछ सकता। जो छी अपने विवाहित पति को भी छोड़ सकती है, वह अपने जार पति के छिए प्राण दे दे, यह कभी सम्भव ही नहीं है। इस तरह का उदाहरण देना भी छोगों को मुछावे में डाळने के छिए ही है।

इम तेरइ-पन्थियों की युक्ति का खण्डन उन्हीं की युक्ति को दूसरे रूप में रखकर करते हैं। (938)

मानळो कि एक मकान के बाहर साधू ठहरे हुए हैं। चोर उस मकान में से धन चुराकर निकछा । महारमा ने धन चुराकर जाते हुए चोर को देख कर सोचा कि धन चोरी जाने से हम यहाँ ठहरे हुए हैं, आ दिए हमारी भी बद्नामी होगी और जैन धर्म को भी छांछन छगेगा। ऐसा सोचकर महात्मा ने चोर को चोरी-त्याग का उपदेश दिया। परिणामतः धन वहीं छोड़कर, चोर ने महात्मा से चोरी का प्रत्याख्यान ढिया और वहीं बैठ गया। सबेरे धन का स्वामी आया। इसने ताळा टूटा देख महात्मा से पूछा। महात्मा ने कहा कि यह धन है, और यह चोर है। हमने इसको उपदेश दिया, इससे इसने यह तुम्हारा धन भी छोड़ दिया और सदा के लिए चोरी का त्याग कर दिया। यह सुनकर धन के स्वामी ने कहा कि आपने इस चोर को उपदेश देकर यह मेरा धन नहीं बचाया है, किन्तु मेरे प्राण बचाये हैं। यदि मेरा यह घन चढा जाता, तो मुमे इतना दुःख होता कि मैं मर ही जाता। मैं आपका बहुत उपकार मानता हूँ।

इस तरह चोर को चोरी त्यागने का उपदेश देने से चोर भी पाप से बचा त्रौर धन का स्वाभी भी आर्त्त ज्यान करके मरने से बचा। धन को तो सुख दुःख होता नहीं है, जो सुख दुःख होता है, वह उसके स्वामी को। इसडिए चोर भी पाप से बच गया, तथा धन का स्वामी भी दुःख, मुख्यु एवं आर्त्त ज्यान के पाप से (१३७)

बच गया। ऐसी दशा में चोर को चोरी त्यागने का जो उपदेश दिया गया, उस उपदेश से चोर का भी हित हुआ, त्रौर घन के स्वामी का भी हित हुत्रा। दोनों ही व्यक्ति पाप से बचे। बह क्या बुरा हुआ ?

यही बात बकरे को मारने वाले और बकरे के सम्बन्ध में भी समझो। मारने वाले को न मारने के लिए जो उपदेश दिया गया, उस उपदेश से मारने वाला भी पाप से बचा और बकरे की भी जीवन-रक्षा हुई, वह आर्त्तेष्यान के पाप से बचा। इसमें क्या जुराई हुई ?

तेरह-पन्थी छोग व्यभिचारी पुरुष और व्यभिचारिणी की का उदाहरण देते हैं। इम इस उदाहरण को भी अनुकूछ रूप में रखते हैं। मानछो कि एक व्यभिचारी पुरुष अपनी कुल्टा प्रेयसी के साथ व्यभिचार करने के छिए जा रहा था। मार्ग में महात्मा मिछे, जिनके डपदेश से उस पुरुष ने पर-छी-गमन का त्याग कर दिया। फिर वह पुरुष उस व्यभिचारिणी की के पास गया। उसने व्यभिचारिणी की को महात्मा द्वारा दिया गया उपदेश मी सुनाया और उससे यह भी कहा, कि मैंने महात्मा से व्यभिचार का त्याग कर छिवा है। यह सुनकर व्यभिचारिणो की के मन में व्यभिचार से घृणा हुई, वह भी व्यभिचार के दुष्फछ से भय-भीत हुई। अतः उस व्यभिचारिणी को ने भी महात्मा के पास (132)

आकर पर-पुरुष-सेवन का त्याग कर छिया और सदाचारिणी बन गई अ । इतने हो में उस पुरुष की विवाहिता छो ने सुना कि मेरे पति ने परदार-गमन का त्यान कर छिया है । यह सुनकर वह भी प्रसन्न होती हुई महाश्मा के पास आई। उसने महात्मा से कहा, कि ज्यापने मेरे पति को पर को का त्याग करा दिया, यह ज्यापने बड़ी छपा की । मेरे पति व्यभिचारी हो गये थे, और बहुत कहने सुनने पर भी वे नहीं मानते थे; इसछिए मैं भी व्यभिचारिणी हो जाती, परन्तु आपकी छपा से मेरे पति सुमार्ग पर ज्यागये, अतः मैं भी पर-पुरुष गमन का त्याग करती हूँ।

इस प्रकार एक व्यभिवारी पुरुष को अपदेश देने से उस पुरुष की पत्नि भी व्यभिचार में प्रवृत होने से बच गई, तथा व्यभिचारिणी की ने भी व्यभिचार स्थाग दिया। यह क्या बुरा हुन्ना ?

मतल्ज यह कि जिस प्रकार चोर को उपदेश देने से, चोर और धन के स्वामी का हित हुआ, उसी प्रकार मारने वाले को उपदेश देने से, मारने वाले का और वर्कर का हित हुआ; तथा उसी प्रकार व्यभिचारी को उपदेश देने से व्यभिचारी पुरुष,

के तेरइ-पन्धियों में इस तरह की अनुकूक भावना तो होती हो नहीं है। उनको भावना ऐसी कलुपित हो गई है, कि जिससे वे प्रतिकूल और पाप की ही करुपना करते हैं।

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

(939)

डसकी पत्नी तथा व्यभिचारिणी स्ती तीनों का हित हुआ। इसमें पाप क्या हुन्ना ?

(३)

दया को इदय से निकाडने के डिए तेरइ-पन्थी लोग एक यह युक्ति देते हैं कि----

'एक सहे में थोड़ा सा पानी है, जिसमें बहुत सी मछलियाँ भरी हुई हैं। एक प्यासी भैंस पानी पीने के लिए आई। एक आदमी जो वहाँ सड़ा है, और सहे में पानी थोड़ा तथा मछली मेंढक बहुत होने की बात जानता है, यदि भैंस को हॉकता है, तो मैंस प्यास की मारी मरती है, और नहीं हॉकता है, तो सहे में की मछलियाँ, भैंस के पैरों से मरती हैं। एक ओर दया करने पर दूसरी ओर हिंसा होती है। इसी से हम कहते हैं कि संसार में तो ऐसा चलता ही रहता है। अतएव अपने को न तो भैंस पर ही दया करनी चाहिए, न मेंढक मछली पर, किन्तु मौन रस्तना चाहिए।'

यह तेरह-पन्थियों की युक्ति है। इसका जवाब हम इस रूप में देते हैं. क यदि उस आदमी ने छाछ या धोवण पिळाकर भैंख की प्यास भी मिटा दी और खड्ढे में के मेंढक मछळी को भी बचा दिया, तो यह तो ठीक हुन्ना मानोगे न ? उसने दोनों ही पर दया की, इसमें तो पाप नहीं हुआ ? किन्तु तेरह-पन्ची तो (380)

झाछ पिछाने में भी पाप मानते हैं। साधु के सिवाय किसी को कुछ भी देने या बचाने में एकान्त पाप मानते हैं।

(8)

तेरइ-पन्थी कहते हैं कि 'एक बिझी चूहे को मारना चाहती है। यदि चूहों को बचाने के छिए बिझी को हॉका जाता है, तो बिझी मूस्ती रहती है और उसको अन्तराय छगती है। इसी से हम कहते हैं कि किसी को बचाने में धर्म पुण्य नहीं है।'

हम तेरह-पन्थियों की इस युक्ति का यह उत्तर देते हैं कि यदि किसी आदमी ने बिल्ली को भी दूघ पिळा दिया और चूहे को भी बचा दिया, तो इसमें क्या पाप हुआ ? दोनों ही बचे हैं।

(4)

तेरह-पन्यी कहते हैं कि 'एक गाय प्यासी बॅंघी हुई थी। एक आइमी ने दया छाकर उस गाय को पानी पीने के छिए खोछ दिया। वह गाय पानी पीने चछी; परन्तु एक दूसरे आदमो ने सोचा कि यह गाय इस तछैया में जा रही है। तछैया में पानी बहुत बोड़ा है, और मेंढक मछछी बहुत हैं, जो गाय के पॉव से दब कर बर जाबेंगे। ऐसा सोचकर उसने पानी पीने के छिए जाती हुई याथ को बापस हॉक दी, गाय को पानी नहीं पीने दिया। इस तरह एक आदमी ने तो गाय की दया की, पानी में के मेंढक मछछी की दबा नहीं की और दूसरे आदमी ने मेंढक मछछी की दया की, (183)

गांब को अन्तराय दी। एक तीसरा आदमी भी वहाँ खड़ा है, जिसने मेंढक मछछी की भी दया नहीं की, और गाय को भी अन्तराय नहीं दी, उसको भी पानी पीने से नहीं रोका, तो इन तीनों में से सचा दयावान कौन ठहरा ?'

इस तरह भोळे छोगों से प्रश्न करते हैं। मोले लोग कह देते हैं, कि 'जो चुपचाप खड़ा रहा, वही सचा दयावान है।' परन्तु हम इस युक्ति को दूसरे रूप में रखते हैं।

एक गाय प्यासी बैंधी थी। एक दयालु पुरुष को यह माछ्म नहीं था, कि तलेया में पानी कम है, और मेंदक मछली मर जावेंगे, इसलिए उसने गाय को पानी पीने के लिए खोल दिया। दो त्रादमियों को यह माछम था, कि तल्जैया में पानी कन है, मेंढक मछली ज्यादा हैं, और यह प्यासी गाय वहाँ पानी पीने के लिए जावेगी, तो मेंढक मझली की हिंसा हो जावेगी। यह माखूम होने पर भी एक आदमी तो चुप चाप ही खड़ा रहा, परन्तु दूसरे आदमी ने अपने घर से घोवन का अचित पानी लाकर गाय को पिछा दिया। इस तरह उसने गाय की भी द्या की ऋौर मेंढक मछली की भी दया की। अब इन दोनों आदमियों में से कौन अच्छा है ? जो चुप चाप खड़ा रहा वह दयाछ है, या जिसने गाय की भी रत्ता की तथा में हक मल्ल छी की भी रक्षा की, वह दयाछ है ? दोनों में कोई अन्तर है या नहीं ? दोनों 99

(**)**82)

की दया करने वाळे को तो दयावान मानोगे ? किन्तु तेरह-पन्थी दोनों को ही पापी मानते हैं।

(६)

तेरइ-पन्थी कहते हैं कि 'कुछ आदमी भूखों प्यासों मर रहे हैं। उनको गाजर मूखा खिछा तथा कचा पानी पिछाकर बचाया, यह कितना पाप हुआ ! क्योंकि गाजर, मूछा श्रौर कच्चे पानी में अनन्त जीव हैं। बचे तो कुछ आदमी, और हिंसा हुई अनन्तों जीवों की । इसी से हम कहते हैं कि भूखों को खिछाना श्रौर प्यासों को पानी पिछाना पाप है।'

इस तरह गाजर मूले और पानी के जीवों की हिंसा को आगे रखकर भूखे प्यासे को भोजन पानी देना पाप बताते हैं। यद्यपि धनका डदेश्य तो छोगों के हृदय में से दुःक्षी के प्रति दया निका-छना है, परन्तु उस उद्देश्य की पूर्ति के छिए वे इस तरह की बात आगे रख कर छोगों को चक्कर में डाछते हैं। इम उनकी इस युक्ति के उत्तर में दूसरी युक्ति रखते हैं, जिसमें गाजर, म्छा या पानी के जीवों को हिंसा का नाम भी नहीं है।

मानडो कि कुछ आदमी मूर्खो प्यासों मर रहे थे। इस कारण वे एक बकरे को मार डाडने की तैयारी में थे। इतने ही में वहाँ से एक श्रावक निकडा, जो गरम पानी ही पीता था, कथा थानी नहीं पीता था। इस श्रावक ने उन आदमियों से पूछा, कि (183)

इस बकरे को क्यों मार रहे हो ? उन छोगों ने उत्तर दिया कि हम भूखे प्यासे हैं, इसलिए ! उस आवक के पास बहुत सी मिठाई वरौरा स्नाद्य पदार्थ भी था, और एक बड़ा छोटा था, जिसमें पका (गर्म) पानी भरा हुआ था। उस आवक ने उन छोगों को मिठाई वरौरा खिलाकर तथा वह पद्मा पानी पिलाकर उनकी भूख प्यास का दुःख भी मिटा दिया, तथा जो बकरा मारा जा रहा था, उसको भी बचा दिया। इस कार्य में तो गाजर, मूडा या कच्चे पानी के जोवों की हिंसा नहीं हुई, इसलिए इस तरह के कार्य को तो पाप न मानोगे ? डन भूखे प्यासे छोगों का और बकरे का दुःख मिटा, यह तो पाप नहीं हुआ ? ऐसी दशा में किसी भूखे प्यासे का कष्ट मिटाने को पाप बताने के छिए गाजर, मूले और कच्चे पानी के जीवों की हिंसा को आगे रखना, छोगों को भ्रम में डाढने के लिए ही रहा या और कुछ ?

(•)

तेरह-पन्थी कहते हैं, कि 'किसी आदमी का पेट दुःख रहा था, श्रौर वह मर रहा था। उसका दुःख मिटाने के लिए हुका पिछाया, इसमें आग पानी के जीवों की कितनी हिंसा हुई ? इसी से जीव को बचाना, या दुःख पाते हुए का दुःख मिटाना पाप है।'

(388)

इस तेरह-पन्थी छोगों की इस दछीछ को दूसरे रूप में सामने रखते हैं। मान छो, कि एक आदमी के पेट में जब तब दर्द होने छगता था, इसछिए वह हुका पिया करता था। जिसमें आग पानी के जीवों की हिंसा हुआ करती थी। किसी दयाछ पुरुष ने उस आदमी को एक ऐसी अचित दवा दी, कि जिससे उसका पेट का दुःखना मिट गया तत्प्रधात उसने हुक्का पीना भो छोड़ दिया, जिस प्रकार से उसका पेट दुखना बन्द हो गया और आग पानी के जीवों की हिंसा भी बच गई; इस काम में तो उस दवा देने वाले आदमी को पाप नहीं छुया 8

इसी प्रकार कोई आदमी दारू पीता था और बहुत उत्पात करता था, घर के छोगों को मारा पीटा करता था, तथा दूसरे छोगों से भी झगड़ा किया करता था। इतना ही नहीं वह घर में का अनाज भी दारू खरीदने के छिए बेंच दिया करता था, जिससे एसके घर के छोग भूखों मरते थे। यह देखकर एक दयाछ आदमी उस दारू पीने वाले को दूध पिछाने छगा, जिससे उसकी दारू पीने की आदत छूट गई और वह भी पाप से बच गया, तथा उसके घर के छोग भी आर्त्तध्यान आदि के पाप से बच गया, दया उसके घर के छोग भी आर्त्तध्यान आदि के पाप से बच गये। इस काम में तो उस दूध पिछाकर दारू छुड़ाने वाले को पाप छगनू। न मानोगे ? यदि इन दोनों कामों में भी पाप होना मानते हो, तो फिर हुक्के से होने वाछी हिंसा का नाम क्यों छेते हो ? (184)

छोगों को आग पानी आदि के जीवों की हिंसा का नाम छेकर अम में क्यों डाछते हो ? स्पष्ट ही क्यों नहीं कहते कि किसी दुःखी का दुःख मिटाना, किसी मरते हुए जीव को बचाना पाप है, चाहे दु ख मिटाने या बचाने में किसी जीव की हिंसा न सी हुई हो, और अचित (निर्जीव) पदार्थ के देने, अथवा निर्वदा (पाप रहित) छपाय के करने से ही किसी का दुःख क्यों न मिटा हो, या कोई मरता हुआ जीव क्यों न बचा हो !

तेरइ-पन्थी साधु इसी तरह की अनेक युक्तियाँ देते हैं, जिन्हें कुयुक्तियाँ कहना कुछ भी बुरान होगा। दन सक का वर्णन या खण्डन प्रन्थवृद्धि के भय से नहीं किया गया है, किन्तु उनमें की कुछ ही युक्तियों का हमने वर्णन किया है, और तेरह-पन्थी साधुओं की युक्ति का खण्डन करने वाळी युक्तियाँ दी हैं। हमारे द्वारा वर्णित युक्तियों पर से बुद्धिमान व्यक्ति उन सब युक्तियों के विरुद्ध युक्ति की कृल्पना कर सकता है, जो तेरह-पन्थी साधुओं की ओर से दी जावें।

इसने अपनी आरे से जो युक्तियाँ ऊपर दी हैं, वे युक्तियाँ तेरह-पन्थियों से प्रश्न करने के रूप में भी काम में लाई जा सकती हैं। ऐसा करने से तेरह-पन्थियों की मान्यता का नम रूप सामने आ ही जावेगा और यह पता लग जावेगा, कि तेरह-पन्थियों की मान्यता का असली रूप क्या है, तथा वे उस असली रूप को (188)

छिपाने के लिए कैसी-कैसी तरकी बों-युक्तियों आदि से काम लेते हैं।

नोट--तेरइ-पन्थ के सैद्धान्तिक प्रन्थ 'भ्रम विध्वंसन', 'भिक्षु-यरा रसायन', 'अनुकम्पा की ढालें' और 'बारइ व्रत की ढालें', इसी तरह की कुयुक्तियों से भरे पड़े हैं। छोगों द्वारा उन कुयुक्तियों का खण्डन और विरोध होता देखकर तेरह-पन्थ सम्प्रदाय के कर्ण-धारों ने अब इन पुस्तकों का बेचना और किसी को देना तक बन्द कर दिया है। आप, तेरह-पन्थी साधुओं से इन पुस्तकों के विषय में पूछिये, और इनको मेंगवाने का प्रयत्न कीजिये, तब आपको इमारे कथन पर विश्वास हो जावेगा।

॥ समाप्त ॥



पहरिहिष्टि में ० १ इस उद्धरण से तेरह-पन्थ सम्प्रदाय के संकुचित भानस का परिचय होगा धली में पाँच दिन का प्रवास (डे॰--भी भँवरमल्जी सिंघी, 'तरुण जैन' नामक मासिक पत्र से डद्धत अंक-दिसम्बर १९४१ के लेख का उपयोगी अंग)

मैं तारीख ६ नवम्बर की रात को डाडनू पहुँचा। डाडनू में एक ही दिन में कई संस्थात्रों को देख सका और बहुत से डोगों से बहुत से विषयों पर.चर्ची विमर्श करने का मौका मिडा, इसका श्रेय डाडनं के उन मित्रों को है, जिन्होंने अपना समय देकर सुके छतार्थ किया।

दूसरे दिन सुबह मेरे मित्र श्री मूखचन्द्रजी बैद और बैं पड़िहारा जाने के छिए सुजानगढ़ स्टेशन तक ऊँट पर गये। बंहाँ

(386)

से रेछ द्वारा दिन के १० वजे पड़िहारा पहुँचे। वैसे पड़िहारा जाने का कोई कारण नहीं था-पर चूँकि तेरापन्थी सम्प्रदाय के आषार्य श्री तुल्लसारामजी, जिनको आम तौर से 'पुष्यजी' कहा जाता है, उस समय पड़िहारा में थे, इसलिए उनसे भेंट करने की इच्छा हमें वहाँ लेगई । पड़िहारा स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही हमें 'पूज्यजी' के दर्शन के छिए आने जाने वाले यात्रियों की चहल पहल दिखाई दी। स्टेशन से बाहर ही एक लारी खड़ी थी. जो पूज्यजी के दर्शन के छिए आने वाले यात्रियों को स्टेशन से गाँव में लेजाने और वहाँ से वापस छाने के छिए हर ट्रेन टाइम पर स्टेशन पर आया जाया करती थी। इसी छारी में बैठ कर हम गाँव में उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ 'पूज्यजी' बिराजे हुए थे। जिस समय हम महाराज के पास गये, उस समय वे 'आहार' के छिए जाने वाले थे; इसलिए साधारण परिचयास्मक बात-चीत के बाद हम भी उस समय वापस आगये । आहार के बाद तथा और कोई धार्मिक किया थी तो उसके बाद हम उनसे मिछे। पूज्यजी के पास एक तरफ साधु साम्वी बैठे थे श्रौर

दूसरी तरफ दर्शनार्थी श्रावकगण । तब से छगाकर झौंम के ३॥-४ बजे तक का अपना बहुत सा समय पूज्यजी ने मेरे साथ बात-बीत करने में दिया, इसके डिए मैं यहाँ उनका आभार स्वीकार करना अपना फर्ज समझता हूँ।

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

(188)

इस मुलाकात के सम्बन्ध में चूंकि बहुत से प्रश्न मुझ से किये गये हैं, इसलिए मैं कुछ विस्तार से अपने अनुभवों को व्यक्त करूँगा। सब से पहले सुमे यह कहना है कि मैं पूज्यजी के पास यह देखने के छिए नहीं गया था कि वे ऋौर उनके ऋधीनस्थ साधु शास्त्रोक्त कियाओं का पूरा पूरा पालन करते हैं या नहीं। मेरी ऐसी दृष्टि ही नहीं है। मेरे निकट तो सचे साधु की परीक्षा यह है भी नहीं। मुमे तो जीवन से मतळब है, जीवन को मैं देखता हूँ। वही देखने की चीज है भी। अगर जीवन में साधुत्व हुआ, तो वह ख़ुद बोखा करता है। उसे शास्त्रों के विधि-विधानों की आवरूबकता रह ही क्यों जायगी ? प्रत्येक मानव प्राणी का भ्येय अपने जीवन का निरन्तर विकास करना है-ऐसा विकास जो दूसरों के जीवन विकास में बाधक तो होता ही नहीं बल्कि मदद करता है। यह जीवन विकास ही सचा सुख है श्रीर सन्तों की भाषा में 'आत्म कल्याण' है। पर यह समझना जरूरी है कि समग्र जीवन एक है, उसके अलग श्रलग दुकड़े नहीं हो सकते । इसलिए जीवन-विकास के ध्येय की प्राप्ति सारे जीवन के विकास से होती है। इसके छिए हमें जीवन के भीतर और बाहर सब जगह शुद्धि का वातावरण चाहिये। संयम, तप और त्याग के द्वारा अपनी शक्तियों का विकास करना तो जरूरी है ही, पर यदि इन विकसित शक्तियों का -उपयोग नहीं किया जाय या 20

(**9**40)

इस भॉंति उपयोग न किया जाय जिससे जगत का अधिक से अधिक कल्याण हो, तो उस तप, त्याग श्रौर संयम से कोई ढाभ नहीं हो सकता। ऐसी हाढत में तो वे जीवन में उल्टी कृत्रिमता पैदा करते हैं। इसढिए मैं तप, त्याग और संयम को उस समय तक कोई महत्व नहीं देता जब तक कि यह न माछ्म हो जाय कि उनका उपयोग किस तरह किया जा रहा है।

इस दृष्टि से विचार करने पर, मैंने पड़िहारा में जो कुछ देखा, उससे मुमे कोई सन्तोष नहीं मिछा। पूज्यजी से जो बातें हुई, उनमें विचारक की सजगता नहीं मिछी, जीवन विकास के उम्मीदवार की जागरूक बुद्धि श्रौर उदार दिछ भी नहीं मिछा। आज प्रायः श्रधिकांश 'साधुओं' की यही हाछत है और पूज्यजी उसके बाहर नहीं है। यहाँ मेरा उद्देश्य उन सारे प्रओं की चर्चा करने का नहीं है, जिन प्रओं पर पूज्यजी के साथ मेरी बात-चीत हुई। उन सब की चर्चा करना न तो श्रावश्यक ही है झौर न सम्भव ही है। मैं यहाँ सिर्फ अपने विचार ही प्रकट करूँगा, जो पूज्यजी से मिछने के बाद मेरे मन में इत्पन्न हुए।

यदि किसो प्रश्न पर शास्त्र को छोड़कर वे विचार ही नहीं कर सकते---शास्त्र में जो कुछ ढिखा है या जो कुछ ढिखा हुआ

(949)

वे मानते ई 🕸 उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करना डनको मंजूर ही नहीं, तब चर्चा से मतल्ल ही क्या निकल सकता है ? परिवर्तन करना उनकी दृष्टि से धर्म-च्युत होना है। 'कोई बात कितनी ही प्रहण करने योग्य क्यों न हो, अगर शास्त्र में उसको प्रहण करने का नहीं खिखा है, तो वह श्रप्राह्य ही है।' मेरी समम में जीवन विकास करने वाले की यह दृष्टि नहीं हो सकती। ऐसे आदमी को मैं शास्तों के प्रति सचा भले ही कह दूँ, पर जीवन के प्रति या मनुष्यता के प्रति तो कभी सच्चा नहीं मान सकता। जिस जीवन में मुफे स्पष्ट मानवता का विरोध दिखाई दे रहा है या कम से कम मानवता को तरफ उपेच्छा पोषित की जा रही है, उसका टाख टाख शाख समर्थन करें तो भी मैं उसे निर्दोष नहीं कह सकता।

साघुत्त्व का वेष पहन छेने के कारण ये साघु संसार से अपना कोई वास्ता नहीं समझते, यह देख और सुनकर तो मेरे आश्चर्य का पार न रहा। 'संसार त्याग' का अर्थ इन्होंने यह किया है कि अब संसार के प्रति उनकी कोई जिम्मेवारी हो नहीं रह गई है। उनका उद्देश्य तो आत्म कल्याण की साधना करना

अ शास्रों के पाठ का अर्थ चाहे कुछ भी होता हो। पर उन्होंने जो मान रक्सा है, उसी को आगे लाते हैं; किन्तु सूम्र के फलीतार्थ या आज्ञाय पर विचार करने की ज्ञक्ति हो नहीं है। — प्रकाजक

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

www.umaragyanbhandar.com

(942)

है; और यह आत्म कल्याण भी जरा विचारने की चीज है; जो अन्य किसी भी चीज से मेळ नहीं स्वाता। अगर पास की झोंपड़ी में ही एक अनाथ वाळक रुग्णावस्था की वेदना से कराह रहा हो तो भी ये आत्म-कल्याणी साधु उसकी सेवा करने जाकर अपने आत्म कल्याण को खण्डित नहीं कर सकते; क्योंकि उनके शास्त्र में रोगो की सेवा करना आत्म-कल्याण का रास्ता नहीं बताया है।

इस तरह की जड़ बुद्धि से जहाँ सारा जीवन-व्यापार चल रहा है, वहाँ किस साधुता की परित्ता करूँ ? यह कहे जाने पर कि 'मीडों के वस्त्र में ज्यादा हिंसा होती है, इसडिए आपको खादी ही काम में छानी चाहिये।' तब यह जवाब मिछा कि 'हमारे छिए तो दोनों (वस्त) हिंसा से मुक्त हैं क्योंकि वे हमारे छिए तैयार नहीं किये गये हैं' तो उनकी बुद्धि पर तरस आये बिना नहीं रह सका। ऐसे ही छोगों के छिए और इसी तरह का तर्क किये जाने पर रूस के महान् विचारक टाल्सटाय ने ढिखा होगा। कि '' मनुष्य कहीं भी और किसी रूप में रहता हो, पर यह निश्चित है कि उसके सिर पर जो मकान की छत है, वह स्वयं नहीं बनी, चूल्हे में जडने वाळी डकड़ियाँ भी अपने आप वहाँ नहीं पहुँच गईं, न पानी बिना छाए स्वयमेव आगया श्रीर वकी हुई रोटियाँ मी आसमान से नहीं बरसीं। उनका खाना,

(94३)

कपड़ा और पैरों के जूते ये सब उनके डिए बनाए गये हैं, और इनके बनाने वाले पिछडी पीढ़ियों में रहने वाले वे छोग नहीं थे, जो अब सब मर-खप गये हैं। ये सब काम आजकड विद्यमान रहने वाले वे ही डोग कर रहे हैं, जो अपनी जरूरतें पूरी करने नहीं पाते और दुनिया में दूसरों के डिए मेहनत करते घुड घुड कर मर जाते हैं। "

खेती करने में और हर प्रकार की प्रवृत्ति में ये साधु पाप बताया करते हैं और पाप से मुक्त होने का उपदेश दिया करते हैं, पर जब उनसे सीघा प्रश्न किया जाता है कि 'अगर सभी आपका उपदेश मान लें श्रीर पाप समझ कर हर प्रकार की उत्पादक प्रवृत्ति छोड़ दें तो हमारा और आपका जीवन कैसे चलेगा श्रीर बह आत्म कल्याण कैसे निसेगा ?' तो ऐसे प्रश्नों से वे श्रपना कोई वास्ता नहीं समझते और टाल्स्टाय के ही शब्दों में " उस प्रश्न से बिल्कुड असम्बद्ध प्रश्नों की पाण्डित्य पूर्ण चर्चा करने लग जाते हैं।' संसार के नाम पर सभी तरह की प्रवृत्तियाँ आदमी करते हैं और कर सकते हैं, साधुओं को उससे कोई मतल्ब नहीं; पर मैं पूछता हूँ, प्रवृत्तियों से चाहे वे मुक्त हों, पर प्रवृत्तियों के परिएाम से कहाँ मुक्त हैं ? स्वेती करने को वे पाप बताते हैं, पर अज वे खाते हैं; कुऑ खुदाने को पाप कहते हैं, पर कुएँ का पानी वे पीते हैं; कपड़ा बुनने और बुनवाने में वे पाप

(948)

समझते हैं, पर कपड़ा वे पहनते हैं; रोगी-उपचर्या ऋौर चिकित्सा में वे धर्म नहीं समझते, पर औषधि-चिकित्सा वे कराते हैं।

इन सब प्रश्नों का उनके पास जवाब है कि 'पंच महाव्रतधारी' को इनमें पाप नहीं छगता क्योंकि ये सब उनके निमित्त नहीं किये जाते। बस, पंच महाव्रतधारी इन प्रवृत्तियों के पाप से मुक्त हैं, उन्हें यह सन्तोष रहता है कि किसी को कह कर वे यह नहीं कराते हैं, और यह मान्छम हो जाने पर कि उनके निमित्त से वे की गई हैं तो वे उनका छाभ नहीं छेते छि। पर यह कोई कहे तभी तो मान्छ्म हो ? क्योंकि जिस साधारण बुद्धि से यह मान्छम हो भी सकती है, उसे तो वहाँ स्थान ही नहीं है। वहाँ तो केवल झाकीय बुद्धि है।

दान की भी ऐसी ही स्वार्थ पूर्ण विखम्बना की गई है। पंच महाव्रतधारी साधु को दान देने में धर्म है, और अन्य किसी को देने में धर्म नहीं है। इसको कहते हैं वे सुपात्र-दान! और ऐसे सुपात्र तेरा-पन्थी साधुओं के सिवाय और किसी का होना शायद ही सम्भव हो। मैंने पूच्यजी से पूछा कि "अगर सत्त्य और अहिंसा

इस बिषय में भी ढांक पिछोड़ा हो रहा है, केवल शब्द से पूछ लेने मात्र से कि यह आपके लिये नहीं बनाया गया है निर्दोष और प्रासुक नहीं हो जाता, जब तक कि उसकी उत्पत्ति के उद्देश्य पर विचार व मनन नहीं किया जाय। — प्रकाशक

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

(944)

की साधना पर ही पंच महावर्तों का आधार है, तो एक प्राणी के डिए जितना अहिंसा-पालन सम्भव हो सकता है उतना यदि एक आदमी करता है, फिर भी न तो वह पंच महाव्रतों की व्याख्या ही जानता है, और न अमुक प्रकार का वेष पहनता हैं और न श्रमुक प्रकार का ऋष्ययन ही करता है और न अमुक प्रकार की कियाएँ ही करता है पर वो अपना सारा जीवन अपने अहं को इचडकर दूसरों की सेवा में खपाता है, तो वह सुपात्रों की गिनती में आता है या नहीं ?" यह कहते हुए कि 'आ सकता है' महाराज को काफी कठिनाई सी हुई। खैर, उन्होंने इतना स्वीकार तो कर छिया, यही क्या कम है ? इन सारी बातों से यही माछ्म होता है कि बुद्धि और विचार के छिए बहुत कम गुंजाइश इस तरह के सम्प्रदायवाद के घेरों में रह गई है। जहाँ बुद्धि इतनी संकुचित है, हदय इतना संकोर्ण है, जीवन के करोंच्य इतने सोमित है, वहाँ मानवता के लिए है ही क्या ?

दीक्षा देते समय पूच्यजी दीक्षा छेने वाले के अभिभावक से एक आज्ञा-पत्र छेते हैं। गत चातुर्मास में दी हुई दीक्षात्रों के ऐसे त्राज्ञा-पत्र मेरे सामने रखे गये, शायद यह दिखाने के छिए कि ढड़के-डड़कियों के अभि-भावक की आज्ञा मिछने पर ही दीक्षा दी जाती है। मैंने दो तीन आज्ञा-पत्र पढ़े, छगमग सब का एक ही मसविदा था। इस-आज्ञा-पत्र के अन्तिम हिस्से में (]4Ę)

इछ इस आशय के शब्द है कि 'यह मैं जो आज्ञा देता हूँ, डसके कभी खिलाफ नहीं होऊँगा और पंचायत, राज दरबार त्रिटिश सरकार में मेरी कोई आपत्ति नहीं चलेगी।' शब्द चाहे जो हैं, भाव कुछ इसी प्रकार का है। मुफे यह पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस सामाजिक शक्ति और राज्य सत्ता को ये साधु कछ समझते ही नहीं, उनका कोई महत्व ही नहीं मानते, तब उनकी मदद की भावना को दर्शाने वाले शब्द आज्ञा-पत्र में क्यों छिस्ताये जाते हैं ? पर भीतर की कमजोरी बाहर आए विना नहीं रह सकती। कहीं कोई साधु-संस्था पर ही राज्य की मद्द से नाबालिग बालकों के अपहरण (जिसको दीच्चा कहा जाता है) का अभियोग न लगा दें; इस भय के कारण ही आज्ञा-पत्र लेने और उसमें इस तरह के शब्द डिखाने की स्रावश्यकता हुई। मेरी त्रापत्ति पर पूज्यजी ने जवाब दिया कि 'यह कोई सास बात नहीं है। वर्षों से ऐसा ही स्वरूप चढा आता है। एक दो दफा पहळे झंझट आ चुकी है, इसलिये ऐसा कर दिया गया है।' साधुओं के लिए, अहिंसा को मानने वालों के लिए झंझट क्या हो सकती है और इससे अचने के लिए हिंसा-शक्ति पर आश्रित राज्य सत्ता की श्रप्रस्यक्ष मइद की भी उन्हें क्या दरकार है ? साधुओं की अहिंसक शक्ति का यह एक नमूना है ।

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

(**940**)

तेरा-पन्थो साधुत्रों का डाफ से कोई सम्बन्ध है या नहीं, यह प्रश्न भी उठा। 'तहण जैन' में इस बारे में मैंने पहले कुछ छिसा था; उसी को लेकर यह चर्चा चली। इस प्रश्न में 'तरुण' के पाठकों को भी दिखचरपी होगी, इसढिए मैं इसके विषय में कुछ छिख रहा हूँ। मेरे यह कहने पर कि ''न्नापके साधु भी जब डाक द्वारा आये हुए पत्र पढ़ते हैं त्रोर डन पर अपनी सम्मति भी देते हैं, तब डाक से आप का सम्बन्ध कैसे अलग माना नाय ?'' पूज्यजी ने कहा, ''साधु केवल 'वंदना' के पत्र पढ़ते हैं, और कुछ नहीं पढ़ते; इसमें कोई दोष नहीं है।" मुक्ते मालूम पड़ा कि उन्हें इसी से सन्तोष है कि उनके नाम न तो कोई पत्र श्राता है और न वे पत्र डिखते हैं। हाँ, ग्रहस्थ कोई बात पूछता है, तो उसका जवाब देना तो उनका फर्ज है ही। मैंने पूछा----'आप से गृहस्थों को मिछा हुआ जवाब उनके द्वारा दूर गाँवों में विचरण करने वाले साधुओं के पास डाक द्वारा उस गाँव के श्रावकों के मारफत पहुँचाया जाता है श्रोर उसे वहाँ वाले साधु आपकी आज्ञा मान कर ही स्वीकार करते हैं। इससे क्या आप यह नहीं मानते कि डाक के साथ आपका अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हो जाता है चाहे आप खुद अपने नाम से पत्र व्यवहार न करें।" इस पर भी जब उन्होंने कहा--- 'नहीं', तब फिर चर्चा की 29

(945)

गुंजाइश ही नहीं रहो । बात कुछ भी हो, मानना या न मानना तो उनकी मर्जी की बात है ।

इसके बाद मैंने साधुओं के द्वारा बनाई हुई तसवीरें देखी. सुन्दर अक्षर-छेखन के उत्कृष्ट नमूने देखे, तेरा-पन्धी सम्प्रदाय के छिए प्रकट को हुई तारोफ के सरकारी गजट देखे; सन्त त्रीर सतियों की भोड़ देखी; श्रावकों की भक्ति और सेवा-भावना का त्रतिरेक देखा; साधुत्रों की दिनचर्या देखी और सुनी। यह भी सुना कि अमुक साधु ने २००० श्रीर श्रमुक ने ५०००-७००० श्लोक याद कर रखे हैं, पर मुमे तो श्रम्रडी साधुत्व के दर्शन 🗉 करने थे। इन तसवीरों में, इन गजटों में, इन त्राह्या पत्रों में श्रीर इन इजार इजार श्लोकों की रटना में साधुत्व कहाँ से आवे ? 🗉 जिसकी आत्मा इतनी छोटी है कि संसार को वेदना को वह अपनी वेदना नहीं समझ सकता, संसार की समस्याश्रों को सुल्झाने में कोई योग नहीं दे सकता, समाज ऋौर राष्ट्र को सवा मार्ग-दर्शन नहीं दे सकता, उसका कैसा आत्म कल्याण ? शरीर से त्रात्मा अलग नहीं हो सकती, तो संसार और समाज से धर्म भी अछग नहीं हो सकता। त्रात्मा के विकास के लिए शरीर का पोषण किये बिना काम नहीं चलता, वैसे ही धम की साधना श्रौर विकास के छिए भी समाज श्रौर संसार की सेवा करना जरूरी है। स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थता का सम्बन्ध तो संसार

(949)

के साथ बना ही रहता है। दूसरे छोग निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से साधुओं के लिप सब कुछ कर सकते हैं; भोजन देते ही हैं, वस्त देते ही हैं, औषधि देते हो हैं, सेवा करते ही हैं, पर ये खुद अपने वर्ग के बाहर न किसी को भोजन दे सकते हैं, न श्रौषधि दे सकते हैं, न सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वैसा करना साधुत्व के खिलाफ है। खिलाफ क्यों है, इसका जवाब तो शास्तों से मॉगना होगा।

इन साधुओं को खक्ष्य में रखकर ही मानों टाल्स्टाय ने छिखा होगा कि "उनके पास शास्त्रों के अलावा जीवन के प्रश्नों को हल. करने का और कोई मार्ग ही नहीं है। अपने शास के बाहर को किसी भी नई बात पर स्वतन्त्र रूप से विचार करने की बात तो दूर रहो, वे दूसरे छोगों के ताजा मानवीय विचारों को समझने में भी श्रासमर्थ होते जाते हैं। खास बात तो यह है कि ये जीवन का सर्वोस्क्रष्ट समय जीवन के नियम को अर्थात् श्रम करने की आदत को मुखावे में ही खो देते हैं और बिना मिहनत किये ही संसार की चीजों के उपभोग करने का श्रापने को हकदार मानने लग जाते हैं। इस प्रकार वे बिल्कुल निकम्मे श्रौर समाज के लिए हानिकारक बन जाते हैं। उनके दिमाग बिगड़ जाते हैं और विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाती है।"

मैं जानता हूँ कि साधु समाज के खिळाफ अपने सभे से स च विचार प्रकट करना भी आज एक गुनाह समझा जाता है। इसळिए Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat www.umaragyanbhandar.com

(१६०)

यदि मेरे इन विचारों पर सम्प्रदायान्ध और घर्मान्ध छोग बिगड उठें तो कोई ताज्जूब की बात न होगी। धर्म गुरु भी यदि मेरे इन 'अशासीय' विचारों पर तिलमिला उठें तो मुमे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये विचार ऐसे हैं ही नहीं, जो आसानी से हजम हो सकें और स्नास तोर से उस व्यक्ति के ढिये जिसमें कोई भी नई वस्तु इजम करने की ताकत ही नहीं रह गई है। पर मैंने तो अपने विचार निरसंकोच और निर्भीकता के साथ प्रकट कर दिये हैं। एक बात जरूर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने तेरा-पन्थी सम्प्रदाय की आलोचना नहीं की है, पर उस निकम्मे जीवन की आलोचना जरूर की है जिसे मैं आज धर्म के नाम पर पोषण मिडता हुआ देखता हूँ। यद्यपि आज मैंने ये विचार तेरा-पन्थी सम्प्रदाय के साधुजी से हुई मुलाकात के प्रसंग में प्रकट किये हैं, पर थोडे बहत फर्क के साथ ये विचार आज सभी फिरकों के जैन साधुओं पर छागू होते हैं। कोई यदि इन विचारों को धर्म-द्रोही और शास्त-द्रोही कहे तां मुक्ते आपत्ति न होगी, पर यदि कोई इनको एक सम्प्रदाय विशेष की खालोचना के रूप में वतावेगा, तो इस तरह मेरे विचारों को गढत समझा जाने पर मुमे दुख होगा। पड़िहारा की मुडाकात के बारे में इतना ही।



श्री 'भग्न हृदय' की चिट्ठी (तरुण जैन नामक मासिक पत्र अंक १ जनवरी १९४२ से उद्धत) मान्यवर सम्पादकोंजी !

गत किसम्बर के अंक में आपका 'थली में पाँच दिन का प्रवास' छेख पढ़ा, पढ़कर उस पर विचार किया और विचार करने के बाद आपको यह पत्र ढिख रहा हूँ। सब से पहले तो मुक्ते आप को यह उपालम्भ देना है कि आपने थलो में जाने की मुमे सूचना भी नहीं दी। अगर त्रापकी सूचना मुफे मिछ जाती तो मैं भी श्रवरय आपके साथ इन पाँच दिनों में घूमता श्रौर खासकर पूज्यजी के साथ श्रापकी जो मुखाकात हुई, उस समय मौजूद रहता जिससे पूरी पूरी बातचीत सुन पाता। आपने अपने लेख में बहुतसी बातों पर, शायद जल्दी श्रीर स्थानाभाव के कारण, केवछ संकेत भर ही किया है, जिसमे पूरी बातचीत को जानने की मेरी बड़ी उत्कण्ठा हो रही है। खैर, अब तो जो कुछ आपने अपने ळेख में जिखा है, उसी से सन्तोष मानना होगा । अगर कोई विशेष बार्ते बाकी रही हों, तो उन पर फिर कभी प्रकाश हालें तो ऋच्छा हो ।

(१६२)

मेरा भौर मेरे कुछ दूसरे मित्रों का भी ऐसा खयाछ है कि पूज्यजी से मुखाकात करने वाळे जितने विद्वान उनके पास आये, उनमें से किसी ने भी इतनी स्पष्टता के साथ अपने विचार प्रकट नहीं किये जितने कि आपके लेख में मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी स्पष्टता श्रौर सचाई की तो पूज्यजी महाराज पर भी अवश्य छाप पड़ी होगी। ऋापके इस लेख से एक बड़ा फायदा यह भी हुआ कि अब भविष्य में पूज्य श्री यह कहने का साहस नहीं करेंगे कि हमारे पास जो छोग आकर बातचीत कर गये, उनकी सब शंकाएँ हमने दूर कर दी और उन्होंने हमारो बात मंजूर करछी। अब तक तो पूज्यजी मुखाकात करने के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति को यह बात अवइय कहा करते थे। शायद श्रापसे भी अवश्य कहा होगा। श्राने वाले व्यक्ति पर अपना प्रभाव डाउने के डिए ही ऐसा कहा जाता है और करीब करीब लोग इस प्रभाव में आ ही जाते हैं, क्योंकि हर एक को तो भीतरी अवस्था का पता नहीं होता। त्रापने अपनी खरी राय इतनी स्पष्टता के साथ प्रकट कर जिस साहस का परिचय दिया है, उस से श्रवहय समाज की ऑर्से खुलेंगी, ऐसा मेरा पका विश्वास है। ग्रापने एक बार किसी पत्र में लिखा था कि 'आपकी सम्प्रदाय के साधुओं के किया कलाप के बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ।

अच्छा हुआ कि इस बार आप स्वयं अपनी ऑखों से हमारे साधु

(963)

संस्था की छीडा भी देख आये; और जो कुछ देखा उसका वर्णन भी कर दिया। मैं समझता हूँ आप पड़िहारा में जो देख कर त्राये हैं उसके बाद मेरे इस कथन से अवत्रय सहमत हुए होंगे कि साधु संस्था का मानस वाज बिलकुछ गढित हो चुका है। उसमें जो कुछ डाडा जाता है, वह सब सड़ श्रीर गढ जाता है, कोई मौलिक वस्तु तो वहाँ पैदा ही नहीं हो सकती। ऐसे छोगों के हाथों में जिस धर्म और समाज का नेतृत्व हो. उसका भविष्य अन्धकार मय है। अयोग्य हाथों में पड़कर अच्छे से अच्छे साधन भी निष्फल और निरर्थक हो जाते हैं, यह कहावत आज हमारे साधुओं के विषय में पूरी तरह सत्य साबित हो रही है। अहिंसा का शक्ति शाली शख गलत तरह से प्रयोग किये जाने के कारण तेज प्रदान करने के बदुले हमें निराश बना रहा है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि थली की बौदिक मौर सांस्कृतिक दृष्टि से आज जो अवस्था उत्पन्न हुई है, उसके कारणों में समाज के प्रति साधु संस्था की मनोवृत्ति ही मुख्य है। बह मनोवृत्ति गहरी निराशाजनक है। जब तक यह मनोवृत्ति रहेगी, तब तक थली के लोगों की दिमागी और तहजीबी हालत में कोई सुधार नहीं होगा। और मानवता का कोई मूल्य यहाँ के लोग नहीं समझेंगे । जो लोग कभी कदास इन साधुओं के पास मा जाते हैं, उनके सामने ये प्रेसी उत्कट नैतिकता और कष्ट- (१६४)

सहन का चित्र सींचते हैं कि वह इनकी असली हालत को जाने विना ही इनकी तारीफ करने लगता है। अपने त्याग की हरेक बात को इतनी बढ़ा कर आने वाले को वे कहते हैं कि उससे भोले व्यक्ति प्रवश्वना में फॅंस जाते हैं। ये साधु अपने आवकों के सामाजिक और लौकिक कार्यों से अपने को बिलकुल मुक्त बतलाते 🖁 । पर यह बिलकुल झूँठ है क्योंकि दुनिया का कोई काम ऐसा बाकी नहीं रहा है, जिसका इन्होंने पाप और धर्म में बँटवारा न कर दिया हो। पाप और धर्म की सूचियों में सभी कार्यों का वे वर्गीकरण कर देते हैं श्रीर रात दिन यह उपदेश दिया करते हैं कि धर्म करने का त्रोर पाप नहीं करने का है, इनके धर्म का मानवता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है. इसलिए मानव जाति की उन्नति के जितने कार्य हैं, वे सब पाप को सूची में रखे गये हैं। इमारे साधुओं ने सिखाया है कि जब तक उनकी तरह किसी ने संसार का त्याग कर पंच महाव्रत नहीं धारण किये हैं, तब तक उसकी सेवा करने या उसको दान देने में धर्म नहीं है, बल्फि कर्म-बन्धन स्वरूप पाप है। समाज के बालक बालिकाओं के छिए शिक्षालय या स्वास्थ्यालय स्रोजना भी इमारे साधुओं के अपदेशानुसार धर्म कार्यों की सूची मैं नहीं श्राता । इस तरह यह धर्म, समाज के लिए कुछ भी नहीं करता, बल्कि किये जाते को रोकता है, और फिर भी जैसा आपने बहुत ठीक ठीक डिसा (१ ६५)

है, समाज से अपने छिए नाना भाँति की सेवा छेते रहने में कोई आपत्ति नहीं समझता। आप अगर १०-१५ दिन छगातार हमारे साधुओं को सेवा (!) का छाभ छें तो आपको पता छगेगा कि जहाँ पूज्यजी की सवारी पहुँच जाती है, वहाँ के समाज की इस सेवा के भार से क्या हाछत हो जाती है। माघ महोरसव और चातुर्मास के दिनों में गाँव वाठों की परेशानियाँ इतनी बढ़ जाती हैं, कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं।

सम्पादकोंजी ! मुफे सचमुच अपने समाज के उन हजारों स्ती पुरुषों भर तरस आता है, जो विवेक की आँसे बन्द हो जाने के कारण इनके जाल में फँसे हुए हैं। थली के गाँवों की सार्व-जनिक और सॉंस्कृतिक हाछत का जो दिग्दर्शन आपने अपने छेख में कराया है, उसको पढ़कर क्या हमें शर्म नहीं आती ? इमार। मस्तक झुक जाता है, हमारा यौवन बखवा कर चठता है, पर क्या करें सम्पादकोंजो ! यह सब हमारे उन साधुओं की कृपा है । जहाँ ये बिराजते हैं, वहाँ आस पास कोसों तक मानवता के खेत सूख जाते हैं क्योंकि इनके उपदेश हो ऐसे हैं। हम जानते हैं कि इससे जैन धर्म कलंकित हो रहा है क्योंकि हमारी तरफ की जनता तो इन्हीं जैन मूर्त्तियों को ज्यादा देखती है, और इस बात से श्रभावित भी होती है कि इनको मानने. वाळे सब सेठ लोग हैं, डाखों और करोड़ों रुपया कमाते हैं। ये साधु खुद तो परिवार, २२

(988)

गाँव, समाज ऋौर देश के धर्म को मानते ही नहीं और उनके प्रति कोई जिम्मेवारी भी नहीं समझते, पर हम ळोगों को भी इन सब कामों में एकान्त पाप ही पाप बताया करते हैं। तब आप ही बताइये; हमारे गाँवों की हमारे समाज की और हमारी त्रोर से देश की हाउत कैसे अच्छी हो ? हमारे बाढक और बाढिकाओं में दूसरे संस्कार कैसे पड़े ? उनके अन्दर समाज श्रौर देश की सेवा की महत्वकांक्षाएँ कैसे उत्पन्न हों, जब कि उन्हें यही सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें अपना जीवन सफळ करना है, सबी उन्नति करना है तो संसार को छोड़ो न्त्रौर इमारी टोडी में शामिल हो जात्रो । सचमुच इस टोली में जाते ही मनुष्य को सारे सुस्न मिल जाते हैं। बिना परिश्रम किये विभिन्न प्रकार का स्वादिष्ट भोजन मिछता है, पहनने को कपड़े मिछ जाते हैं, और रात दिन इजारों की पुरुषों की सेवा? इससे ज्यादा श्रौर सुख की कल्पना ही क्या हो सकती है ? इसी सुख-इसी 'आत्म कल्याण' के लिए हर वर्ष उमीदवारों की संख्या बढ़ती जाती है। पूँजीवाद और साम्राज्यवाद की तरह इसमें भी ज्यों ज्यों संस्या बढ़ती जाती हैं. त्यों त्यों इस टोली की सत्ता भी बद रही है जिसने हमारे सारे समाज को गुमराह बना दिया है।

इतना सब होते हुए भी, अब भीतर ही भीतर युवकों में असन्तोष की श्रमि जल रही है। दुनिया की तरफ से वे ऑर्से (१६७)

बन्द नहीं कर सकते और जब दुनिया की तरफ देखते हैं, दुनिया की जटिल समस्यात्रों पर गौर करते हैं, तो यह महसूस किये बिना भी नहीं रह सकते कि उनको मिछने वाले उपदेश उन्हें हास की ओर ले जा रहे हैं। आज के युवक को मन्दिरों के साज श्रंगार श्वच्छे नहीं छगते हैं, न इन मफेद्पोश रूढ़िगामी मुफ्त-स्रोरों की सारगी ही पसन्द आती है। वह तो जीवन का पुजारी है, मानवता का भक्त है और विश्व-प्रेम का प्रेमी है। आज आपने जिस थळी में निराशा के बादल घिरे हुए देखे हैं, उसी में कुछ वर्षों बाद आप वह जबर्दस्त विचार क्रांति देखें तो कोई आश्चर्य नहीं, जो वर्षों तक दुबे हुए विचारों में से उत्पन्न होती है। 'तरण जैन'ने दो वर्षों में थली में बहुत बड़ा काम किया है, जिसका वास्तविक मूल्य आज नहीं समझा जा सकता, पर इस दिन माऌम होगा, जब कि थडो की काया पढट होगी। मैं 'तरुण जैन' का इसी ग्रुभ कामना के साथ, नये वर्ष के प्रारम्भ में श्रभिनन्दन करता हूँ।

आपका-'भग्न हृद्य'



चिट्ठी-पत्री

('तरुण जैन' नामक मासिक पत्र अंक ३ मार्च १९४२ से उद्धत) मान्यवर सम्पादक महोदय !

मैं यह पत्र त्रापकी सेवा में पहिले-पहल ही प्रेषित कर रहा हूँ। सब से पहिले मैं आपको मेरा कुछ परिचय दे दूँ। मैं थळी प्रान्त के एक बड़े शहर का रहने वाला और दस्से-बीसे से भी बद्कर पत्नीसा तासा ओसवाल हूँ। शायद अन्य लोगों की तरह आप भी पूछ बैठें कि मैं किस मजहब को मानने वाला हूँ ? पहिले ही कह दूँ कि मैं इस वक्त जैन खेताम्बर पौने तेरा-पन्थी हूँ। आप शायद इसको मजाक समझेंगे, मगर मैं आप से कसमिया कहता हूँ कि आपके 'तरुण' ने और सास करके आपके दो लेखकों ने मेरा पाव पंथ घिस डाला। आप समझ गये होंगे, दो छेखकों से मेरा मतलब किन से है। श्रापको माखम रहना चाहिये कि मैं पुस्तैनी जैन श्वेताम्बर तेरा-पन्थ मजहब का कट्टर श्रावक था, भगर आपके इन दो गजब के लेखकों ने हनुमानजी के पाव रोम की तरह मेरा पाव पन्थ काट डाला। मुमे अब यह

(969])

भय है कि कहीं मेरा रहा सहा पन्थ ही न उड़ जाय । श्री 'भग्न हृत्य' जो के छेखों को तो मैं जैसे तैसे इजम कर गया । मैंने सोचा कि चलो साधुओं के किया कलाप और श्राचरण दुरुस्त नहीं रहे हों तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, पञ्चम काल है, हुण्डा अवसपिंणी का समय है, मगर श्री बच्छराजजी सिंघी के लेखों ने तो मेरा पन्थ ही उड़ाना प्रारम्भ कर दिया । अब ती मैं देख रहा हूँ, यह पौने तेरह भी कायम रहना कठिन हो रहा है । मुमे यह पूर्ण विश्वास था कि हमारे पूज्यजी महाराज, जो शाज फरमाते हैं, वे सोलह ज्ञाना ठीक और अत्तर अत्तर सत्य हैं मगर सिंघीजी के लेखों ने तो श्राँखों की पट्टी खोल दी । सम्भवतः मुँह की पट्टी भी जो कभी कभी लगा लेता हूँ, अब खतरे में है ।

इमारे पूज्यजी महाराज जब थछी प्रान्त में विराजते हैं, तब अक्सर मैं सेवा में साथ साथ रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ, जब से ये शाकों की वातें, 'तरुण' में आने छगी हैं, हमारे मोटके सन्त आपके 'तरुण' की इन्तजारी में बाट जोते रहते हैं। इधर कुछ समय से आपके 'तरुण' ने भी नखरे से पेश कदमी शुरू कर दी है। 'तरुण' के पहुँचते ही मोटके सन्तों की मीटिंगें होने छगती हैं। पूज्यजी महाराज भी पढ़ते हैं। वातावरण में कुछ हछचछ सी मच जाती है। उस दिन मेरे सामने ही 'तरुण' की वातें चढ रही थीं। एक अनन्य भक्त और विश्वास पात्र आवक अर्ज कर रहे थे (900)

कि महाराज! आप शिक्षा प्रचार में पाप बता रहे हैं मगर शिज्ञा का सम्बन्ध श्रव श्राजीविका से जुड़ा हुश्रा है। कैवल आपके पाप बताने से छोग पड़ने से रुक नहीं जायँगे। छोग जैसे जैसे शिक्षित होंगे, उनमें तर्क और ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ने से प्रत्यत्त गणित से असत्य साबित होने वाळी बातों की अत्तर अत्तर सत्यता की आपकी मोहर (झाप) टूटे बगैर कैसे रहेगी ? महाराज ने गम्भीर होकर उत्तर दिया कि 'यह विचारने की बात हो रही है।' सम्पादकोंजी ! मुफे तो अब कुछ न कुछ समाज सुधार की तरफ रवैया बर्छता प्रतीत हो रहा है; चाहे उपदेश की शैछी बदछ कर, चाहे श्रावकों द्वारा समाज सुधार के लिए कोई संघ या सभा कायम होकर; और अब भी कुछ न हो तो महान विनाझ निकट ही है। पर मुमे विश्वास होने लगा है कि आपके 'तरुण' की चन्नज कूद खाली नहीं जाने की।

उछ दिन पहिले मैं कार्यवशात सुजानगढ़ गया था। सिंघीजी से भी मिला। बड़े सज्जन प्रतीत होते थे। मैंने कहा, " आपके 'तरुण' के लेखों में शास्त्रों की बातों को असत्य प्रमाणित करने की सामग्री तो लाजवाब है, मगर आप सर्वज्ञना के शब्द साथ कहीं कहीं मजाक से पेश आ रहे हैं। यह बात मेरे हृदय में स्ट-कती है।" वे कहने लगे, "क्या आप स्वीकार करते हैं कि सर्वज्ञों की बात प्रस्यच में असत्य हो सकती है। यद वहीं तो ऐसी

(909)

बातों के कहने वालों को आप सर्वज्ञ समझें ही क्यों ? सर्वज्ञ सत्य के कहने वाले ही होंगे, और उनके साथ मजाक करने की मजाल ही किस की है ?" फिर वे कहने छगे, "मैंने ऐसा सोच समझ कर ही किया है कारण यदि मैं दूसरी शैछी से छिखता तो इन लेखों को रुचि से कोई पढ़ता तक नहीं। एक तो यह शास्त्रों का विषय ही ग्रुष्क ठहरा श्रोर दूसरे उपदेशकों ने अपनी 'सन्तवाणी' द्वारा सैंकड़ों वर्षों के छगातार प्रयन्न से छोगों को शासों के अन्ध भक्त बना दिये हैं। इसलिए बिना चुभने वाले शब्दों से मुफे असर होता नहीं दिखा।" सिंधीजी की बात कुछ मेरे भी जँची। स्नेर, आप सुझ से परिचित तो हो ही गये हैं। थडी प्रान्त की हलचलों के बाबत आपको कभी कुछ पूछना हो तो मुझ से पूछ छिया करें। आप संकोच न करें। मेरा इदय विशाल है, मैं साफ कहूँगा। समय समय पर मैं स्वयं भी आपको यहाँ की गति विधि से वाकिफ करता रहेँगा।

आपका—'थडी वासी'



तेरह-पन्थ और जैन पत्र

फरिझिष्ट नं० २

(श्वे॰ [मू•] सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक "जैन" पत्र के ता॰ ८ मार्च १९४२ पृष्ट १४७ पर सामयिक स्फूरणा में से अनुवादित) चोपडा़जी का तेरा-पन्थी इतिहास

तेरा-पन्थ की मान्यताओं एवं आचार व्यवहार के विषय में हाल में अनुकूछ तथा प्रतिकूल चर्चा चलती हुई वॉँचने में आती है। कोई २ तो ऐसी अतिशयोक्तिएँ एवं मिथ्या स्तुतिएं करते हैं कि बुद्धिमान छोगों को कंटाडा उत्पन्न किये बिना नहीं रहतीं श्रीर कोई २ बार ऐसे आश्चेप करने में आते हैं कि सचमुच तेरह-पन्य का स्वरूप क्या होगा, उस बाबत जरा भी प्रकाश नहीं मिले, ऐसी स्थिती में वकील लोगमलजी चोपड़ा जैन श्वेताम्बर तेरा-पन्थी

(ঀ৽ৼ)

सभा के मन्त्री ने छपवा कर प्रकाशित किया हुआ, इस सभा का संक्षिप्त इतिहास श्रपने को इतिपय अंशों में ७पयोगी सिद्ध होगा। श्रीयुत् चोपड़ाजी का गुजराती भाषा पर, जैसा चाहिये वैसा काबु नहीं है, इसजिये वे क्या कहना चाहते है वह कहीं २ पर बहुत अस्पष्ट हो रहा है। लगभग ८० प्रष्ठ को पुस्तिका में ६ प्रष्ठ भरा, इतना तो श्रुद्धि पत्रक है। श्री वकीळ चोपड़ाजी का आशय "तेरा-पन्थी मत के सिद्धान्तों का रहस्य न समझ सकने के कारण बहुत से छोग दूसरों को निन्दा करने, तथा भोछे भाईयों को बहकाने के लिये, गम्भीर दार्शनिक तत्व को उलटा कर निर्थंक कागज स्याही और समय का दुरुपयोग करते है, वह रोकने का है। तेरा पन्थी अपने को श्वेताम्बर जैन धर्म की शाखा के अनु-यायो कहलाते हैं, इनके विषय में जो कुछ गैर समझ होती हो, उनके सिद्धान्तों का उछटा प्रचार होता हो तो उसका प्रतिकार करना यह जैन धर्म के प्रत्येक ऋतुयायी का प्रथम फर्ज है। तेरह-पन्थो की निन्दा अथवा बुराई दिखाना एक तरह जैन घर्म की ही ऋवहेडना है, कारण कि जो शाखा प्रशाखा के भेद को नहीं जानते, वे तेरह-पन्थ को ही जैन धर्म समझ कर जैन दर्शन की अवहेखना करते हैं।

वकीछ छोगमछजी चोपड़ा कहते हैं कि तेरा-पन्य विरुद्ध, कितनेक ऐसी झूठी वातें फैछाते हैं, कि 'यह मत दया दान रहित २३ (<u>Jos</u>)

है,' बहुत से लोगों ने यह हकीकत सुनो होगी। श्रीयुत् चोपड़ाजी इस आश्चेप का परिहार करने को उत्सुक हैं, परन्तु हमें यह कहते हुए दिलगोरी (सेद) होती है कि वकील महाशय स्वयं ही आश्चेप का प्रतिकार करने के बदले समर्थन करते हों, ऐसा प्रतीत होता है।

वकील महोदय ने रजू किया हुवा, एक कल्पित प्रसंग यहाँ विभारते हैं, कि इनके स्वयं के शब्दों में ही भूत दया सम्बन्धी प्रश्न भीर उत्तर दोनों तपासें—

X X X Х X प्रश्न-एक अनाथ बालक जाता हो, उसके पेट में कोई नराधम छुरी भोंकदे तो दया धर्मी को उस समय क्या करना ? "उत्तर में वकील छोगमलजी चोपड़ा कहते हैं कि -- जिनाझा प्रमाणे चढने वाळे साधु साध्वी ऐसे अवसर में मजकुर श्रनाय बालक को बचा सकते नहीं, वे तो उपदेश देकर घातक को दुष्कृत्य से निवृत्त करें, अन्यथा जो यह देखना असहा हो तो वे उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जायँ। ध्वदेश से हिंसक को समझा कर दुष्ट्रत्य से निष्टत्त करना बीतराग प्ररूपित धर्म है किन्तु बल प्रयोग, लालच या शरमा शरमी से खाजे, लाजे, त्राजे करके बचाने में श्री जिनेश्वर का धर्म नहीं। अतः बढ प्रयोग से किसी को कष्ट पहुँचा कर बचा छेना यह श्री जिनेश्वर कथित धर्म नहीं है।"

х

www.umaragyanbhandar.com

х

Х.

х

X

()04)

उपदेश देने जितना अवकाश नहीं रहा हो, अथवा उपदेश से वह घातक सममे ऐसा न हो, किन्तु उस समय हिम्मत भरा हुवा पहकार करने मात्र से जो दुष्ट मनुष्य के गात्र थरथरा जाते हों तो भी सिर्फ उपदेश ही सुनाना त्रौर यह टक्य न देखा जाता हो तो वहाँ से चले जाना, भाग छुटना, इसमें दया, अहिंसा या जिन देव प्ररूपित सिद्धान्त की बात तो दूर रही, मनुष्य की मानवता ही कहाँ रही। और जो साधु साध्वी नहीं कर सके, यानि मरते प्राणि को बचाने की किया, जो संसार स्यागी विरागी भी नहीं कर सके, वह आवक आविका से तो बने ही छैसे ? पामरता की इससे ऋषिक मर्यादा दूसरी क्या हो सके।

घातक का घातकोपन और निर्दोष बालक की हत्या यह सब ग्रुभाग्रुभ कमे का परिणाम है, ऐसा यह वकोळ भाई म्रपने को व्यवहार के विषय में भी जँचाना चाहते है, परन्तु यह तत्त्व-ज्ञान मूल भूमिका बगैर का होने से यहाँ टिक नहीं सकता, कंगाळ बन जाता है ।

जैन धर्म के उषतम सिद्धान्तों का यह दुरुपयोग नहीं तो अन्य क्या कहा जाय ? तेरह-पन्थ की जमात जो धृद्धि पामें यानि जगत भर में तेरा-पन्थ मान्यता प्रवर्त हो जाय तो समाज की **कै**सी स्थिती हो ? कदाच समाज जैसा ही कुछ रहने नहीं पाने ।

X

х

X

Х

(**9**0Ę)

तेरा-पन्थ के सिद्धान्त के सम्बन्ध में टीका करने के डरेश्य से इम यह नहीं करते । आज का युग घर्म प्रस्थेक नागरिक के पास से निर्भयता की और समाज कुटुम्ब तथा राष्ट्र के छिये अधिक से अधिक बछोदान की मॉंगणी कर रहा है, ऐसे समय में तेरा पन्थ के सिद्धान्त का प्रचार बिछकुछ हास्यास्पद बने और जैन शासन तथा जैन संस्कृति की अबहेछना हो, ऐसा पूर्ण मय रहता है ।



करिशिष्ट नं० ३ तेरा-पन्थ ग्रने तेनी मान्यताग्रो (छे० --- श्रीमान् चीमनलाल चकुभाई शाह J. P., M. A. LL. B.) सोलीसीटर दुधी बोम्बे गवनमेन्ट सेकेटरी-श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फरेन्स. आपणा समाजनुं सतत हीत चिन्तवता एक मुनिराजे कान्फर-न्सतुं भ्यान खेंच्यूं छे के आविषे तिरा-पन्धी साधुओ गुजरात काठीयावाडमां उतर्या छे अने केटलेक स्थळे चातुर्मास करी पोताना पन्थनो प्रचार करे छे. गुजरात काठीयावाडमां तेरापन्थतुं नामतुं ज स्थान छे, काठीयावाडमां तो हूँ जाणुं छुं स्थां सुधी विढकुढ नभी ब्यारे गुजरातमां सुरतमां ज २-४ कुटुम्ब आ पन्थनां अनुबायी छे. तेरा-पन्थ स्थानकवासी सम्प्रदायमांथी डगभग १७५ वर्ष पूर्वे जुदो पडेळ नवो पन्थ छे. तेनां साधु साष्वीओ स्थानकवासी साधु साम्वी जेवो ज पहेरवेश पहेरे छे, सिवाय के म्यान पूर्वक जोबासां जावे तो सबर पड़े के तेमनी मुंहपनि विशेष डांबी अने पहोळाइमां (৭৩८)

टुंकी होय छे. पण आ हकीकतनो जेने ख्याळ न होय तेओ आ साधु साध्वीओने स्थानकवासी सम्प्रदायनां साधु साध्वीस्रो ज माने तेमनो उपदेश पण ३२ सूत्रो उपर ज रचायेळो छे ऐम तेमनो दावो छे अने त्राचारमां पण तेस्रो देखीती रीते स्थानकवासी साधुनां श्राचार पाछे छे. एटले कोई पण भ्रमणामां पड़े एवुं छे. तो एक सवाळ ऊभो थाय के तेमनो विरोध शा माटे करवामां आवे छे.

भाषणा सम्प्रदायनां भग्रगण्य साधु मुनिराजो म्रने श्रावको जेमने तेरा-पन्थनो पुरतो भंगत अनुभव छे तेवाओए चेतवणी भाषी छे के, तेरा-पन्थी मान्यताओ स्थानकवासी सम्प्रदायनी मान्यताओयी सदंतर विरोधी छे, एटऌंज नद्दि पण जैन धर्मनां सिद्धांतोबी विरोधी छे. भने तेरा-पन्थी साधुभोनां बाह्य आचारथी श्राकर्षाइ भाषणा भाईओ तेमनी मान्यताओ तरफ वळशे तो स्थानकवासी सम्प्रदायने भने जैन धर्म ने मोटी द्दानि यवानो सम्भव छे. एक भाइए मने छल्युं छे के भाषणां केटलाक श्रनुभवी साधुजीओए तेरा-पन्थ विषे तेमने केटलीक वातो कही ते कमकमाटी उपजावे तेवी छे.

त्रा उपरथी मारी जिझासा वधी, अने में तेरा-पन्थ संबंधे कांइक जाणवा प्रयत्न कयों. आज अरसामां मने केटढाक तेरा-पन्थी जाबकोनो परिचय थयो अने तेमनी साथे लंबाणथी में चर्चा करी, तेमज तेमनुं केटलुंक साहित्य मेछन्युं. थोड़ा दिवस पहेलां कल- (9.99)

कत्ताना श्री सिद्धराजजी ढहूा जेओ कलकत्तानी ईन्डीयन मरचन्द्रस चेम्बरना मन्त्री छे तथा तरुण जैनना तन्त्री श्री भॅवरमलजी सिंघी ने मलवानो मने प्रसंग मळ्यो. कल्कत्ताना जैनोमां मोटो भाग तेरा-पन्थी मारवाडीस्रोनो छे. तेमनी रहेणी करणी, विचारश्रेणी, रियतीचुस्तता अने अहिंसा सम्बन्धेना खोटा ख्यालोनी विगतवार इकोकतो ए भाइओ पासेथी में सांभली.

मारे तेरा-पन्थ विषे छस्ततां पहेडां तेथी पण विशेष माहीति मेळववी इती. एटले विशेष तपास करी तो जणायुं के पूज्य श्री जवाहर ढाळजी महाराज साहेबे 'सद्धर्म मण्डन' नामे एक प्रन्य øख्यो छे जेमां तेरा-पन्थना आचार्य जीतमढजीतं छस्तेछ पड़ पुस्तक ''भ्रम विष्वंसन'' हुं खण्डन करवामां आव्युं छे ते पुस्तड मेळवी जोइ गयो. तेमां शास्त्रनां संख्याबंध श्राधारो टांकी तेरा-पन्धी मान्यताओतुं सफल खण्डन कयुं छे. मारवाडमां आ संबंधे खब वाद्विवाद थयो हतो अने थाय छे श्री सद्धर्म मण्डननी अस्तावनामां तेरा-पन्थी मान्यताओ संबंधे केटलीक इकीकतो लस्तो छे जे आपणे मानी न शकीए तेवी छे. कोई पण सम्प्रदाय के व्यक्ति पछी ते जैन होय के अजैन एवी मान्यताओ घरावे ए मने तो બસંમવ હાગ્યું છતાં તેનાં ઘળાં પુરાવાઓ આપવામાં ભાવે છે.

आवी मान्यताओनां केटढाक नमुनाओ, ते प्रस्तावनामां आप्या हे. दाखढ तरीके--- (900)

(१) गांयोथी भरेख वाडामां आग लागे अने कोई दयावान पुरुष ए वाडानुं द्वार खोली गायोनी रक्षा करे तेने तेरा-पन्धी एकान्त पाप कहे छे.

(२) त्रण मजडा उपरथी कोई बाढक पडतुं होय तो तेने उपरयी पकड़ी बचावनार दयावान पुरुषने तेरा-पन्थी पाप करतो माने छे. (३) तेरा-पन्थी साधुत्रो सिवाय संसारमां सर्व प्राणीओ 'कुपात्र' छे. जा वस्तु वांचीने मने घणुं ज्याश्चर्य थयुं. आवी मान्यताओ घरावती तात्विक भूमिका समजवा हुँ प्रयत्न करी रह्यो छुं. दुर्भाग्ये तेरा-पन्थी साहित्य घणुं खरूं मारवाड़ीमां छे जे मने मळ्युं नथी. छतां जे थोडुं मल्युं छे ते तेमज तेमनां आवको तथा श्री सिद्धराजजी ढहा जने श्री सिंघी साथे मारे जे वातचीत थई ते उपस्थी तेरा-पन्थ साधुओनो उपदेश आवी कोईक मांयताओमां परिणामे एम मने डागे छे.

माई श्री सिद्धराजजी ढड्डा अने श्री मॅंवरमछजी सिंघीए कडकत्ताना तेरा-पन्थी समाजनी स्थिति मने वर्णवी ते उपरथी जणाय छे के तेलो श्रास्यन्त स्थिति चुस्त अने जड छे. सामाजिक कोई पण कार्यमां भाग न छे. समाज सेवामां तेलो धर्म मानता (161)

नथी. गरीबोने मदद करवी, भूख्याने अन्न आपवुं, निरक्षरने झान आपवुं, दर्दीने तंबीबी राहत आपवी अथवा तेनो सारवार करवी, समाज उपयोगी कोई पण कार्य करवुं तेमां तेओ धर्म मानता नथी. तेमनां मत मुजब अने तेरा-पन्थी मान्यता मुजब आ बघा सांसारिक कार्यो छे. जेनी प्रवृत्तिमां कर्म बंधन छे. जेथी संसार वधे छे अने तेथा ते मोक्षमार्ग नथी. तेरा-पन्थीश्रो दाननां विरोधी कहेवाय छे तेनुं आ कारण छे.

तेवाज ख्याडो अने मान्यताओ जीवद्या श्रने प्राणीरत्ता संबंधे छे. कोई जीवनी रक्षा करवी अने तैने बचाववो तेमां तेओ धर्म मानता नथी. आ कथन कदाच श्राश्चयंकारक छागरो तेथी जरा विस्तृत रीते समजावुं. द्याना वे प्रकार-स्वद्या श्रने परद्या **अथवा** जीवरक्षा. तेरा-पन्थी स्वद्यामां माने छे एटले के पोते कोई जीवनी हिंसा करे नहि, करावे नहि श्रथवा करतां प्रत्ये अनुमोदे नहि. पण परद्या अथवा जीवरक्षामां नथी मानता. एटले के, कोई जीवने मरतां बचाववो तेमां धर्म नथी मानता. तेनो प्रख्यात दासलो बिलाही उंदरने मारवा जती होय तो तेत्रो अटकावे नहि. माएस मरी जतो होय तो तेने बचाववामां धर्म माने नहि. आवी मान्यता माटे कारणो घणां दुर्काववामां आवे छे. एक तो एम कहेवांमा आवे छे के ते माणस बचरो तो सांसारिक प्रवृत्ति कररो, तेने कर्मबन्धन थशे, जेनो दोष बचावनारने लगशे. सौ सौनां कर्म 28

(922)

प्रमाणे दरेकनुं थाय छे. तेमां बीजा कोइए वचे पड़वानी जरूर नथी, वच्चे पड़वामां धर्म नथी. कदाच पाप छे एम खुझी रीते न कहे.

आवा कारणे तेरा-पन्थीश्रो दयादानना विरोधी कहेवाय छे. श्रा सिद्धान्तो जैन धर्मना साचा सिद्धान्तो छे एवो तेमनो दावो छे. आवी मान्यताओ बराबर अमलमा मूकाय तो तेनां केटला भर्यकर अने विपरीत परिणामो आबे तेनी कल्पना करवी मुइकेल नथी. तेरा-पन्थी श्रावको साथे चर्चा करीए त्यारे तेमनी मान्यता-भोना स्नावा परिणामो आवे ते तेमने कहीए स्यारे तेभो पण भड़की बैठे छे. आ परिणामो स्वीकारवानी तेमनी हिम्मत नथी. अन्ते " अमे न जाणीए, महाराजजी जाणे " एम कहीने उभा रहेशे. तेरा पन्धी साधुओ साथे चर्चा करो त्यारे गोळ गोळ जवाब आपशे. तेमनामां पण तेमनी मान्यताओनां अचुक परिणामो प्रकटपणे स्वीकारवानी हिम्मत नथी. भूख्याने अन्न श्रापवामां घर्म नथी, मांदानी मावजत करवामां धर्म नथी, समाज सेवामां धर्म नथी, मरतां जीवने बचवावामां धर्म नथी, एवुं स्पष्टपणे तेओ कहेतां अचकारो. तेरा-पन्थी साधुकोनां परिचयमां आवनार भाइत्रोने मारी विनंति छे के तेमनी पासेथी स्पष्ट जवाब छेजो के उपरनी प्रवृत्तिओमां धर्म छे के पाप १

(जैन प्रकाश-ता. २६-७-४१ तथा ता. ९-८-४१)

Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat www.umaragyanbhandar.com

मण्डल से प्राप्त पुस्तकें

अन्य धार्मिक पुस्तकें पू. श्री श्रीऌालजी म. का जीवन चरित्र (हिन्दी व गुजराती) १) " पुस्तकालयादि संस्था के लिये ॥) शालिभद्र चरित्र (पद्यमय) ३ भाग।≤) वैधव्य दीक्षा -) स्वर्गीय संसार -) खादी और जैन धर्म ...)|| सुदर्शन (चोपी) -) चन्दनबाला (चोपी) ... =) सती मयणरेया (चोपी) =) पद्य संग्रह =) जैन स्तुति 1=) भक्तामर भावार्थ सहित -)11 श्रावक के १२ वत I) परमात्म प्रार्थना)॥ सद्धर्म मंडन २) अनुकम्पा विचार सादी =)॥ विनयचन्द चौबीसी -) जवाहिर ज्योति (गुजराती) (=) 1=)

व्याख्यानों में से

अहिंसा वत ।) सकडाल पुत्र =) अस्तेय घत =) सुबाहु कुमार ।) धन्ना चरित्र ॥) तीन गुण वत ≡)

अर्द्ध-मूल्य की पुस्तकें धर्म व्याख्या =) सत्य वत =) हरिश्चन्द्र तारा ।) ब्रह्मचर्यं वत 🕫 रुक्मिणी विवाह ।) मदनरेखा 🗠 सनाथ अनाथ निर्णय . . . =) सती चन्दनबाला I=) . . परिग्रह परिमाण वत ... = 11 सदर्शन चरित्र ··· I-) स्मृति श्लोक संग्रह ··· I-) श्रावक के चार शिक्षा वत 🔊 मुख-वखिका सिद्धि ... =) जैनागम विरुद्ध मुर्ति पूजा 111) पौन-मूल्य में

सतो राजमती ... ≤) जैन शिक्षावली ७ वां भाग ।=

इनके अतिरिक्त धार्मिक परीक्षा बोर्ड की पुस्तकें, कान्फ्रेन्स आफिस से प्रकाशित सूत्रों का अनुवाद एवं अन्य धार्मिक पुस्तकें प्राप्त हो सर्वेगी।

. मिळने का पता—

मंत्रो-श्री जैंग **हितेच्छु श्रावक मण्डल,** रतलाम (माल्ला) ≫ॐ≪≫ॐ≪≫**ॐ**≪



Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat

www.umaragyanbhandar.com